राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ६] तृतीय विधान सभा के नवम् सत्र, १९६६ का १७वां दिवस [संख्या १३

सोमवार,

दिनांक १४ मार्च, १९६६

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.११ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(पंचायत, समाज-कल्याण, वित्त, राजस्व, शिक्षा, चिकित्सा सहायता एवं पुनर्वास, आबकारी, विकास-विभाग)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। श्री लक्ष्मीचन्द!

जमीन के वितरण का अधिकार

२२४. **श्री लक्ष्मीचन्द** (पीपलदा): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, इटावा की कई पंचायतों को आबादी के अन्दर और बाहर जमीनों का वितरण करने का अधिकार नहीं है और इसका अधिकार कोलोनाइजेशन विभाग को है?

(२) क्या यह सही है कि इस कारण पंचायतों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है?

(३) क्या सरकार जमीन के वितरण का अधिकार इन पंचायतों को भी दिलाने पर विचार करेगी?

पंचायत मंत्री (श्री दामोदर लाल व्यास):

(१) जी हां।

(२) इसका पंचायतों की आर्थिक स्थिति पर अवश्य प्रभाव पड़ा है।

(३) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री लक्ष्मीचन्द: क्या सरकार पंचायतों को आबादी जमीन वितरण कर देने के विषय में विचार करेगी?

श्री दामोदरलाल व्यास: चम्बल कमांड में जितनी भी ग्राम पंचायतें आती हैं उनकी जमीन बेचने का अधिकार चम्बल कमेटी को ही है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): जिस प्रकार चम्बल कमांड एरिया के अन्दर जहां पर म्युनिसिपेलिटीज है वहां मण्डी कमेटीज भूमि का वितरण करती हैं और म्युनिसिपेलिटीज को कुछ हिस्सा देती हैं, तो उसी तरह से ग्राम पंचायतों को भी चम्बल बोर्ड से कुछ हिस्सा दिलवाया जाये।

श्री दामोदर लाल व्यास : मण्डी कमेटी के पास पैसा आयेगा तो वह मण्डी कमेटी के एरिया को डेवलप करने में लगाया जायेगा, उसमें पंचायतें भी आ जायेंगी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : वह तो अलग बात है, लेकिन जैसे मण्डी कमेटी म्युनिसिपेलिटीज़ को कुछ शेयर देती है उसी प्रकार पंचायतों के बारे में भी सरकार विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह जुदा प्रश्न है। अभी तो यह प्रश्न है कि सारी पंचायतों की जो जमीन रोक ली गई है उसको बांटने की क्या व्यवस्था है और इसके लिए मण्डी कमेटी कोई सक्रिय कदम उठा रही है या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जितना एरिया उसमें आया है उसके वितरण के लिए मंडी कमेटी प्लान बनायेगी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जैसा कि म्युनिसिपल एरिया है और मण्डी कमेटी वर्क करती है तो मण्डी कमेटी प्लॉट बेचती है, उनको डेवलप भी करती है, इसके अलावा कुछ परसेन्टेज म्युनिसिपेलिटीज़ को अलग देती है, इसी प्रकार से जहां पंचायतें हैं और कॉलोनाइजेशन विभाग जमीन बेचता है तो कम्पेन्सेशन की तरह कुछ परसेन्टेज पंचायतों को दिया जाये, क्या सरकार ऐसा विचार रखती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह अलग प्रश्न है कि कितना पैसा कॉलोनाइजेशन विभाग से पंचायतों को अलग से दिया जाये। जहां तक डेवलपमेन्ट का सवाल है, मण्डी कमेटी सारे एरिया को डेवलप करेगी और अलावा पंचायतों को कुछ हिस्सा दिया जाये, ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया।

श्री कुमारसिंह (चेयट) : माननीय मन्त्री महोदय ने मन्जूर किया है कि इससे पंचायतों को नुकसान हुआ है और उन्होंने खुद मन्जूर किया है कि एरिया का डेवलपमेंट मण्डी कमेटी करेगी।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जहां पर आपने मण्डी नहीं बनाई वहां पर आपने एक पैसा पंचायत के डेवलपमेंट के लिए खर्च नहीं किया।

श्री दामोदरलाल व्यास : अभी खर्चा करने का सवाल पैदा नहीं होता। डेवलपमेंट तो फेजेज में होगा बरसों में। जहां-जहां मास्टर प्लान बनता जायेगा डेवलपमेंट होता रहेगा। रहा सवाल कि परसेन्टेज दिया जाये या नहीं, यह अभी विचाराधीन है।

प्रश्न सं० २२५

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

श्री कृष्णकुमार गोयल !

गोटा जरी आदि पर बिक्री कर

२२६. **श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा):** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि सरकार ने सभी किस्म का गोटा, गोटा किनारी, सलमा सितारा व बादला पर २ परसेन्ट बिक्री कर निश्चित किया है ?

(२) क्या यह सही है कि जरी व कलाबत्तू पर ६ प्रतिशत बिक्री कर वसूल किया जा रहा है ? अगर हां, तो क्यों ?

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

(३) क्या यह सही है कि जरी व कलाबत्तू का हैंण्डलूम के मसूरिया कपड़े में बहुत प्रयोग होता है।

उप-मंत्री, आबकारी एवं कर (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी हां।

(२) जी हां; जरी, कलाबत्तू, गोटा, गोटा-किनारी, सलमा, सितारा और बादला में समावेश नहीं है। ये भिन्न वस्तुयें हैं और इसीलिए गोटा, गोटा-किनारी वाली रेट इन पर लागू नही है।

(३) जरी, कलाबत्तू का मसूरिया हैंडलूम कपड़ा बनाने में उपयोग होता है। इनका उपयोग दूसरे कामों में भी होता है। तुलनात्मक रूप में कितना उपयोग किस काम में होता है यह आंकड़े सरकार के पास नहीं हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि २ नवम्बर, १९६५ के पहले जो खण्ड (१) में सामान बताया है–गोटा, गोटा-किनारी, सलमा, सितारा व बादला इन पर ६ परसेंट सेल्स टैक्स था, उसके बाद २ परसेंट किया है ?

श्री परसराम मदेरणा : वह तो मैंने कहा है; 'हां' भरी है न।

श्री कृष्णकुमार गोयल : तो सरकार ने इस सामान पर ६ परसेंट से २ परसेंट किया है, इसका क्या कारण है ?

श्री परसराम मदेरणा : वह तो राज्य सरकार की नीति का प्रश्न है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि इन पर ६ परसेंट से २ परसेंट इसी ख्याल से किया था कि स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज में, हाथ कर्घे से सामान बनाने वाले हैं उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए किया है ?

श्री परसराम मदेरणा : प्रोत्साहन का प्रश्न अलग नहीं है। राज्य सरकार इस एक्ट के नीचे जो कन्सेशन दे सकती है, ५(c) के नीचे उन्हीं को मिलेगा जो कि रजिस्टर्ड डीलर्स हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं यह जानना चाहता हूँ कि जरी और कलाबत्तू हैण्डलूम में काम में आते हैं तो क्या सरकार यह सोच कर कि मसूरिया केवल हिन्दुस्तान में ही नहीं बाहर भी मशहूर हो रहा है, क्या सरकार इन पर भी दो परसेंट करने को तैयार है ?

श्री परसराम मदेरणा : रजिस्टर्ड मैन्यूफैक्चरर को ही यह कन्सेशन दिया जाता है, अगर वे रजिस्टर्ड हैं तो उसे यह कन्सेशन जरूर मिलेगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : गोटा, गोटा-किनारी, सलमा, सितारा व बादला इन पर भी २ परसेंट क्या उन्हीं के लिए है जो कि रजिस्टर्ड डीलर्स हैं, या हर एक को यह कन्सेशन मिलता है ?

श्री परसराम मदेरणा : रजिस्टर्ड डीलर्स के लिए १ परसेंट है, मैन्यूफैक्चरर्स रॉ मैटीरियल यूज करते हैं तो उनको १ परसेंट कन्सेशन मिलता है, बशर्ते कि वह रजिस्टर्ड डीलर हो।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : जब गोटा, गोटाकिनारी, सलमा, सितारा व बादला इन पर २ परसेंट लेते हैं तो इनसे ६ परसेंट क्यों लेते हैं? इसको आप क्लेरिफाई करदें।

Page No. 4

श्री परसराम मदेरणा : मैन्यूफैक्चरार रजिस्टर करा ले अपने आपको तो १ परसेंट लगेगा।

श्री अब्दुलजब्बार : इसी पर ६ परसेंट क्यों रखा है जब कि यह भी स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज में काम में आने वाला है ? इस पर भी २ परसेंट कर दिया जाय तो इसमें आपको क्या एतराज है ?

श्री परसराम मदेरणा : यह प्रश्न इस लिए पूछा गया है कि आज जरी और कलाबत्तू रॉ मैटिरियल की तरह मसूरिया कपड़े के लिए काम में आता है, इस पर ६ परसेंट है, यह दूसरे करों में आता है। रॉ मैटेरियल के रूप में मैन्यूफैक्चरार यूज करे तो एक परसेंट कन्सेशन हम रजिस्टर्ड डीलर्स को देते हैं। मसूरिया कपड़े वाले रजिस्टर करा लेते हैं तो उनको भी यह कन्सेशन मिल सकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह !

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत हो तो इस प्रश्न के बजाय प्रश्न संख्या २४९ ले लिया जाय।

चरागाह की भूमि का अलॉटमेन्ट

२४९. **श्री जुझारसिंह (चेचट) :** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति सांगोद की ग्राम पंचायत धूलेट के ग्राम धूलेट व लोड़ा हेड़ा में, व ग्राम पंचायत विनोद के ग्रामविनोद खुर्द में चरागाह की भूमि को अलॉट कर दिया गया है ? यदि हां, तो कितनी ?

(२) क्या यह सही है कि इस समिति की अधिकांश चरागाहें अनधिकृत तरीके पर भी लोगों ने कब्जे की हुई है और उनके छुड़ाने की कोशिश के बाद भी बरसों से ट्रेसपासर्स के कब्जे में चली आती है ?

(३) सार्वजनिक उपयोग की भूमि को अनधिकृत कब्जों से बचाये जा सकने के लिये सरकार क्या उचित कदम उठायेगी ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी नहीं।

(२) ४२ गांवों में करीब ५४४ बीघा भूमि पर ऐसे कब्जे हैं।

(३) तहसीलदारों को अनधिकृत कब्जे हटाये जाने के कानूनन अधिकार हैं। तहसीलदारों को अपने अधिकार काम में लाने के लिये आदेश दे दिये गये हैं।

श्री जुझारसिंह : प्रश्न के पहले भाग का क्या उत्तर दिया ? मुझे सुनने में नहीं आया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जी नहीं।

श्री जुझारसिंह : आपने जवाब दिया है "जी नहीं"। चरागाह के नाम से भूमि अलग निकाल रखी है। लोडाहेड़ा और विनोद में जमीन अलॉट की है। आपकी जानकारी के लिये निवेदन कर दूं। इसके लिये फिर से पूछा जाय आपकी एजेन्सीज ही उनको अलॉट करने लग जावेंगी तो उनको बचायेगा कौन ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जहां-जहां पर अनधिकृत हैं, जिनको अलॉट की हैं उनकी अलग सूची दी है। भाग १ में मैंने निवेदन किया। एडवाइजरी अलॉटमेन्ट कमेटी है, उसने चरागाह में दर्ज भूमि को अलॉट नहीं

Page No. 5

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
किया आप कहते हैं कि अलॉट किया है तो इसकी फिर से जानकारी करा सकता हूं।

श्री जुझारसिंह : अलॉट किया है। उसकी आप जांच करा लें। ट्रेसपासर्स को निकाले हुए पांच-सात वर्ष हो गये, उनकी वजह से काम में नहीं ली गयी। वह चरागाह के रूप में ही रहे और आगे के लिये इस प्रकार से अनधिकृत कब्जे न हों, इसके लिये कोई व्यवस्था करें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करने के साथ साथ मैंने पहले ही आदेश जारी कर दिये हैं कि तीन महीने में जांच करके रिपोर्ट दें।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : जिन चरागाह पर कब्जा कर लिया गया है, तहसील के द्वारा उनके खिलाफ कोई कार्यवाही ही नहीं हो रही है। नाजायज कब्जा है और लगान भी नहीं ले रहे हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसके सम्बन्ध में जनरल इन्स्ट्रक्शन्स इश्यू किये हैं और इस प्रश्न में खास तौर से तीन महीने में जांच करके बताने के लिये लिख दिया है। प्रोग्रेस को हम वाच करेंगे।

श्री गोविन्दसिंह : सिर्फ सरपंचों से दस्तखत ले लिये हैं। तहसील वाले अलॉट कर देते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : चरागाह की पत्थर गढ़ी करा दी जावे और प्लान भी उसके पंचायतों को दे दिये जावें, इस प्रकार के इन्स्ट्रक्शन्स इश्यू कर दिये गये हैं।

श्री भ्रवणलाल (हिन्डौन-सु.) : जिन चरागाहों को अलॉट कर दिया है उनके लिये क्या किया है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उनके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर रहा हूं। अभी क्या कार्यवाही की जा रही है, मैं नहीं कह सकता। ऐसी शिकायत नहीं है कि चरागाह में दर्ज होते हुए भी अलॉटमेन्ट कमेटी ने या तहसीलदार ने अलॉट कर दी है।

श्री जुझारसिंह : दो गांव की तो मैंने बताया है, वहां तो अलॉट कर दी गई। उसके लिये स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा और आपने जवाब दिया कि नहीं अलॉट की, जब कि तहसीलदार ने अलॉट की है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसकी दुबारा जांच करवा रहा हूं।

प्रश्न संख्या २२८

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा!

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २२९

श्री रघुनाथ बिश्नोई!
(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २३०

श्री भैंरवलाल "काला बादल"!

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री भीमसेन!

बीकानेर में डी. एम. एन्ड एच. ओ. के पद का भार

२३१. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जिला बीकानेर में डी. एम. एन्ड एच. ओ. के पद का भार वहां के सीनियर स्पेशलिस्ट सर्जन एवं प्रोफेसर ऑफ सर्जरी को दे रखा है ?

(२) क्या यह सही है कि वे एस. पी. मेडिकल कॉलेज बीकानेर में प्रोफेसर होने के कारण बीकानेर से बाहर अस्पताल, डिस्पेन्सरी, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों के निरीक्षण हेतु दौरा करने में असमर्थ हैं ? अगर हां, तो उपरोक्त व्यक्ति डी. एम. एन्ड एच. ओ. की जिम्मेदारी को कैसे निभा सकते हैं ?

(३) क्या सरकार गंगाशहर या नौखा-मंडी में डी. एम. एन्ड एच. ओ. का कार्यालय स्थानान्तरित करके किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करने का इरादा रखती है ?

चिकित्सा मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) जी हां।

(२) व (३) जी हां। इन दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए डी. एम. एन्ड एच. ओ. कार्यालय नौखामंडी से गंगाशहर के लिये आदेश जारी कर दिये गये हैं।

श्री भीमसेन : ये आदेश कब जारी किये गये हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : १५ फरवरी, १९६५ को आदेश जारी किये गये। पहले नौखा के लिये, अब तरमीम की गई है गंगा-शहर के लिये।

श्री अध्यक्ष : श्री मजलिस खां !

भरतपुर जिले के मुसलमानों को सनदें एवं खातेदारी हकूक

२३२. श्री मजलिसखां (कामां) : क्या सहायता एवं पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले के मेव व दीगर मेव मुसलमानों को अभी तक भूमि प्राप्ति की सनदें नहीं मिली हैं और इसी कारण उनको खातेदारी हकूक भी नहीं मिले हैं ?

(२) यदि हां, तो सनदें न दिये जाने का क्या कारण रहा है ?

(३) क्या यह भी सही है कि सरकार का केवल उन्हीं लोगों को खातेदारी हकूक देने का विचार है जिनको अपनी असल भूमि लौटाई गई है या बदले में भूमि दी गई है ?

(४) क्या यह भी सही है कि ऐसे लोगों को खातेदारी हकूक नहीं दिये जावेंगे जिनको सम्वत् २००३ को काश्त की बिना पर एलॉटमेन्ट किया गया है ?

(५) क्या यह भी सही है कि सम्वत् २००३ को काश्त के एलॉटीज के दाखिल खारिज दर्ज नहीं किये जाते हैं ?

सहायता एवं पुनर्वास मंत्री (श्री अमृत-लाल यादव) : (१) जी हां, सनदें जारी करने की कार्यवाही की जा रही है। जिनको सनदें दे दी गई हैं उनको खातेदारी हकूक मिल चुके हैं।

Page No. 7

(श्री अमृतलाल यादव)

(२) फॉर्म छप कर न आने के कारण अब तक सनदें जारी नहीं की जा सकीं। अब फॉर्म आ गये हैं और तहसीलदारों को तुरन्त सनदें जारी करने के आदेश दे दिये हैं।

(३) जी हां।

(४) यह प्रश्न केन्द्रीय पुनर्वास मंत्रालय व राज्य सरकार के मध्य विचाराधीन है।

(५) जी हां।

श्री मजलिसखां : यह कब तक फाइनल हो जावेगी ?

श्री अमृतलाल यादव : यह विचाराधीन है। उसका सम्बन्ध भारत सरकार से आता है। कोशिश की जायगी, जल्दी हो जावे।

श्री मजलिसखां : अध्यक्ष महोदय, यह १८ साल से मामला चल रहा है। यह स्थिति है कि एक किसान को चार जगह जमीन अलॉट हुई है। एक जगह छोड़ता है तो तीन जगह नहीं छूटती हैं। भ्रष्टाचार काफी फैला हुआ है। मंत्री महोदय ने इस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि भारत सरकार से कब तक निर्णय करवा लेंगे और कब तक उसको लागू करेंगे ?

श्री अमृतलाल यादव : माननीय सदस्य को अच्छी तरह से मालूम है कि इस मामले में स्पेशल स्टाफ लगा कर लोगों को जमीन दी गई। जहां तक खातेदारी का सवाल है उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज रही हैं और भारत सरकार बीच में आती है। यह आपने कहा कि १८ साल से ध्यान नहीं दिया जाता, यदि ध्यान नहीं दिया जाता तो मेव आबाद ही नहीं होते। यह ठीक है कि खातेदारी राइट्स दिलाने के लिये वे जितने उत्सुक हैं, उतने ही हम हैं।

श्री भवगलाल (हिन्डौन-सु०) : यह कितने दिन से पेन्डिंग हैं ?

श्री अमृतलाल यादव : यह पुनर्वास का मामला है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह अलवर भरतपुर में जमीन कीमत से दिये जाने का है, सरकार ने इवेक्यु जमीन जो कस्टोडियन की है उसके लिये रूल्स बनाये हैं ?

श्री अमृतलाल यादव : एक सवाल पहले आया था उसका जवाब दिया गया था। रूल्स की बात नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : खातेदारी के हकूक दिये जा रहे हैं। सरकार नॉर्मल टीनेन्सी एक्ट में दे रही है।

श्री अमृतलाल यादव : कस्टोडियन की जमीन है वह, उसके एक्ट के तहत कार्यवाही होगी और सरकार ने उसका मुआवजा देकर ले ली है, उसकी राजस्थान टैनिन्सी एक्ट के तहत कार्यवाही होगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राजस्थान सरकार ने कस्टोडियन को कितना रुपया दिया ?

श्री अमृतलाल यादव : यह अलग से सवाल है।

Page No. 8

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : खातेदारी हुकूक दे रहे हैं, उसके सम्बन्ध में कितनी रकम ली जा रही है ?

श्री अमृतलाल यादव : यह प्रश्न पूछ लेते। पट्टा कमेटियां बनी हुई हैं, वे जमीन देती हैं। वे जमीनें देने के बाद हम चाहते हैं कि हर साल पट्टा न देकर खातेदार बनाये जांय, उसके लिये सुविधा देने का सवाल है। उसकी कार्यवाही चल रही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह राज्य सरकार को अपनी तरफ से या भारत सरकार की तरफ से ?

श्री अमृतलाल यादव : अपनी तरफ से मैं कहना चाहता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह कमेटी पट्टा कमेटी के अलावा बनी हुई है ?

श्री अमृतलाल यादव : कस्टोडियन की जमीन है वह कस्टोडियन डिपार्टमेण्ट की ओर से दी जा रही है। राज्य सरकार ने कस्टोडियन को मुआवजा देकर जमीन ले ली थी उसका सवाल आता है। मुआवजा की जमीन दे दी गयी जिनको रसीदें जारी करने का सवाल था उनका सवाल यह था कि जारी नहीं हुई हैं, रसीदें छपने में देर हो गई इसलिये नहीं दी गई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रसीदें देते हैं तो जमीन की कीमत वसूल करके देते हैं या ऐसे ही देते हैं ?

श्री अमृतलाल यादव : खातेदारी राइट्स दिये जावेंगे तो कीमत के साथ दिये जावेंगे।

श्री मजलिसखां : ये वे जमीने हैं जिनकी कीमत नहीं ली जावेगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यही सवाल है; आप कहते हैं कि रकम जावेगी और वे कहते हैं कि नहीं ली जावेगी।

कुमारी उमा माथुर (रामगढ़) : यह मेवों को बसाने के लिये सम्वत् २००३ में जो लोगों के पास भूमि थी वह भूमि और लोगों के कब्जे में होने के पश्चात् उनको उस भूमि के एवज में भूमि दिये जाने का सवाल है। ऐसी कोई पट्टा कमेटी नहीं है। मंत्री महोदय कह रहे हैं कि पैसा लिया जा रहा है, ऐसा प्रश्न नहीं है। आज १५-१६ साल हो गए उनको सनदें नहीं दी जाती हैं, न किसी को खातेदारी अधिकार दिए गए हैं। हर बार जब इस प्रकार का प्रश्न उठता है तो यही प्रश्न आता है कि अभी तक केन्द्रीय सरकार से इस संबंध में बातचीत कर रहे हैं। मेवों को पुनर्वास विभाग द्वारा नोटिसेज़ दिए जाते हैं, इस संबंध में हजारों मुकदमें चल रहे हैं जिससे किसानों को बहुत परेशानी हो रही है। इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार इस सम्बन्ध में बहुत जल्दी निर्णय ले।

श्री अमृतलाल यादव : दो तरह की जमीनें वहां पर हैं। जो कस्टोडियन ऑफ इवेक्यूई प्रोपर्टी की जमीन है वह कुछ लोकल्स को दी गई, कुछ रिफ्यूजीज को। जिन रिफ्यूजीज के पास क्लेम्स हैं उनको क्लेम्स के अगेन्स्ट दी गई। इसके अलावा जो नॉन-क्लेमेंट्स थे उनको भी जमीन दी गई और लोकल्स को भी दी गई तो जो नॉन-क्लेमेंट्स और लोकल्स को दी गई, उस जमीन की कीमत स्टैंडर्ड एकड़ के हिसाब से लेने का सवाल

(श्री अमृतलाल यादव)
हुंता है और जो मेज को देने का सवाल है उसके लिए जो पाकिस्तान चले गए थे ।

श्री मजलिस खां : यह गलत है ।

श्री अमृतलाल यादव : जो लोग वहां से छोड़कर चले गए, पाकिस्तान जाने के इरादे से कुछ चले गए, कुछ गुड़गांव जाकर वापस आ गए । तो जो छोड़कर चले गए उनकी जमीन इवेक्यू होकर दूसरों को दी गई और जो वापस आ गए उनको बसाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार ने ले ली । तो जो जमीन वे छोड़ कर गए थे वह जमीन उनको देने का सवाल आता है । जो जमीन के बदले जमीन देनी है इसमें कीमत का प्रश्न है और जो दूसरे नॉन-अलॉटिस रिफ्यूजीज हैं और लोकल्स हैं उनको स्टैंडर्ड एक्ड के अनुसार देना है । दोनों को मिक्स अप मत करें ।

एक माननीय सदस्य : यदि गुड़गांव गए तो वह हिन्दुस्तान में हैं या पाकिस्तान में ?

श्री मजलिस खां : वह हिन्दुस्तान में है । यह सवाल साफ है, मेज के लिए जो उनकी ओरिजिनल होल्डिंग्ज थे, जिन गांवों में सरकार ने रिफ्यूजीज को नहीं बिठाया था वे जमीनें उनका सरकार ने रेस्टोर कर दीं, उनकी सनदें भी इश्यू नहीं हुई हैं, जब कि ओरीजिनली उनके खातेदारी राइट्स थे । दूसरे जहां पर रिफ्यूजीज बैठ गए हैं और मेव्ज उसके मालिक थे, किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन को काश्त कर दिया उसका भी कुछ नहीं हुआ है । तीसरा, एक भूमि इस प्रकार है जहां मेव्ज संवत् २००३ में काश्त करते थे, उसका भी सवाल आता है । मंत्री महोदय अच्छी तरह समझ लें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : समझ हो तब समझें । एक बात साफ हो जाय । माननीय सदस्य और माननीय सदस्या कहती हैं कि सनदें कीमतों के बदले नहीं दी जाती हैं । मंत्री महोदय दूसरी बात करते हैं ।

श्री मजलिस खां : हमारी बात सही है इसलिए कि हम भुगत रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुलजब्बार खां ।

भीलों को जमीन का एलॉटमेंट, तहसील निम्बाहेड़ा

२३३. श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

कोटड़ी कलां, पटवार सर्कल कोटड़ी, तहसील निम्बाहेड़ा के कितने भीलों की दरख्वास्तें एलॉटमेंट कमेटी में पेंडिंग हैं ? उन्हें आज तक जमीन क्यों नहीं दी गई ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): कोई प्रार्थना-पत्र विचाराधीन नहीं है ।

श्री अब्दुलजब्बार : यह जवाब वहां से आया है या यहां से ही कोई झूंठ-मूंठ जवाब दे दिया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जहां से जवाब आना चाहिए वहां से आया है ।

श्री अब्दुलजब्बार : उस तहसीलदार को सस्पेंड करिए जिसने ऐसा खतरनाक जवाब लिख कर भेजा है; यह जवाब झूंठा है, गलत है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : गलत है, बेबुनियाद है वह तो आप जानें, लेकिन वह भी आंकड़ा मैं बता सकता हूं कि १९६४ में कितनी दरख्वास्तें आईं, कितनी मंजूर हुई

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

कितनी खारिज हुईं। इसी तरह १९६५ के बारे में भी है। दो साल के बारे में खास तौर से मैंने जानकारी कर ली थी उत्तर आने के बाद। तो उससे मैं निवेदन कर रहा हूं कि या तो दर्ख्वास्तें मंजूर हो गई हैं या खारिज हो गई हैं और अब भविष्य में जो एप्लीकेशन्स आएंगी उनका एलॉटमेंट होगा।

श्री अब्दुल जब्बार : मंत्री महोदय के पास शायद रिकॉर्ड होगा कि बारी में मीटिंग हुई और उसको एडजोर्न किया, वह प्रोसीडिंग्ज में लिखा है। इन एप्लीकेशन्स के लिए उनको हैडक्वार्टर्स पर बुला लिया जायगा। अब उनको पेंडिंग माना जाय या डिस्पोज्ड ऑफ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : १९६४ के अन्दर भीलों के ४० प्रार्थना-पत्र आए थे और १९ प्रार्थना-पत्र मंजूर हुए और २१ खारिज हुए; ६१.३/४ बीघा जमीन एलॉट हुई। इसी तरह से १९६५ के अन्दर ३५३ प्रार्थना-पत्र मंजूर हुए और ६० खारिज हुए और ३०३.३/४ बीघा जमीन एलॉट हुई। खारिज होने के कारण यह है कि या तो पहले उनके पास भूमि है या दूसरी जगह चले गये या नगरपालिका के दो मील की सीमाओं के अन्दर दर्ख्वास्तें दीं या चारागाह की जमीन हैं उसके लिए दरख्वास्तें दीं। इस प्रकार की दरख्वास्तें खारिज हुई हैं और बाकी जो एलॉटमेंट मन्जूर हुआ वह भी आपसे निवेदन कर दूं।

श्री अब्दुल जब्बार : मेरा प्रश्न है कि कोटड़ी कलां, पटवार सर्कल कोटड़ी, तहसील निम्बाहेड़ा के कितने भीलों की दरख्वास्तें एलॉटमेंट कमेटी में पेंडिंग हैं?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कोई दरख्वास्त नहीं है। इसका सीधा इलाज है। अगर आप बता दें कि किन लोगों के प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं तो मैं उन प्रार्थना-पत्रों को यहां मंगा लूं, जिससे देख सकें कि निर्णय हुआ है या नहीं। आप जो फरमा रहे हैं वह अगर सही हुआ तो जो करना चाहिए वह करूंगा।

श्री अब्दुल जब्बार : ठीक है, मैं आपको दरख्वास्तें पहुंचा दूंगा और आश्वासन चाहता हूं कि कम से कम जो ऐसा जवाब देते हैं वह चाहे क्लर्क हों, चाहे कोई भी हो, ऐसा झूठा रिकार्ड देने से कैबीनेट पर लांछन आता है। तहसीलदार को आप सस्पेन्ड करें। मैं दावे के साथ कहता हूं ....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप बताएं तो सही, then I shall look into it

श्री अब्दुल जब्बार : I am just going to produce it.

श्री डूंगाराम राजोरिया (अमवाराम-गढ़) : आपने १९६४-६५ में जमीन एलॉट की, वह बताई उसके अलावा और कितनी दी?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह तो भीलों का प्रश्न था इसलिए मैंने अपने तौर पर सूचना मंगाई थी।

श्री डूंगाराम राजोरिया : वह भी बताना चाहिए।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पूछ लेते तो बता देते। आप अब जनरल इन्फोर्मेशन मांगते हैं कि कितनी दी और कितनी नहीं दी।

श्री डूंगाराम राजोरिया : प्रश्न यह पैदा होता है कि भीलों को न देकर दूसरों को दी गई।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने जवाब में कह दिया है कि इतनी दरख्वास्तें भीलों की मंजूर हुई और इतनी खारिज हुई और कारण भी बता रहे हैं।

श्री डूंगाराम राजोरिया : लेकिन भीलों की खारिज करें और दूसरे लोगों को दी जाय, तो फिर यह कारण बन जाता है।

श्री अध्यक्ष : वह कमेटी वालों पर निर्भर है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : मंत्री महोदय कहते हैं कि दरख्वास्तें आई हैं, इनके पास सुबूत है नहीं कि क्यों खारिज हुई ?

श्री अध्यक्ष : श्री उम्मेदसिंह।

डी० एम० एण्ड एच० ओ० एवं सी० एम० ओ० के पद का आधार

२३४. श्री उम्मेदसिंह (बाड़मेर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) राज्य सरकार द्वारा जिला चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी (डी. एम. एण्ड एच. ओ.) और मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सी. एम. ओ.) पदों को अलग-अलग जिलों में बांटने का क्या आधार है ?

(२) क्या यह सही है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रशासनिक दृष्टि से जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मातहत नहीं हैं ?

(३) क्या यह भी सही है कि कई जिलों में उक्त दोनों पदों के जो अधिकारी हैं एक दूसरे से इन्डिपेन्डेन्टली कार्य कर रहे हैं ?

(४) अगर हां, तो जहां जिलास्तरीय अधिकारी (डी. एम. एण्ड एच. ओ.) हैं तो वहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी की क्या जरूरत है ?

(५) क्या यह सही है कि राजस्थान में कई जिलों में जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जो जिलास्तरीय अधिकारी होने के नाते जिला के हैडक्वार्टर पर होने चाहिये वहां न होकर जिले में कहीं और रखे गये हैं ? अगर हां, तो ऐसा क्यों है ?

(६) क्या सरकार उक्त दोनों पदों का, जिनका कि कार्यक्षेत्र, क्षमता व शक्तियां एक हैं, एकीकरण करके व्यय को कम करने का विचार रखती है ?

(७) अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) राज्य के बड़े जिलों में जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों के स्थान हैं, जब कि प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों के छोटे जिलों में स्थान हैं। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ज्यादा संस्थाओं का निरीक्षण करता है जब कि प्रमुख चिकित्सा अधिकारी उसके बनिस्पत कम स्थानों का निरीक्षण करता है।

(२) जी हां।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(३) जी नहीं, किसी जिले में जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी व प्रमुख चिकित्सा अधिकारी दोनों नहीं हैं, परन्तु एक ही जिला भरतपुर ऐसा है जिसमें प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी व प्रमुख चिकित्सा अधिकारी हैं, जो एक दूसरे के मातहत नहीं हैं, वे स्वतंत्र हैं।

(४) धौलपुर में एक प्रमुख चिकित्सा अधिकारी इस कारण रखा गया है कि धौलपुर एक प्रमुख सब-डिस्ट्रिक्ट है और बड़ा अस्पताल, पुरुष व महिलाओं के लिए १५० रोग शैयाएं हैं अतः यह स्थान यहां प्रशासनिक दृष्टि से रखना अनिवार्य है। डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर भरतपुर से यह क्षेत्र दूर भी पड़ता है।

(५) निम्नलिखित जिलों में जिला मुख्यालय जिला के दूसरे स्थानों में रखे गये हैं:—

क्र. सं.	जिले का नाम	जिला मुख्यालय
१.	जयपुर	दौसा से जयपुर स्थानान्तरित होने के आदेश जारी हो चुके हैं।
२.	सवाई माधोपुर	करोली
३.	चूरू	रतनगढ़
४.	चित्तौड़	प्रतापगढ़
५.	बीकानेर	नोखा (इसको अब गंगाशहर में रखने के आदेश दिये गये हैं)
६.	जालौर	बाड़मेर
७.	जोधपुर	पीपाड़ सिटी
८.	उदयपुर	राजसमंद
९.	अजमेर	ब्यावर

यह प्रशासनिक दृष्टि से किया गया है।

(६) व (७) इस प्रकार का मामला विचाराधीन नहीं है। इसमें अतिरिक्त धन-राशि व्यय होगी।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : करौली जो हैड क्वार्टर किया है वह क्या प्रशासनिक दृष्टि से ठीक है?

श्री दामोदरलाल व्यास : करौली इस दृष्टि से किया है कि करौली का अस्पताल ऐसा है कि वहां तमाम सुविधायें प्राप्त हैं।

श्री दिग्विजयसिंह : डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर रखते हैं तो करौली भी तो डिस्ट्रिक्ट हैड-क्वार्टर है?

श्री अध्यक्ष : जो डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर नहीं हैं उन सबको तोड़ दिया गया है।

श्री दिग्विजयसिंह : करौली एक कोने में है, कोर्नर ऑफ दी डिस्ट्रिक्ट है प्रशासनिक दृष्टि से बहुत उत्तम है। क्या सरकार इस पर पुनः विचार करेगी?

श्री जुझारसिंह (चेचट) : चित्तौड़ में मोडर्न हॉस्पिटल बनाया है, लेकिन उसका हैडक्वार्टर प्रतापगढ़ रखा है?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो अभी बना है प्रतापगढ़ पहले से ही डिस्ट्रिक्ट हैड-क्वार्टर है। (डी. एम. एच. ओ.) चित्तौड़ में महीने में कुछ दिन रहते हैं बाकी सारे दिनों में जिले की डिस्पेन्सरीज का निरीक्षण करते हैं।

Page No. 13

श्री दिग्विजयसिंह : सवाई माधोपुर से करौली बदलने का विचार रखती है।

श्री दामोदरलाल व्यास : अभी तब्दील करने का विचार नहीं है। सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में अस्पताल बन जाय तब देखा जायगा।

श्री दिग्विजयसिंह : अपने आप तो नहीं बन जायगा, आप बनाओगे तब बनेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अभी बना नहीं है, बनाने का विचाराधीन है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): धौलपुर में सी. एम. ओ. कब से है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : धौलपुर में बहुत अर्से से है, करीब दस वर्षों से है।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

बीकानेर स्थित केन्द्रीय कार्यालय के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

२३५. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि फरवरी, १९६१ में उप-शिक्षा मन्त्री महोदय ने यह आज्ञा दी थी कि दो तीन वर्षों से अधिक समय से विभाग के बीकानेर स्थित केन्द्रीय कार्यालय में कार्य कर रहे कर्मचारियों और अधिकारियों का स्थानान्तरण कर दिया जाय ?

(२) क्या यह सही है कि अभी भी अनेकों व्यक्ति हैं जो तीन वर्ष से अधिक समय से उस कार्यालय में काम कर रहे हैं ? कृपया तीन वर्ष से ऊपर समय से कार्य कर रहे व्यक्तियों की संख्या बतायें ?

शिक्षा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) :
(१) ऐसी कोई आज्ञा नहीं है।

(२) ऐसे अधिकारियों व कर्मचारियों की सूची जो तीन वर्ष से अधिक समय से अतिरिक्त संचालक प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा कार्यालय में कार्य कर रहे हैं, सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार के ऐसे आदेश हैं कि जनरल तौर पर तीन वर्ष से अधिक समय तक किसी कर्मचारी को एक स्थान पर न रखा जाय ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा: अभी थोड़े दिन पहले एस्टेब्लिशमेंट क्लर्क्स के तबादले के आदेश दिये गये हैं, इनको एक स्थान पर तीन साल से अधिक न रखा जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: एस्टेब्लिशमेंट क्लर्क्स जो छोटे कर्मचारी हैं उनका आप तीन साल पहले तबादला कर देते हैं और ऊपर के अधिकारी कई जगह तीन साल से भी ज्यादा अर्से से काम कर रहे हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कौन बड़े अधिकारी? आप नाम बतलाइये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं किसी के नाम में इन्ट्रेस्टेड नहीं हूं। मैं प्रिंसिपल की बात करता हूं। अल्प वेतनिक कर्मचारियों का तो आप तीन साल से पहले ट्रान्सफर कर देते

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
हैं और ऊंचे कर्मचारियों का नहीं इसमें क्या कारण है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा: एस्टेब्लिशमेन्ट्स क्लर्क्स की बहुत शिकायतें आती रही हैं, इसलिए यह जनरल ऑर्डर कर दिया; इसका नतीजा भी अच्छा निकला है। इन्स्पेक्टर्स का तो ट्रान्सफर होता रहता है, दो साल में या तीन साल में। इसके ऊपर डिप्टी डाइरेक्टर्स हैं, जिसकी केवल तीन पोस्टें हैं जो बाहर ही हैं; जोधपुर, जयपुर और उदयपुर। ये भी मेरे ख्याल से दो दो साल से एक जगह पर हैं और इनमें से दो तो रिटायर होने वाले हैं, इसलिए इनका तबादला करके गड़बड़ पैदा करने से कोई फायदा नहीं है।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट; श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत डाक्टरों का वेतन

२३६. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत कार्य करने वाले डाक्टरों को सौ रुपये विशेष वेतन के तौर पर देने की आज्ञा हुई थी?

(२) क्या यह सही है कि यह वेतन ११-८-६३ तक मिलता रहा और अब नहीं दिया जा रहा है?

(३) यदि हां, तो अब क्यों नहीं दिया जा रहा है ?

(४) क्या यह सही है कि महालेखापाल ने इस संबन्ध में कोई क्लेरिफिकेशन मांगा था ?

(५) यदि हां, तो यह क्लेरिफिकेशन किस तारीख को मांगा और उसका उत्तर विभाग ने वापिस किस तारीख को दिया और क्या दिया ?

(६) क्या यह सही है कि इस विशेष भत्ते वेतन को समूची रकम कॉर्पोरेशन देता है और राज्य सरकार को निजी कोष से कुछ खर्च नहीं करना पड़ता?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) महालेखाकार ने कुछ आपत्तियां उठा रखी हैं इसलिए नहीं दिया जा रहा है।

(४) जी हां।

(५) महालेखाकार ने पत्र दिनांक १०-१२-६३ के द्वारा और दिनांक २४-७-६४ के द्वारा डाक्टरों के बारे में इस विशेष वेतन के लिए स्पष्टीकरण मांगा और जवाब सरकार के विचाराधीन है।

(६) जी हां।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत: इतने समय तक क्यों नहीं दिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास: अभी मैंने अर्ज किया, ए० जी० के कुछ आपत्ति के कारण नहीं दिया जा रहा था, अब उनका निराकरण कर दिया गया है। जल्दी ही १०० रुपये देने के बारे में आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

Page No. 15

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : कब तक ये आदेश जारी कर देंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : एक दो रोज में।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : यह किसकी गलती के कारण इतने दिन रुका रहा।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मेरे विभाग की गलती है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : सच्चाई के साथ आपने जो यह स्वीकार किया उसके लिए धन्यवाद इससे उप शिक्षा मंत्रीजी सबक लेंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह): मैं महिला से सबक लेना नहीं चाहता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आपके लिए नहीं कहा है, शिक्षा मंत्रीजी के लिये कहा है।

श्री निरंजनाथ आचार्य : 'उप' लगाया है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : उप-शिक्षा मंत्री जी इससे सबको लीजिये ना।

तहसील देवली के कुछ गांवों को तहसील उनियारा में मिलाना

२३७. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) [श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) द्वारा पूछा गया]: क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि तहसील देवली के नगर, चारनेर, गुराई आदि कई गांव तहसील हैडक्वार्टर से ३८ मील दूर हैं जब कि ये तहसील उनियारा से सिर्फ १४ मील दूर हैं ?

(२) क्या यह सही है कि ये गांव पहले तहसील उनियारा में ही थे ?

(३) क्या यह सही है कि इन गांवों से तहसील देवली पहुंचने के लिये बस द्वारा ७६ मील रास्ता चलना पड़ता है ?

(४) क्या सरकार इन गांवों को वापस उनियारा तहसील के अधीन करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): १. जी नहीं। तहसील देवली से नगर २८ मील, चारनेट २६ मील व गुराई २८ मील दूर है और तहसील उनियारा के हैड-क्वार्टर अलीगढ से उक्त ग्राम क्रमशः २० मील, २५ मील व २२ मील दूर पड़ते हैं।

२. जी नहीं।

३. जी नहीं।

४. जी नहीं।

उनियारा अस्पताल में इनडोर मरीजों की व्यवस्था

२३८. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

१. क्या यह सत्य है कि उनियारा के अस्पताल में उनियारा ठिकाने के वक्त उस अस्पताल में इनडोर मरीजों को रखने की व्यवस्था थी और अब वहां से यह व्यवस्था हटा दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

२. क्या यह सत्य है कि वहां पर मरीजों की संख्या काफी रहती है और उसमें देहाती

Page No. 16

(श्री दिग्विजयसिंह)
हुए इनडोर मरीजों की व्यवस्था होना आवश्यक है ?

३. क्या सरकार इस इलाके और उनियारा नगर की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए इस अस्पताल को अपग्रेड करने का विचार रखती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) १. जी नहीं।

२. व्यवस्था है।

३. उनियारा नगर और इलाके को ध्यान में रखते हुए वर्तमान सुविधायें पर्याप्त हैं।

श्री दिग्विजयसिंह : आपने प्रश्न के भाग १ में कहा कि जी नहीं यह आप कैसे कहते हैं जब कि वहां पर पहले व्यवस्था थी, ठिकाने के टाइम में व्यवस्था थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे पास जो सूचना सी० एम० ओ. टोंक की आयी है उसमें उन्होंने कहा है कि १९५४ से ६४ तक इनडोर पेशेन्ट्स के रखने की व्यवस्था नहीं थी।

श्री दिग्विजयसिंह : उनियारा ठिकाने के समय में थी।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह राव राजा साहब से पूछ कर बता सकता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ये खुद पूछ नहीं सकते हैं क्या ?

श्री दिग्विजयसिंह : मैं भी उनका लड़का हूं, मुझे भी मालूम है।

श्री अध्यक्ष : अभी तो व्यवस्था है।

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, चार बैड्स की व्यवस्था है।

श्री दिग्विजयसिंह : चार बैड्स की जो व्यवस्था की आप बात कहते है, क्या आपने इसकी तस्दीक कर लिया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने तस्दीक करके हां कहा हैं अगर यह गलत होगा तो जिनने सूचना दी है उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-मु०): यह कब से चालू है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : तारीख तो मेरे पास नहीं है लेकिन व्यवस्था है।

श्री दिग्विजयसिंह : क्या मरीजों की संख्या को देखते हुए पर्याप्त है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ये चार भी नहीं भरते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री गोविन्दसिंह।

काश्तकारों के खाते में बांधे जाने वाले सरकारी कुए

२३६. श्री गोविन्दसिंह : (पिड़ावा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

१. तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़ में सरकारी कुए जो राजस्थान सरकार की पिछले वर्ष की घोषणा के अनुसार काश्तकार के खाते बांध जाना चाहिये था कितने हैं ?

२. राजस्थान सरकार की घोषणा के अनुसार कितने कुए काश्तकारों के खातों में लगा दिये गये हैं और इससे राज्य सरकार को कितनी आय हुई ?

Page No. 17

३. जो कुएं सरकारी अभी तक काश्त-कारों के खातों में नहीं लगाये गए उसके क्या कारण हैं ?

४. राज्य सरकार की घोषणा की तहसील द्वारा सम्बन्धित काश्तकारों को किस माध्यम से जानकारी कराई गई ? क्या पंचा-यतों को भी इसकी सूचना दी गई थी ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा:

(१) इस सम्बन्ध में काश्तकारों के द्वारा ३१ प्रार्थना-पत्र पेश किये गये और ६ मुकदमे लेण्ड रेवेन्यू की धारा ९१ के तहत विचाराधीन है। इस प्रकार कुल ३७ केसेज हैं।

(२) अब तक तहसील पिड़ावा में २ कुए काश्तकारों के खाते में बांधे गये हैं और इससे सरकार को ५० रुपये फीस सदन व २ फीस इन्तकाल की आय हुई है।

(३) इनके मुआमलों में जांच जारी है।

(४) राज्य सरकार की उक्त घोषणा की जानकारी प्रत्येक पटवारी हल्का तथा इन्सपेक्टर लेन्ड रेकॉर्ड द्वारा करवाई गई तथा दौरे के समय तहसीलदार पिड़ावा ने काश्तकारों तथा सरपंचों से सम्पर्क कर उनको जानकारी दी। इसके अतिरिक्त पंचायतों को सूचना के लिए जनसम्पर्क कार्यालय समस्त जिला परिषदों एवं पंचा-यत विभाग को भी लिखा गया था। तथा अखबारों एवं रेडियो आदि से भी जनता आगाह हुई।

श्री गोविन्दसिंह : यह जो स्कीम है वह तो राज्य सरकार ने अच्छा काम किया है, लेकिन इसकी जानकारी का जहां तक सवाल है वह बहुत सारे काश्तकारों को नहीं मालूम पड़ी, क्या उसके लिये अब भी कोई प्रचार की व्यवस्था करेगी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ३१-१२-६५ के बाद तक दरख्वास्त दे सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमने इस सर्कूलर में यह भी प्रावधान किया था कि जितने भी केसेज पेन्डिंग हैं उसमें आवेदन-पत्र की आवश्यकता नहीं है और वे बिना आवेदन-पत्र के भी इस सर्कूलर की रोशनी में डील किये जावें। इसके साथ ही साथ हमने यह भी प्रावधान किया है कि कोई प्रार्थना-पत्र न भी आवें, चाहे मामला पेन्डिंग में हो, फिर भी तह-सीलदार भी; अगर उसके नोटिस में कभी भी किसी दरख्वास्त के जरिये यह बात आई जावे तो वह सुओ मोटो उसकी भी कार्यवाही करके खातेदारी के अधिकार उनको उस कुए के सम्बन्ध में इस सर्कूलर की रोशनी में दे सकता है।

श्री गोविन्दसिंह : इसके लिए तहसीलदार से मेरी बात हुई है और उसने असमर्थता बताई कि तारीख निकल गई और चूंकि पिड़ावा में ऐसे बहुत से केसेज हैं, उनकी तरफ मुझे ध्यान दिलाना पड़ा; तो अब भी आप ध्यान रख कर उनको करने की कृपा करें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह सर्कूलर में लिखा हुआ है कि निश्चित तारीख की समाप्ति के बाद भी तहसीलदार स्वयं के विवेक से वैधकरण की कार्यवाही कर सकता है, बशर्ते कि सम्बन्धित आसामी सनद या फीस का भुगतान करने को तैयार हो।

Page No. 18

प्रश्न संख्या २४०

श्री अध्यक्ष : श्री मथुरेशबिहारी माथुर (अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री जोधसिंह।

राजस्थान महिला विद्यालय, उदयपुर के बोर्डिंग हाउस का भवन

२४१. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान महिला विद्यालय, उदयपुर के बोर्डिंग हाउस का भवन किसका है और वह इस विद्यालय के लिए कब से काम में आ रहा है ?

(२) क्या यह भवन किराये पर लिया गया था ? और क्या इसका किराया चुकाया जाना भी बाकी है ? यदि हां, तो कितने वर्षों का चुकारा बाकी है ?

(३) क्या यह सही है कि इस भवन के कुछ नये कमरे बनवाये गये हैं और उसके लिए सरकार द्वारा कोई ग्रांट दी गई है ?

(४) इस भवन में पी. डब्ल्यू. डी. के नक्शे के अनुसार पहले कितने कमरे थे ?

(५) क्या यह सही है कि यह भवन विद्यालय को बेच दिया गया है ?

यदि हां, तो कब और कितने में?

(६) क्या यह सही है कि इस भवन के पुराने कमरों पर नया प्लास्टर चढ़ा कर नये की कीमत वसूल कर ली गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (१) सरकारी है, व सन् १९५२ से संस्था के काम आ रहा है।

(२) जी हां, नवम्बर १९५९ तक का किराया चुकाया जा चुका है। इसके बाद यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन था कि भवन संस्था को कीमतन दे दिया जाय या किराया वसूल किया जाय।

(३) जी हां, राजस्थान सरकार द्वारा कोई सहायता इस कार्य हेतु नहीं दी गई।

(४) ४८ कमरे ६ बरामदे व तीन टीन शेड थे।

(५) जी नहीं।

(६) जी नहीं।

श्री जोधसिंह : बाकी किराये का क्या हुआ ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : ५९ तक का किराया वसूल कर लिया गया है।

श्री जोधसिंह : यह बिल्डिंग पी० डब्लू० डी० की थी और इसको किराये पर लिया था, पर बाद में किराया देना भी बन्द कर दिया गया।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अब तो यह प्रश्न इसलिए समाप्त हो जाता है कि सरकार निर्णय ले चुकी है कि इसको नोमिनल लीज पर संस्था को दे दी जावे, ९९ ईयर्स लीज के लिए। पुरानी बिल्डिंग की कीमत का असेसमेन्ट कर दिया गया है, इस हिसाब से उसकी कीमत ४९ हजार करीब है।

प्रश्न संख्या २४२

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनराज

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री हरवान।

प्रतापगढ़ में डिग्री कॉलेज

श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सत्य है कि प्रतापगढ़ में डिग्री कॉलेज गत साल खोला जाना था ?

यदि हां, तो नहीं खोलने का क्या कारण है ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि सरकार के आश्वासन पर प्रतापगढ़ में डिग्री कॉलेज खुलवाने के विषय में जनता द्वारा एक लाख रुपया एकत्रित किया जाकर पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो कॉलेज खोलने में क्या रुकावट आ रही है और अब भविष्य में कब तक खोल दिया जायगा ।

(३) क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ में कॉलेज खुलवाने के विषय को लेकर जनता की कई वर्षों से मांग चल रही है और इसी विषय को लेकर कॉलेज एजूकेशन डाइरेक्टर प्रतापगढ़ आकर इस वर्ष कॉलेज खोलने का आश्वासन जनता को दे आये हैं ।

यदि हां, तो क्या इस वर्ष प्रतापगढ़ में डिग्री कॉलेज खोल दिया जावेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (१) सीमित साधनों के कारण गत वर्ष प्रतापगढ़ में डिग्री कॉलेज नहीं खोला गया ।

(२) प्रतापगढ़ में इस वर्ष डिग्री कालेज खोलने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

(३) जी हां, मगर डाइरेक्टर कालेज एजूकेशन ने जनता को कोई आश्वासन नहीं दिया । इस वर्ष कॉलेज खोलने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

श्री हरलाल मीणा : यह विचाराधीन कब तक रहेगा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आप जुलाई तक इन्तजार कर लीजिये ।

इसके पहले पहले फैसला हो जावेगा और मैं कहता हूं फैसला करीब करीब हो गया है ।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती गौरी पूनिया । (अनुपस्थित)

श्री मोहरसिंह ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : २४४ प्रश्न जनरल है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : I will reply this on next monday.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह हम पहले ही जानते थे ।

न्याय पंचायतें

२४५. **श्री मोहरसिंह** (चूरू) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार के ध्यान में है कि अधिकांश न्याय पंचायतों को पंचायत समितियों से अंश-दान न मिलने के कारण न्याय पंचायतों की आर्थिक हालत बहुत खराब है जिसके कारण उनके न तो कार्यालय है, न उनमें सचिव हैं, जिससे उनकी स्थापना का उद्देश्य ही खतम हो गया है । यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ?

पंचायत मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : राज्य सरकार यह अनुभव करती है कि वर्त-

(श्री दामोदरलाल व्यास)
मान व्यवस्था के अनुसार न्याय पंचायतों को पंचायतों से पर्याप्त मात्रा में आर्थिक सहायता नहीं मिल पाती है। इस सम्बन्ध में सादिक अली रिपोर्ट में दिए गए सुझावों पर मन्त्रि मंडल ने निर्णय ले लिये हैं व उन्हें कार्यान्वित करने की कार्यवाही चालू है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : यह मंत्रि मंडल ने निर्णय कब लिया।

श्री दामोदरलाल व्यास : तारीख तो मालूम नहीं। पर मकसद आपका पूरा हो गया है।

श्री मोहरसिंह : मकसद कैसे पूरा होगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उनको मन्जूर कर लिया है इसलिये इम्प्लीमेण्टेशन होगा ही।

श्री मोहरसिंह : और कौन कौनसी सिफारिशें की हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सादिकअली कमेटी ने जो सिफारिशें की हैं उनको करीब करीब मन्जूर इस तरह किया है ;

"The Government should ensure.."

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सारा कागज पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप टेबल पर रख दीजिये। मोर इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन्स और बाकी हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं कागज रख देता हूं।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

पंचायत समितियों में ओवरसियर

२४६. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : क्या सामुदायिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) कितनी पंचायत समितियों में इस समय ओवरसीयर काम कर रहे हैं ?

(२) क्या यह सही है कि पंचायत समितियों में ओवरसीयरों की कमी है ?

(३) यदि हां, तो कमी के क्या कारण हैं ?

(४) क्या यह सही है कि ओवरसीयर सार्वजनिक निर्माण विभाग की सेवा में रहना पसन्द करते हैं और पंचायत समितियों में जाना पसन्द नहीं करते ?

(५) यदि हां, तो किन दिक्कतों के कारण व उन दिक्कतों को दूर करने के लिये सरकार की क्या तजवीज है ?

(६) क्या यह सही है कि ओवरसीयरों की कमी के कारण पंचायत समितियों के विकास कार्यों में अवरोध पैदा होता है ?

पंचायत मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :
(१) २०० पंचायत समितियों में।
(२) जी हां।
(३) योग्य व्यक्ति पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं।
(४) जी नहीं।
(५) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।
(६) कुछ अंश तक बाधा होती है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : पंचायत समितियों का रुपया लेप्स हो जाता है, हर जगह ओवरसीयरों की कमी रहती है।

Page No. 21

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि २०० में है। बाकी जिनमें नहीं हैं उनके लिये ऑर्डर कर दिया है कि एक पंचायत समिति, जिसके पास इतना ओवरसीयर है, उसे पास की दूसरी पंचायत समिति में, जिसके पास ओवरसीयर नहीं है, काम करने के लिये भेज सकते हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : पर उनका स्वयं का काम इतना होता है कि वह दूसरा काम कर ही नहीं सकता। लोग वहां के उनको भेजते नहीं।

श्री दामोदरलाल व्यास : ठीक है, मैं इसको महसूस करता हूं।

श्री लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : इस कमी को दूर करने के लिये क्या प्रयास किया जा रहा है?

श्री दामोदरलाल व्यास : सरकार सोच रही है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या यह सही है कि पंचायत समितियों में ओवरसीयर रहना नहीं चाहते या वास्तव में ही कमी है?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा, कमी है। ये भी इरिगेशन विभाग से दिये जाते हैं। पंचायत सर्विस के नहीं हैं। कमी ओल राउण्ड है। इसलिये यहां भी कमी है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अमुक अमुक पंचायत समितियों में पहले तो चले गये, पर बाद में छोड़ कर वे वापिस सरकार के विभाग में चले गये?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रश्न के जरिये माननीय सदस्या ने अपनी भावना को व्यक्त किया है। वे भी और मैं भी, पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के सदस्य हैं। उनमें यह स्थिति हमारे सामने बहस के दौरान आई कि सबकी शिकायत यह थी कि ओवरसीयर वहां रहना नहीं चाहते।

श्री अध्यक्ष : अब शिकायतें दूर हो जावेंगी जल्दी से।

श्री लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : कैसे हो जावेंगी?

श्री अध्यक्ष : श्री मजलिस खां!

कस्बा पहाड़ी में हायर सेकण्डरी स्कूल की मांग

२४७. श्री मजलिस खां (कामां) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि कस्बा पहाड़ी की माध्यमिक शाला में छात्रों की संख्या ४०० के करीब है?

(२) क्या यह भी सही है कि वहां की जनता ने हायर सेकण्डरी स्कूल की मांग की है और दस हजार रुपया भवन निर्माण के लिये इकट्ठा भी किया है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार वहां पर हायर सेकण्डरी स्कूल खोलने का विचार रखती है?

शिक्षा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (१) माध्यमिक शाला पहाड़ी के छात्रों की संख्या जनवरी, १९६६ में ४२७ रही है।

(२) कस्बा पहाड़ी की जनता द्वारा वहां पर हायर सेकण्डरी स्कूल खोलने के बारे में

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

कोई मांग प्राप्त होने पर विचार किया जावेगा। सन् ६६-६७ में माध्यमिक शालाओं को उच्चतर माध्यमिक शालाओं में परिवर्तित किया जावे या नहीं, इस प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

प्रश्न संख्या २४८

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण !

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २४९

श्री जुझारसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री मजलिस खां।

श्री जुझारसिंह (चेचट) : २२७ जो मेरा रह गया था, क्षमा करें, मैं आ गया हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : २४९ पूछ लें २२७ की जगह।

श्री अध्यक्ष : २२७ बाद में ले लेंगे, मैं पहले यह समाप्त कर दूं।

जुरहड़ा प्राइमरी हैल्थ सेन्टर के भवन का निर्माण

२५०. श्री मजलिस खां (कामां) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि जुरहड़ा प्राइमरी हैल्थ सेन्टर के भवन निर्माण के लिये जुरहड़ावासियों ने १०,०००) रुपया जमा करा दिये हैं? यदि हां, तो यह रुपया कब जमा कराया गया?

(२) क्या यह सही है कि उक्त भवन निर्माण के लिये स्थान भी निश्चित कर लिया गया है? यदि हां, तो निर्माण कार्य प्रारम्भ क्यों नहीं हुआ है?

(३) क्या सरकार भवन का निर्माण कार्य शुरू कराने का विचार रखती है?

चिकित्सा मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) जी हां, विकास अधिकारी द्वारा रुपया पी. डी. अकाउन्ट में जनवरी- १९६४ में जमा कराया गया है।

(२) जी हां, भवन निर्माण हेतु स्थान का निरीक्षण श्री पी. एम. एण्ड एच. ओ. भरतपुर द्वारा कर दिया गया है। श्री अधिशासी अभियन्ता (भवन एवं पथ) भरतपुर ने पत्र क्रमांक १५३५८ दिनांक २७-१२-६५ द्वारा सूचित किया है कि प्राथमिक हैल्थ सेन्टर जुरहेड़ा के भवन हेतु टेन्डर्स लिये गये हैं एवं शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ कराने हेतु ठेकेदार को दिया जावेगा।

(३) जी हां।

श्री अध्यक्ष : ऐसे सवाल का जवाब बहुत जल्दी देते हैं।

प्रश्न संख्या २५१

श्री जयनारायण सावोदिया !

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री रावतराम !

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री जुझारसिंह !

Page No. 23

(१२.०० मध्यान्ह)

ग्राम मालनवासा में भूमि का अलाटमेंट

२२७. **श्री कुमारसिंह (चेचट)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि खानपुर तहसील जिला झालावाड़ के ग्राम मालनवासा में जुलाई सन् १९६५ में कई व्यक्तियों को मालाखो पर एलॉटमेंन्ट कमेटी द्वारा भूमि एलॉट की गई थी और उनसे एलॉटमेंन्ट फी भी दर्ज करवा ली गई थी ? यदि हां, तो इस क्षेत्र में कुल कितनी जमीन कितने व्यक्तियों को अलॉट की गई थी ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त एलॉट की गई जमीन अब तक भी एलाटीज़ को सुपुर्द नहीं की गई है ? सुपुर्द नहीं करने का क्या कारण है ?

(३) क्या यह सही है कि जमीनों का सही इन्द्राज नहीं किया हुआ होने के कारण जगह-जगह गलत एलॉटमेन्ट हुए हैं और नदी के मार्जिनल लेण्ड्स पर अलॉटमेन्ट रोक कर जमीन के कटाव को कम करने के लिए सरकार उचित कदम उठावेगी ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां, एलॉटमेन्ट कमेटी द्वारा कुल १६ व्यक्तियों को १६१ बीघा जमीन अलॉट की गई थी। इसमें से १५ व्यक्तियों द्वारा फीस पट्टा जमा कराई गई है।

(२) उक्त एलॉटशुदा भूमि में से ८६।) बीघा भूमि वन विभाग की होने के कारण एलॉटमेंन्ट खारिज होने से कब्जा नहीं दिया गया है। बाकी रकबा सुपुर्द किया जा चुका है।

(३) भूतपूर्व कोटा स्टेट के समय यह गांव जागीर का गांव था, इस ग्राम का नक्शा पट्टा न होने से वन विभाग की भूमि अलॉट हो गई थी। जो मौके पर मालूम होने पर खारिज की गई है। केवल अलॉटशुदा ७४।।।) बीघा भूमि पर ही कब्जा दिया गया है और वह नदी के किनारे की जमीन नहीं है और न इस गांव में कोई नदी है।

श्री प्रभुलाल सेंन्टर (खानपुर) : क्या सरकार ने यह जांच कराई है कि उस इलाके में ऐसे कितने केसेज़ हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इलाके की जांच का प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य ने जो पूछा है उसका मैंने इसमें जवाब दिया है।

श्री प्रभुलाल सैंन्टर : माननीय अध्यक्षजी, निवेदन यह है कि उस इलाके में जो आपका सर्कुलर निकला था कि पिछड़ी जाति के लोगों को जमीनें दी जायें। मैं मान कर चलता हूं कि ५० परसेन्ट लोगों को जमीन मिली है और उसमें २५ परसेन्ट ऐसे व्यक्ति हैं जिनको या तो बरनोट की जमीन अलॉट कर दी गई है या फिर आसपास जो नदी के खरड़े हैं उनको अलॉट कर दिया गया है और २५ परसेन्ट लोगों को जमीन नहीं मिली हैं; इसकी जांच कराई जानी चाहिए।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह अलग से प्रश्न है। फिर भी यदि ऐसी समस्या को सामने रखा जायेगा तो उसकी जांच करेंगे, लेकिन माननीय अध्यक्षजी, मैं इसके आगे और निवेदन करना चाहता हूं कि इसके पीछे फोरेस्ट विभाग होने की वजह से कब्जा नहीं

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

मिल सका है। लेकिन इस बारे में इस प्रश्न को टेक-अप कर लिया है और फोरेस्ट की तहसील लेवल की जो कमेटी होती है उससे कहा है और वह इस जमीन को फोरेस्ट से वापिस रेवेन्यू विभाग को दे दे जिससे जिन लोगों को जमीन अलॉट की गई थी, लेकिन कब्जा नहीं दिया जा सका उनको हम इस जमीन के आ जाने पर उनको जमीन दे सकें, इस तरह से उनकी पूर्ति करने का हम प्रयास करेंगे।

श्री जुझारसिंह : मंत्री महोदय ने कहा है कि जागीर का गांव था इसलिए रेकॉर्ड अवेलेबल नहीं था, लेकिन आपके ही दिए हुए जवाब के आधार पर निवेदन करता हूं कि जहां सरकारी गांव थे समिति तहसील में १७ हजार एकड़ जमीन ऐसी है कि जिसकी न तो वन विभाग में एन्ट्री है और न रेवेन्यू विभाग में ही एन्ट्री है और उनका ऐसा डिस्प्यूट है कि जो गांव गांव में चल रहा है और डबल एन्ट्री के केसेज एक गांव में ही नहीं है, बल्कि यह आम प्रश्न है क्योंकि इसके लिए कोई फैसला नहीं दिया है; तो इसके बारे में आपको क्या कहना है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह समस्या जो है यह राजस्थान के कुछ हिस्सों में है जहां कि फोरेस्ट का सेटलमेन्ट अलग ऑथोरिटीज द्वारा और रेवेन्यू का सेटलमेंट अलग ऑथोरिटीज द्वारा करने से हुआ है। उनको लेकर कई बार ऐसा भी होता है कि एक जमीन फोरेस्ट में भी और वही रेवेन्यू विभाग में भी दर्ज है। इस समस्या को हल करने के लिए हम आवश्यक कदम उठायेंगे।

श्री जुझारसिंह : जिनकी डबल एन्ट्रीज है उनके बारे में आपने किया है और उनको बाद में डिसपजेस करते हैं फोरेस्ट वाले क्योंकि उनके यहां भी उसकी एन्ट्री है। इसकी भी डेट होनी चाहिए कि ऐसे केसेज आप कब तक सेटल करा देंगे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय अध्यक्ष जी, जो पहले रेवेन्यू में होने की वजह से अलॉट हो गई है और सब्सीक्वेन्टली यह भी पता लगा है कि वह जमीन फोरेस्ट में भी है; तो ऐसे अलॉटमेन्ट्स को हम जहां तक सम्भव है सब को रेगुलराइज कर रहे हैं। चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करके, चाहे फारेस्ट विभाग को रिक्वेस्ट करके या गवर्नमेंट लेवल पर इसका डिसीजन लेकर। आइन्दा हमने हिदायत की है कि इस तरह के मामले हैं तो उनको अलॉट नहीं की जाये और अब इस फोरेस्ट सेटलमेन्ट और रेवेन्यू सेटलमेन्ट के दोनों इक्तलफात को दूर करने के लिए या उसके मुताबिक एक ही तरह की एन्ट्रीज हों, इस तरह के हम जल्दी से आदेश प्रसारित करेंगे जिससे हमेशा के लिए यह समस्या हल हो जाये कि यह जमीन रेवेन्यू विभाग की या फोरेस्ट विभाग की है। तो आइन्दा अलॉटमेंट करते समय ऐसा नही होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा !

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री रघुनाथ बिश्नोई !

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री भंवरलाल "कालाबादल" !

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री मथुरेशबिहारी माथुर !

Page No. 25

(श्री अध्यक्ष)

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री मोहनराज !

शराब की बिक्री पर रोक

२४२. श्री मोहनराज (बाली) [श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या राजस्थान सरकार ने राज्य में बढ़ती हुई शराब की बिक्री को रोकने व कम करने के कुछ उपायों पर कभी विचार किया है ? यदि हां, तो वे क्या क्या उपाय हैं ?

(२) क्या राज्य सरकार ने मद्य-निषेध के संबंध में रिपोर्ट देने हेतु स्थापित टेकचन्द कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करके केन्द्रीय सरकार को अपनी राय प्रेषित कर दी है ? यदि हां, तो सरकार ने क्या राय दी है ?

उप-मंत्री, आबकारी (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी हां, सरकार ने मद्यपान पर नियन्त्रण करने के लिए समय समय पर आदेश प्रचलित किये हैं। जैसे देशी मदिरा की नई दूकान खोलने पर प्रतिबन्ध लगाना सार्वजनिक स्थान पर मद्यपान निषेध किया जाना एवं वर्ष मे ६ दिन निरमद्य दिन (ड्राई डेज) रखना सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध मे भी यह आदेश प्रचलित किये गये हैं कि कोई भी राज्य कर्मचारी सार्वजनिक स्थानों पर मद्य पीये हुए नहीं जायगा। मद्यपान सम्बन्धी बढ़ते हुए विज्ञापन को रोकने के लिए राजस्थान आबकारी कर (संशोधन) अध्यादेश, १९६६ द्वारा मदिरा के विज्ञापनों पर निषेध लगा दिया गया है। सरकार ने देशी मदिरा के कुछ गोदामों एवं कुछ दुकानों को बंद करने का निर्णय भी लिया है। शराब की शक्ति में भी कमी की गई है।

(२) राज्य सरकार ने स्टडी टीम की रिपोर्ट पर विचार किया है। सरकार का मत है कि राज्य में पूर्ण मद्य निषेद १९८० से पहले लागू करना सम्भव नहीं होगा। स्टडी टीम द्वारा बताये गये ३ प्रक्रमों (स्टेजेज) को कम से कम १५ साल में विभाजित करना चाहिए। पहला प्रक्रम कम से कम ३ साल व दूसरे और तीसरे प्रत्येक ६ वर्ष के होने चाहिए क्योंकि इससे कम समय अव्यवहारिक होगा। राज्य के आर्थिक प्रभाव और रक्षा पर हुए अतिरिक्त व्यय को दृष्टिकोण में रखते हुये मद्य निषेद लागू करने पर जो आबकारी राजस्व में हानि होगी उसे भारत सरकार द्वारा पूर्णतया प्रतिपूर्ति करनी होगी। मद्य निषेध को लागू करने पर जो अतिरिक्त व्यय होगा उसकी भी भारत सरकार द्वारा उचित प्रतिकारात्मक (कम्पेन्सेटरी) सहायक अनुदान (ग्रान्टइनएड) के रूप में प्रतिपूर्ति करनी होगी। इस प्रकार का सहायक अनुदान प्रथम प्रक्रम से ही आरम्भ करना होगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मद्य निषेध लागू करने में भारत सरकार की तरफ से आपको अपने घाटे की पूर्ति के लिए कितने का अंशदान मिलने वाला है ?

श्री परसराम मदेरणा : यह अभी निश्चित नहीं है क्योंकि हमारी गवर्नमेन्ट ने इस स्टडी टीम की रिपोर्ट पर विचार करके

(श्री परसराम मदेरणा)
भारत सरकार के पास भेजा है और अभी भारत सरकार से उत्तर नहीं आया है इसलिए यह कह सकना सम्भव नही है।

श्री भैरोंसिंह : आपने कितने अंशदान की मांग की है?

श्री परसराम मदेरणा : जो पूरे रेवेन्यू का घाटा होगा उसी की पूर्ति के लिए मांग की है और यह मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट भी किया है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि अन्य राज्य सरकारों ने ५० प्रतिशत की मांग स्वीकार किये जाने की शर्त पर शराब बन्दी की इस स्कीम को पूर्णतः लागू करने के बारे में हां किया है और राजस्थान सरकार शत-प्रतिशत अंशदान मांग रही है?

श्री परसराम मदेरणा : दूसरी राज्य सरकारों ने कितना लोस मेक-अप करने के लिए रेवेन्यू का लोस प्रोहीबीशन के बाद होगा, यह हमको जानकारी नहीं है; लेकिन स्टडी टीम के अन्दर कुछ स्टेट्स ने ऐसा कहा है इसका उल्लेख जरूर है। किन्तु किसी भी स्टेट ने यह मेन्शन नहीं किया है, लेकिन स्टडी टीम ने कहा है कि कुछ स्टेट्स कहती हैं कि उनको ५० प्रतिशत के करीब अंशदान मिलने पर प्रोहीबीशन लागू हो सकेगा।

श्री भैरोंसिंह : जब बाकी के राज्य ५० प्रतिशत के अंशदान से शराबबन्दी के पक्ष में हैं तो राज्य सरकार के पास ऐसी कौनसी कठिनाई है कि वह इस स्कीम को लागू करने में दिक्कत महसूस कर रही है?

श्री परसराम मदेरणा : फाइनेन्शियल डिफिकल्टी की दिक्कत है।

श्री भैरोंसिंह : वह तो सब जगह है। सभी जगह कांग्रेस पार्टी की हुकूमत है तो राजस्थान सरकार इस बात के लिए क्यों इन्सिस्ट कर रही है कि हमें शतप्रतिशत अंशदान मिलना चाहिए जो कुछ घाटा हो उसका?

श्री परसराम मदेरणा : दूसरी स्टेट्स में जहां प्रोहीबीशन पार्शियली लागू है राजस्थान में एक तहसील के अलावा कहीं नहीं है। जहां प्रोहीबीशन ऑलरेडी लागू कर दिया है वे ड्राई स्टेट्स भी सोच रही है कि किस तरह से इल्लिसिट डिस्टीलेशन रोका जाये; तो उनके भी दिमाग में आ रहा है और आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा कि महाराष्ट्र ने और कन्सेशन्स दिये हैं कि इसको कम्पलीटली लागू करने के लिए कुछ किया जाना चाहिए। तो मद्रास स्टेट ने और दूसरी स्टेट्स ने कहा है कि पूरा का पूरा लोस भारत सरकार को पूरा करना चाहिए इसलिए उन स्टेट्स में ऑलरेडी लागू कर दिया है। उनकी आय के सोर्स इन्डस्ट्रियलाइजेशन के कारण बहुत ज्यादा हैं। राजस्थान में वे कण्डीशन्स नहीं है कि जिनसे दूसरे रेवेन्यू के रिसोर्सेज को बढ़ा कर राजस्थान के बजट को संतुलित बनाये रख सकें। इसलिए हमारी परिस्थितियों को देखते हुए और हमारी डिफिकल्टीज और दूसरी चीजों को ध्यान में रखते हुए यह रखा गया है।

श्री भैरोंसिंह : इसमें राज्य सरकार की आय की कमी प्रमुख है या राज्य सरकार इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती और इम्प्लीमेंट करने का खर्चा प्रमुख है।

Page No. 27

श्री परसराम मदेरणा : इम्प्लीमेंटेशन का जहां तक सवाल है हमने भारत सरकार के सामने यह मांग की है कि हमारे लोस की पूर्ति होनी चाहिए, लेकिन सिद्धान्ततः ब्रोड पॉलिसी को हमने एग्री किया है ।

श्री भैरोंसिंह : राज्य सरकार ने राजस्थान को ड्राई जोन बनाने या शराबबन्दी के सम्बन्ध में ऐसे कौन से कदम उठाये हैं जिसके कारण राजस्थान सरकार को जो एक्साइज की आय होती है उसमें एक पर्सेन्ट की भी कमी हुई हो ?

श्री परसराम मदेरणा : जो प्रोहिबिशन के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने स्टेप्स लिए हैं वे मैंने अपने उत्तर के भाग (१) में कह दिए हैं, वे इस बात के इण्डीकेशन्स हैं.........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हमारा प्रश्न यह है कि स्टेट की जो आय छः करोड़ से पन्द्रह करोड़ हो गई है तो आपने कौन से स्टेप्स उठाये हैं जिनके कारण प्रोहिबिशन की दिशा में प्रगति हुई हो और राज्य की आय में पांच रुपये की कमी भी हुई हो ?

श्री परसराम मदेरणा : हम भी कॉस्टीट्यूशन के डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स को मानते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कॉस्टीट्यूशन का प्रिंसिपल तो बन्द करने का है ।

श्री परसराम मदेरणा : इस स्टडी टीम के सजेशन्स पर ही हमने यह किया है और जब तक कोई युनिफॉर्म पॉलिसी बना कर गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया हमको डायरेक्टिव्ज नहीं देती, हम करते रहेंगे । उससे पहले कॉन्क्रीट स्टेप यह लिया है कि स्टडी टीम ने जो १२ साल में इसे कम्प्लीट करने का सुझाव दिया है. इस १२ साल के स्टेज में से जो पहला स्टेज तीन साल में पूरा करना है वह स्ट्रेन्थ पूल को रिड्यूस करना है। हमने यह स्टेप ले लिया है और जो शराब की स्ट्रेन्थ थी इसको रिड्यूस कर दिया है ।

श्री भैरोंसिंह : आप तो यह बता दीजिए कि शराबबन्दी के सम्बन्ध में आपने जो स्टेप्स लिए हैं, क्या यह सही हैं कि उनसे राजस्थान के इस विभाग में, इससे होने वाली आमदनी में एक पर्सेन्ट की भी कमी हुई है ।

श्री दामोदरलाल व्यास (आबकारी मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आप कहते हैं कि इस विभाग को आमदनी में कमी हुई या नहीं या बढ़ोत्तरी हुई है ? जैसा जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, मैं अर्ज कर चुका हूं कि पहले से आमदनी बढ़ी है, इस आमदनी के बढ़ने का कारण यह है कि जो गारण्टी सिस्टम लागू किया गया है उसके परिणाम स्वरूप इल्लिसिट लिकर का डिस्ट्रीब्यूशन बन्द हो गया है। इल्लिसिट लिकर के बन्द हो जाने से नेचुरली गवर्नमेंट की आमदनी में बढ़ोत्तरी होगी, कमी होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ।

श्री भैरोंसिंह : आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं......

श्री दामोदरलाल व्यास : सब समझ रहा हूं ।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न यह है कि अभी तक जो भी स्टेप्स शराबबन्दी के सम्बन्ध में सरकार ने लिया है, क्या यह सही है कि इनके कारण राजस्थान सरकार को इस

(श्री भैरोंसिंह)
मद से होने वाली आमदनी में एक परसेंट की भी कमी नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : आपका मतलब है शराबबन्दी भी हो रही है; और आमदनी भी बढ़ रही है ?

श्री भैरोंसिंह : आमदनी में कमी नहीं हुई है यह तथ्य है; इसको आप क्यों नहीं मानते ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आमदनी घटेगी तभी तो मानेंगे।

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब यह है कि शराबबन्दी के लिए जो आप स्टैप्स ले रहे हैं उनसे आपकी आमदनी पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। हमारी सरकार जो भी स्टैप्स लेती है उनसे उसकी आमदनी पर कोई डाइरेक्ट इफेक्ट नहीं होता है।

श्री परसराम मदेरणा : यह टेकचन्द कमेटी की रिपोर्ट में डील किया है। उसका फर्स्ट फेज का जो प्रोग्राम है उसके अन्दर स्ट्रेन्थ कम करने से लोग पीना कम कर देंगे। इससे जो इसका रेगुलेटिंग प्रोपेगेंडा होता है वह कम होगा और अन्डर प्रूफ वाली शराब होने से इस पर असर पड़ेगा। उनकी क्वान्टिटी में कोई विशेष कमी नहीं होगी, लेकिन इसकी स्ट्रेन्थ में कमी हो जायगी। इसकी स्ट्रेन्थ में कमी होने से नेचुरली लोग इसे कम मात्रा में पीयेंगे। इसका रेवेन्यू पर भी असर पड़ेगा जिसका जिक्र फर्स्ट फेज में किया हुआ है। हमने स्टडी टीम की सिफारिश के अनुसार फर्स्ट फेज का स्टेप ले लिया है और शराब की स्ट्रेन्थ ऑलरेडी कम कर दी है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि कांग्रेस पार्टी की नीति है और कांग्रेस के जो लोग हुकूमत कर रहे हैं, उन्होंने इस बात की शपथ ले रखी है कि वे शराब नहीं पीयेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो कांग्रेस के विधान में है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका जवाब मत दो। इसमें तो 'हां' कहो तो मुश्किल है और 'ना' कहो तो मुश्किल है।

श्री परसराम मदेरणा : इस बारे में मैं एक बात और बता दूं कि फर्स्ट अप्रैल से २५ दुकानों में और ७ वेयर हाउसेज में कमी कर रहे हैं। इसका निश्चित तौर से राज्य की रेवेन्यू पर असर पड़ेगा। यह गवर्नमेंट ने डीसीजन ले लिया है कि २५ दुकानें, टोटल दुकानों में से कम करदी जायं तथा सारे वेयर हाउसेज को कम कर दिया जाय। इसका निश्चित तौर से रेवेन्यू पर असर पड़ेगा। जहां तक कांग्रेसमैनों के शराब पीने का सम्बन्ध है, कोई भी कांग्रेसमैन जो पार्टी के प्रिंसिपल को पार्टी के कांस्टीट्यूशन को मानता है, वह शराब नहीं पीता है और शराब पीना हल्के दर्जे का काम करना है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऐसे कौन हैं इनमें जो कांग्रेस के इस प्रिंसिपल को नहीं मानते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : जो कांग्रेस के सदस्य हैं वे सब मानते हैं।

श्री भैरोंसिंह : जो पीते हैं वे हल्के दर्जे के कांग्रेसी हैं तो वे भी कौन हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक क्वेश्चन और है। राज्य सरकार ने क्या इस सम्बन्ध

Page No. 29

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
में कोई सर्वे कराया है कि जो छोटे वर्ग के लोग हैं और जो शराब पीते हैं उसका असर उनकी हैल्थ पर बुरा पड़ता है।

श्री परसराम मदेरणा : राज्य सरकार ने तो सर्वे नहीं कराया है, लेकिन टेकचन्द कमेटी ने कॉम्प्रीहेंसिव सर्वे कर लिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या राज्य सरकार ने ऐसा कोई कदम उठाया है कि लोगों को एजुकेट किया जाय जिससे वे लोग शराब नहीं पीवें ? क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने कोई सक्रिय कदम उठाया है ?

श्री परसराम मदेरणा : मैंने इसका उत्तर अपने जवाब के भाग (१) में दे दिया है कि हमने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राज्य सरकार ने डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोहिबिशन एम्बोडीड इन दी कॉन्स्टीट्यूशन को कार्यान्वित करने की दृष्टि से आज तक कौन से कदम उठाए हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : यह समाज कल्याण विभाग के जरिये से किया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग इसकी शिक्षा देता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : समाज कल्याण विभाग तो यह शिक्षा देता है कि खूब शराब पीओ और स्वस्थ रहो, मस्त रहो। समाज कल्याण विभाग के उप-मंत्री दिनेशरायजी डांगी ने समाज कल्याण विभाग की तरफ से एक नॉवनियर निकला है उसमें भी शराब का एडवर्टाईजमेंट दिलाया है कि खूब शराब पीओ।

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : समाज कल्याण विभाग के उप-मंत्री डांगीजी कहां हैं ?

उप-मंत्री, समाज कल्याण (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : समाज कल्याण की उप-मंत्री तो मैं हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सरकार ने इसका सर्वे कराया है और यह जानकारी की है कि नशाबन्दी की वजह से सेल्स टैक्स वगैरह की वृद्धि होगी या जो दूसरे एन्टरटेनमेंट के साधन हैं उनमें टैक्स की वृद्धि होगी।

श्री परसराम मदेरणा : टेकचन्द कमेटी ने टैक्स स्ट्रक्चर के सम्बन्ध में डिटेल्स से स्टडी की है और नशाबन्दी होने से दूसरे रिसोर्सेज से कैसे रेवेन्यू बढ़ाई जायेगी, इनके उदाहरण भी उन्होंने दिए हैं। यह उन्होंने दो चेप्टर्स में डील किया है। इसके बारे में राजस्थान सरकार ने अभी तक अलग से कोई स्टडी नहीं की है।

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया।

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

चूरू जिले की पंचायत समितियों को दी गई धन-राशि का उपयोग

२२५. श्री रावतराम (मादूलपुर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

सन् ६५-६६ के साल में समाज कल्याण विभाग की ओर से चूरू जिले की पंचायत समितियों को विभिन्न मदों में कितनी धन-

[redacted]

(श्री रावतराम)
राशि दी गई और क्या यह धनराशि काम में ले ली गई ?

उत्तर

सन् ६५-६६ में समाज कल्याण विभाग की ओर से चूरू जिले की पंचायत समितियों को विभिन्न मदों में जो धनराशि दी गई और उसमें जो रकम व्यय हुई उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

शिक्षा निरीक्षकों के कार्यालय में कमी

२२८. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) यह सही है कि शिक्षा विभाग में बचत के उद्देश्य से शिक्षा निरीक्षकों के कार्यालयों को कम किया गया है ?

(२) यदि हां, तो कौन कौन से जिले से कार्यालय हटाये गये और इनको हटाये जाने पर कुल कितनी बचत हुई ?

(३) क्या यह सही है कि नियमानुसार प्रत्येक माध्यमिक शाला का निरीक्षण वर्ष में दो बार किया जाना अनिवार्य है ?

(४) यदि हां, तो बूंदी जिले की २७ माध्यमिक शालाओं का निरीक्षण ६३ व ६३-६४ में कब कब किया गया और किन किन के द्वारा ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) निम्नलिखित जिलों से निरीक्षकों के कार्यालय हटाये गये थे:—

१—टौंक
२—डूंगरपुर
३—जैसलमेर
४—बूंदी
५—जालौर
६—बीकानेर

उपरोक्त कार्यालयों को हटाने से १,१०,०००) रु० एक लाख दस हजार रुपये की बचत हुई।

(३) जी नहीं।

(४) सूची सदन की मेज पर रखदी गई।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

चिकित्सालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का फिक्सेशन, जिला जालोर

२२९. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचौर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि जिला जालोर में राजकीय चिकित्सालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का सन् १९५० से लेकर अब तक फिक्सेशन नहीं हुआ है ? अगर हां, तो क्यों ? तथा ऐसे कितने कर्मचारी हैं ?

(२) क्या यह सत्य है कि सांचोर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री लखमीराम रसोइया का

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)
फिक्सेशन सन् १९५० से आज तक नहीं हुआ है, और इसी कारण से उसकी ५ रु० प्रतिसाल वेतन में बढ़ोत्तरी रुकी हुई है ? अगर हां, तो क्यों तथा इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

(३) अब श्री लखमीराम का कब तक फिक्सेशन होकर तमाम एरियर वेतन मिल जावेगा ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

राजकीय चिकित्सालय, दौसा में एक्स-रे मशीन का उपयोग

२४०. श्री युमरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राजकीय चिकित्सालय, दौसा में एक्सरेमशीन म्यूनिसिपल बोर्ड दौसा से धनराशि देने पर खरीदी गई थी ? यदि हां, तो कब और इस मशीन से काम लिया जाना कब शुरू हुआ ? अब तक इससे कितनी प्लेटें ली जा चुकी हैं ?

(२) क्या यह सही है कि यह मशीन एक अर्से से कुछ पुर्जों की कमी के कारण बेकार पड़ी है ? यदि हां, तो इसे काम में लिये जाने के काबिल नहीं बनाये जा सकने के क्या कारण हैं ? और अब कब तक यह ठीक हो जायेगी ?

उत्तर

(१) जी हां। यह एक्सरे मशीन मार्च १९६४ में खरीदी गई थी एवं माह अक्टूबर १९६४ से कार्य कर रही है इससे अब तक ६० स्क्रीनिंग लिये गये हैं।

जी नहीं। उक्त मशीन की मरम्मत २८-१२-६५ को मेसर्स एक्कोट्स रिप्रेजेन्टेटिव मेमर्स न्यू भारत डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर द्वारा करवाई जा चुकी है।

रिजर्व कोटे के अनुसार अध्यापकों की नियुक्तियां

२४८. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जिला परिषद् सर्विस कमीशन सवाईमाधोपुर द्वारा वर्ष १९६५ में की गई अध्यापकों की नियुक्तियों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के लिये रिजर्व कोटे के अनुसार नियुक्तियां नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं।

मेडिकल फिटनेस की परीक्षा की व्यवस्था

२५१. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य में कितने अस्पतालों में कितने डाक्टरों (मेडिकल जूरिस्ट्स) को मेडिकल फिटनेस की परीक्षा करने का कार्य सौंपा हुआ है ?

(श्री जयनारायण सांखोदिया)

(२) क्या यह सही है कि जयपुर में सवाई मानसिंह अस्पताल में केवल एक डॉक्टर ऐसी परीक्षा करते हैं जिससे परीक्षा समय पर नहीं होती और रिपोर्ट समय पर नहीं मिलती ? यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में समुचित व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) राजस्थान सर्विस रूल्स की धारा ९, १० व ११ के तहत राज्य के प्रत्येक अस्पताल डिस्पेन्सरी व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नियुक्त डॉक्टर मैडिकल फिटनेस की परीक्षा करता है। इसके अतिरिक्त राज्य के १४ अस्पतालों में मैडिकल ज्यूरिस्ट कार्य कर रहे हैं जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सवाई मानसिंह अस्पताल में कार्य केवल विधिवेत्ता (मैडिकल ज्यूरिस्ट) द्वारा ही किया जाता है। उनको सहायता के लिए एक और चिकित्सक (डिमॉन्स्ट्रेटर) कार्य करता है परन्तु दो माह का समय हुआ वह पद-त्याग कर चला गया है और उनके रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं फिर भी जब भी कार्य अधिक होता है और सहायता की आवश्यकता होती है तो सहायता देने का प्रबन्ध किया जाता है। प्रमाण-पत्र जहां तक संभव होता है समय पर ही दिए जाते हैं केवल उन प्रमाण-पत्रों के देने में विलम्ब हो सकता है जिनमें कोई वैधानिक आपत्ति हो।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

माध्यमिक कन्या पाठशाला, निम्बाहेड़ा

४६. श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) सैकन्ड्री स्कूल, (निम्बाहेड़ा में कितनी लड़कियां पढ़ती हैं तथा कौन कौन सी कक्षा में ?

(२) क्या सरकार माध्यमिक कन्या-शाला निम्बाहेड़ा को अपग्रेड करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(१) सैकन्ड्री स्कूल, निम्बाहेड़ा की ९ वीं व १० वीं कक्षा में क्रमशः ५ व २ छात्राएं पढ़ रही हैं।

(२) आगामी वर्ष में माध्यमिक शालाओं को प्रोन्नत करने से सम्बन्धित प्रस्ताव जिला अधिकारियों से मांगे गये हैं। प्रस्ताव प्राप्त होने पर ऐसी ही अन्य शालाओं के साथ साथ इस शाला पर भी विचार किया जा सकेगा।

माध्यमिक शाला भवन, गनेशपुरा

४७. श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) माध्यमिक शाला, गनेशपुरा (जिला झालावाड़) में कितने कमरे हैं और विद्यार्थी कितने हैं ?

(२) क्या सरकार विद्यार्थियों की

(श्री गोविन्दसिंह)
संख्या देखते हुए और कमरे बनवाने का विचार रखती है?

उत्तर

(१) ८ कमरे व १ बरामदा है तथा २४० विद्यार्थी हैं।

(२) छात्रों की संख्या देखते हुये भवन पर्याप्त है परन्तु प्रधानाध्यापक कक्ष व शाला स्टोर व जल गृह की कमी है जिसके लिये जनता द्वारा १०००) रु० इकट्ठे किये जा चुके हैं। सरकार द्वारा भी सहायता देने का प्रश्न विचाराधीन है।

जुगलपुरा में चरागाह की भूमि

४८. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पंचायत ढाणी जुगलपुरा, पंचायत समिति निवाई के पास कितनी चरागाह की भूमि है और पंचायत क्षेत्र में कितने जानवर हैं?

(२) उक्त चरागाह की कितनी भूमि पर नाजायज काश्त हो रही है?

उत्तर

(१) २४३१ बीघा ५ बिस्वा चरागाह भूमि है तथा ५३७३ पशु हैं।

(२) ६७६ बीघा ३ बिस्वा चरागाह भूमि पर नाजायज काश्त हो रही है।

कनेरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

४९. श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) कनेरा (निम्बाहेड़ा) के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में मरीजों की दैनिक औसत क्या है?

(२) क्या यह सही है कि इस केन्द्र पर अब तक डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हुई है?

यदि हां, तो क्या सरकार निम्बाहेड़ा के डॉक्टर को हफ्ते में दो बार इस केन्द्र पर भेजने के प्रश्न पर विचार करेगी?

उत्तर

(१) कनेरा (निम्बाहेड़ा) जिला चित्तौड़गढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में मरीजों की औसत संख्या ३८.८१ है जिनमें से २४.२ नये व १४.६ पुराने है।

(२) जी हां। डॉक्टरों की कमी के कारण मेडिकल ऑफिसर, निम्बाहेड़ा को हफ्ते में एक बार जाने के आदेश हैं।

राजकीय शफाखाना, निवाई

५०. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजकीय शफाखाना निवाई में मरीजों की दैनिक औसतन संख्या क्या है?

(२) वहां कितने रुपये माहवारी दवाई भेजी जाती है?

(श्री जयनारायण सालोदिया)

(३) क्या यह सच है कि मरीजों को मामूली दवाइयां भी बाजार से खरीद कर लानी पड़ती हैं ?

(४) क्या यह भी सही है कि दूर दूर तक अन्य कोई अस्पताल न होने से रोगी ज्यादा आते हैं जिससे रोगी शैयाएं कम पड़ती हैं क्या सरकार का इस शफाखाने में रोगी शैयाएं बढ़ाने का विचार है ?

(५) क्या यह भी सच है कि यहां डिलिवरी के केस के लिए आवश्यक पूरे साधन व स्टॉफ न होने से बड़ी परेशानी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी समुचित व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) इस अस्पताल में मरीजों की दैनिक औसतन संख्या आउटडोर ८७.१८ एवं इन्डोर १.७६ है।

(२) इस अस्पताल का दवाइयों का वार्षिक बजट ४०००) रुपया है जो लगभग ३३३ रु० मासिक आता है।

(३) जी नहीं।

(४) जी नहीं। निवाई से ६-७ मील के अन्तर एक पी. एच. सी., झिलाय में है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(५) जी नहीं। डिलीवरी के लिए पूर्ण स्टॉफ व साधन उपलब्ध हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(१२-१८ म. प.)

आय-व्ययक, १९६६-६७ पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : बजट पर सामान्य वाद-विवाद।

श्री अमरसिंह, दूदू।

श्री अमरसिंह (दूदू) : और श्री अमरसिंह जसोल दोनों बोलने के लिए खड़े हुए)

रावल श्री अमरसिंह जसोल (पचपद्रा) : There are two Amarsinghs, who first ?

श्री अध्यक्ष : आपमें से जो मर्जी चाहें बोल लें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : Ladies First

रावल श्री अमरसिंह जसोल (पचपद्रा) : माननीय अध्यक्षजी; हमारी सरकार ने सन् १९६६-६७ का बजट सदन के अन्दर इस उद्देश्य के साथ पेश किया है कि इस पर सदन की अनुमति प्राप्त करके वह राज्य के बहीवट को चलाए। इस सम्बन्ध में मैं छोटी-मोटी बातों पर न जाकर आपके द्वारा सदन का ध्यान उन परिस्थितियों की ओर आकर्षित करूंगा कि आखिरकार वह राज्य बहीवट किस प्रकार का है और पिछले १७ वर्षों के अन्दर किस प्रकार का राज्य का बहीवट बनाए रखा है कि जिसको देखते हुए हम उनको धनराशि दें। क्या उनका यह कार्यक्रम भी देश के हित के लिए रहा है और हमारे देश ने उत्तरोत्तर प्रगति की है

Page No. 35

(रावल श्री अमरसिंह)

कि जिसके कारण जिस एक्सपीरियेन्स से प्रेरित होकर हम उनको राज्य का बहीवट चलाने के लिए स्वीकृति दें।

माननीय अध्यक्षजी, आवश्यक होगा कि मैं इस अवसर पर आपके द्वारा सदन का ध्यान उन दो पीरियड्स की तरफ आकर्षित करूंगा, एक तो वह पीरियड कि जो सन् ४७ के पहले, लगभग एक शताब्दि का पीरियड रहा है, जिसमें हम कह सकते हैं कि एक विदेशी सत्ता ने हमारे भारतवर्ष के ऊपर राज्य बहीवट किया। वह सत्ता विदेशी थी, परन्तु एक बड़ी सुलझी हुई और बुद्धिमानी रेस ने भारतवर्ष के अन्दर प्रबन्ध किया; चाहे वह कोई भी हो, ड्यू क्रेडिट देने के अन्दर हमें कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए। १८५७ के बाद हम यह देखेंगे कि जब से क्राउन ने भारत का शासन अपने हाथ में लिया उसके बाद हमारे देश के अन्दर करीब करीब साइकर के ऊपर से उन्होंने शुरू किया, यानी उस वक्त करीब-करीब केओस भारतवर्ष के अन्दर था उस केओस के अन्दर अच्छा प्रबन्ध, अच्छा वहीवट, सुव्यवस्थित शासन दिया जिसके अन्दर जगह-जगह रेलगाड़ियां चलाईं, तार का प्रबन्ध किया, शफाखाने खोले और बड़ी ही अच्छी शासन-व्यवस्था दी, होस्पिटल्स दिये, और जब वे ४७ के अन्दर अपने बोरिया-बिस्तर बांधकर अपने देश के लिए रवाना हुए और अच्छी भावना भारतवर्ष के प्रति प्रकट करते हुए देश को रवाना हुए तो उस वक्त उन्होंने हमारे लिए एक हाईली एफिशियेन्ट आर्मी छोड़ी, खजाने के अन्दर पैसा छोड़ा, एक बड़ी एफिशिसेन्ट और ट्रेन्ड सिविल सर्विस उन्होंने देश के लिए दी और लॉ एण्ड आर्डर करीब-करीब अच्छी व्यवस्था के अन्दर देश के लिए छोड़ कर गये।

जब से हमारे चुनिन्दा प्रतिनिधियों ने देश का बहीवट सम्हाला है बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि उस परिस्थिति के अन्दर डिटीरियोरेशन आया है, चाहे हम किसी क्षेत्र के अन्दर देखें। थोड़ा बहुत काम हुआ—किसी जगह बांध बने हैं, किसी जगह इन्डस्ट्रीज बनी हैं, कहते हैं कि एग्रीकल्चर की तरफ भी हम प्रगति कर रहे हैं; परन्तु इसका सब तात्पर्य अगर देखें तो यह निर्विवाद सत्य प्रतीत होगा कि आज हमारा देश इतना ऋणी हो गया है कि दुनिया की कोई भी सत्ता ऐसी नहीं है कि जिसके हम कर्जदार न हों, कोई सत्ता ऐसी नहीं है कि जिसके पास हम मदद के लिए अपने हाथ पसारने न गये हों।

इस सम्बन्ध में आगे बढ़ूं उसके पहले, माननीय अध्यक्षजी; आपके द्वारा सदन का ध्यान उन देशों की तरफ भी मैं आकर्षित करूंगा कि जो सन् ४६ तक लड़ाई में लगे हुए थे। मैं जर्मनी और जापान इन दो देशों का उदाहरण इस सदन के समक्ष रखूंगा कि वे युद्ध की परिस्थिति के कारण शत्रु देशों के आक्रमण के कारण इस परिस्थिति में हो गये थे कि उनके शहर के शहर विध्वंस हो गये थे, कोई कारखाना उनके पास नहीं रहा, कोई संस्था ऐसी नहीं थी कि जो बची हुई रही हो, उनके पास पैसा नहीं था। इन परिस्थितियों के अन्दर उन्होंने अपने-अपने देशों को आज उस हालत में रख दिया कि आज वहां जाकर देखें तो कुछ ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि इस देश पर कभी कोई

(रावल श्री अमरसिंह)

आक्रमण हुआ था, या यहां पर लड़ाइ हुई थी। आज वे दुनिया के अच्छे धनवान राष्ट्रों के अन्दर गिने जाते हैं। वे आज दूसरे देशों को ऋण देते हैं। अध्यक्ष जी, यदि इन्हीं परिस्थितियों के अन्दर हम दृष्टिपात करते हैं और अपने घर की तरफ देखते हैं तो क्या कारण है कि आज दिन तक भी अपनी समस्याओं का हल नहीं कर सके और स्वावलम्बी नहीं बन सके और उस परिस्थिति को छोड़कर नहीं पहुंच सके कि जिसके अन्दर हमें विदेशी सत्ताओं से ऋण लेना पड़ा? और हुआ तो हुआ हमारी खाद्य समस्या भी आज तक सुलझ नहीं रही है। मुझे याद है कि सन् ५७ के अन्दर या ५८ होगा मैंने एक अखबार के अन्दर पढ़ा था कि हमें खाद्यान्न के सवाल को वार बेसिस पर टेकल करना चाहिये। उसको आज ८ वर्ष हो गये और अभी तक लोग उसको वार बेसिस पर टैकल करते करते वह समस्या दिन-प्रति-दिन अत्यधिक जटिल और गम्भीर होती गई और आज तक सुलझी नहीं और भविष्य में कब तक सुलझेगी यह भगवान ही जानता है। लेकिन इसका कोई हल हुआ प्रतीत हो ऐसा हमको नहीं मालूम होता है।

इसके साथ ही, अध्यक्ष महोदय, हम यह देखते हैं, और मैं समझता हूं कि ये ऐसी घटनाएं हैं कि जिनके बारे में हम अपनी आंखे मूंद नहीं सकते। जगह २ देश के अन्दर उपद्रव हो रहे हैं, कलकत्ता का हाल हम देख रहे हैं लुधियाना या अमृतसर की हालत हम पढ़ रहे हैं, और २६ तारीख की घटनाएं हमारे इस सदन के अन्दर ही देखीं। ये ऐसी परिस्थितियां हैं कि जिनकी तरफ बगैर किसी पार्टी के लिहाज से गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। दूसरी ओर यह भी है कि हमारे विद्यार्थी वर्ग में उच्छृंखलता दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है। स्वाभाविक था कि हमारे तत्ववेत्ता राष्ट्रपति का ध्यान इसकी ओर आकर्षित हो और उन्होंने एजूकेशन कमिश्नर के साथ विचार-विमर्श किया।

इन परिस्थितियों के ऊपर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए, माननीय अध्यक्ष जी, मैं अत्यन्त विनम्रतापूर्वक कुछ मेरे विचार प्रकट करना चाहूंगा।

इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, चाहे हम किसी पक्ष के हों, यह जो प्रजातन्त्र प्रणाली हमारे देश में अपनाई है। यह सबसे अच्छी राज्य-वहीवट के लिए प्रणाली है। साथ में यह भी सब अनुभव कर सकते हैं कि जब हमारा जीवन नियन्त्रित न हो, हम सेल्फ-डिसिप्लिन्ड न हों और पेट्रियोटिज्म के साथ देश के प्रति सद्भावना को अग्रगण्य करके हम अपने हर कार्य को आगे न रखें उस वक्त यह डेमोक्रेसी का ढांचा किसी भी हालत में चल नहीं सकेगा। आपके समक्ष मैंने पहले भी कई दफा निवेदन किया कि हमारा जन-समुदाय, हमारी देहातों में रहने वाली ग्रामीण जनता, अभी तक स्वस्थ है, जितनी शारीरिक स्वस्थता उनके अन्दर है उतनी ही मानसिक स्वस्थता भी उनके अन्दर है। प्रश्न यह उठता है कि क्या कारण है कि यह होते हुए भी हम उच्छृंखलता देखते हैं, रेल गाड़ियों का विध्वंस करते हैं, हमारी पब्लिक प्रोपर्टी किसी हालत की होती है उसके ऊपर हमला करते हैं।

और कई बेचारे गरीब पुलिस कर्मचारी जनता के साथ कुछ नहीं कर सकने, उनके साथ

(रावल श्री अमरसिंह)

मारपीट की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह करूंगा कि इसको थोड़ा ऊंचा जाकर देखने की आवश्यकता है और दुःख के साथ मुझे कहना पड़ेगा कि इस सबका बोझ हमारे आजकल के पोलिटिशियन्स के ऊपर है। मैं इसमें कोई पर्टीकुलर पार्टी के बारे में अर्ज नहीं कर रहा हूं बल्कि हम जो यहां पर बैठे हैं विलिंगली या अनविलिंगली पोलिटिशियन्स की श्रेणी में आते हैं लेकिन जिन्होंने राज्य चलाने का कार्यभार अपने कंधों पर उठाया है। स्वाभाविक है उन पर जिम्मेदारी है। और यह जो जिम्मेदारी उन पर है उसका जवाब उनको देना ही पड़ेगा। एक कारण हम यह देखते हैं कि लोगों को यह अनुमान हो गया है कि हमारी सरकार इस बात की आदी है कि जो काम उनको करना चाहिये कर्त्तव्यबद्ध होकर करना चाहिये, वह काम वे कदापि नहीं करेंगे और जो काम उनको नहीं करना चाहिये वह सदैव चलता रहेगा। अध्यक्ष महोदय, लोगों का यह भी अनुभव है कि सज्जनता से बात करें तो आपके प्रति ये तिरस्कार से देखेंगे, आपकी बात पर कभी गौर नही करेंगे और जब उनके साथ अभद्रता से व्यवहार करें, तेजी से करें, तो वे सहयोग करेंगे। जब जन-समुदाय की आशाओं पर पानी फिरता दिखता है, उनके अभावों पर विचार नही किया जाता है और कॉस्टिट्यूशनली जो बात कही जाती है उस पर ध्यान नही दिया जाता है तो लोगों का विचार यह हो रहा है कि कॉस्टिट्यूशन सिर्फ इसके लिये है, कॉस्टिट्यूशन की दुहाई उसके लिये दी जाती हैं जहां तक कि सत्तारूढ दल सत्तारूढ व्यक्ति या मिनिस्टर महोदय हैं उनको परिस्थिति को सही सलामत रखा जाय, वहां तक तो कॉस्टिट्यूशन है और दूसरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाय, वहां पर कॉस्टिट्यूशन को बालाये ताक रख दिया जाता है। ऐसी हालत में जहां पर हमारी सुनवाई नहीं होने की हो तो सिवाय वायोलेन्स और उपद्रव करने के दूसरा कोई चारा नहीं है। हम समझते है कि यह बडी खराब परिपाटी है, खराब परम्परायें हैं, बड़ी खराब बात है; इससे फायदा किसी का नहीं है बल्कि नुकसान जनता को है और यह देश के नाम पर कालिख लगाता है जबकि हम अन्डिसिप्लिनरी तौर पर काम करें।

साथ ही, अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्रि-मण्डल से विनम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि जब तक समय है, वे अनुकम्पा करके देश को बचाने के निमित्त बुद्धिमत्ता से काम लें। उन तरीकों से काम लें जिनसे उनकी प्रतिष्ठा बढ़े, शोभा बढ़े। हमको इसमें खुशी नहीं होती है कि हम हरेक तरह से नुक्ता-चीनी करें बुरा-भला कहें। यह काम हमारा नहीं है। हम उनकी भलाई में ही लगे रहें लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, वे जिम्मेवाराना तरीके से काम करने की कृपा करें। मुझे उस समय की याद आ गई जब मैं कॉलेज में पढता था। उस समय एक ऐसे (Essay) का सब्जेक्ट दिया गया था "If you are great, you must do great things".

एक माननीय सदस्य : क्या फरमाया ?

रावल श्री अमरसिंह : मुझे यह मालूम नहीं था। All right

यह मैं अर्ज करूंगा कि जितना बड़ा पद कोई होल्ड करता है उसकी शोभा उसी के अन्दर है कि उसके द्वारा कार्य इस तरह से

Page No. 38

(रावल श्री अमरसिंह)

किया जाय कि उससे दुनियां में वाह-वाही हो, शोभा हो और जनता में संतुष्टि पैदा हो। अभी परसों ही मैंने देखा, एक माननीय सदस्या ने कहा था और मुझे इस बात की खुशी होती है यह जान कर कि हमारी महिलाएं बड़ी तीव्र बुद्धि का प्रदर्शन कर रही हैं। मैं चाहता हूं कि इस सदन में हम दूसरे वर्गों के लोग हैं। वे भी तीव्रता रखें तो अच्छा होगा। माननीय सदस्या ने ध्यान आकर्षित किया था और वाजिब तरीके से किया था कि महाराजकुमार भवानीसिंहजी के विवाह की सवारी निकली उस समय पब्लिक की भीड़ उमड़ रही थी और लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा था, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मैं इसके लिये पूरा समर्थन करूंगा और इस बात पर विचार करने की अपील करूंगा। यह मैं नहीं कहता कि उनका जो प्रभाव जनता पर है उसमें न्यूनता होनी चाहिए, उनके पुराने सनातन हैं वह मानवता ही क्या जो पुराने सनातन को भूल जाय। यही कारण है कि उस रोज इतनी भीड़ दिखाई दे रही थी। आज लोग राज्य के व्यवहार से असंतुष्ट इसलिये हैं कि उनकी वाजिब आकांक्षा पूर्ण नहीं हो रही है और जिस समय सरकार उनकी आकांक्षा पूरी करने की कोशिश करेगी तो मैं समझता हूं लोग उतना ही समर्थन करेंगे जितना दूसरों का करते हैं। मुझे खेद के साथ कहना पड़ेगा कि हमारी सरकार ने करीब करीब एक ऐसा रवैया अपनाया है जैसा एक पुराने आदमी मेरे पास कभी कभी आते हैं, वे भी सफेद टोपी पहनते हैं, वे कहा करते हैं आज-कल का हमारा रवैया इस तरह का है जैसे कहा करते हैं :
"म्हारी म्हारी छालियों ने दूधो-दही पाऊं,
नारियो आवे तो सोटा री धमकाऊं।"

तो आज सरकार का यही रवैया हो हो गया है। उनका कहना तत्वज्ञान से भरा हुआ है, सर्वथा भरा हुआ है, इसलिए इनका काम पहले करना चाहिये और हम लोग जो दुर्भाग्य से जो विपक्षी बेंचों पर बैठे हैं तो हम इतने बुरे हो गये जिससे कि हमारे काम की सुनवाई नहीं हो और हमारे क्षेत्र की अवहेलना की जाय और फूटी आंख से भी हमारी तरक्की न देखी जाय ? मैं समझता हूं दूसरे तरीके से यह बात इस तरह से कही जा सकती है कि हमारा राज्य उनके लिए है जो हमारा समर्थन करते हैं और जो हमारा समर्थन करते हैं वे चाहे राजस्थान में रहते हैं फिर भी हमारी सरकार उनका ध्यान नहीं रखती, मुझे यह कहते हुए अफसोस होता है and I say it with all seriousness. मैं समझता हूं, यह डेमोक्रेसी का सही तरीका नहीं है। अपोजीशन डेमोक्रेसी के साथ लगा हुआ है और दुनियां की पुरानी से पुरानी डेमोक्रेसी ने यह अनुभव किया है कि जहां पर अपोजीशन मजबूत नहीं है वहां पर राज्य अच्छी तरह से नहीं चल सकता। इंग्लैंड में डिज्रेली के समय या किसी के समय अपोजीशन कमजोर हो गया था, तो आगे चल कर उन्हें अपोजीशन को मजबूत करना पड़ा। यह कोई तरीका नहीं है डेमोक्रेसी का कि एक क्षेत्र को खूब बर सब्ज किया जाय और दूसरे को डाउन करने के लिए पक्षपातपूर्ण नीति अपनाई जाय। पक्षपातपूर्ण नीति रखना डेमोक्रेसी की हत्या करना है। यह तरीका दुनिया में उच्छृंखलता फैलाता है और उस दिन को नजदीक लाता है जिसको हम अवांछनीय समझते हैं।

मैं २६ तारीख को यहां पर उपस्थित

(रावल श्री अमरसिंह)

नहीं था, लेकिन २७ तारीख को मैं जब आया तो दुख के साथ मैंने उस घटना का विवरण सुना तो स्वभावतः मेरे दिल में यह विचार प्रकट हुआ कि ऐसा न हो कि इससे विशेष घटनाओं की एक और पङ्क्ति खड़ी हो जाय। माननीय सदस्य, जो आज उपस्थित नहीं हैं, उन्होंने शोक प्रकट नहीं किया लेकिन शंका प्रकट करते हुए कहा कि कहीं ऐसा न हो कि बंबशेल्स छोड़ने पड़ें। मैं ऐसी बात का समर्थन नहीं करता, लेकिन अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि जब तक समय है हमारे देश को केओस की तरफ जाने से बचावें और ऐसा कदम उठावें जिससे सुशासन देश के लोगों को उपलब्ध हो।

मैं दूसरों की तरफ से कहने का कोई अधिकार नहीं रखता हूं, परन्तु मैं अपनी तरफ से यह अवश्य कह सकता हूं कि जिस तरफ से सुशासन हो, वह गरीब इन्सान सर्वथा उसका समर्थन करेगा। और जहां आप तिकड़मबाजी से काम लेना चाहते हैं, लोगों को बेवकूफ बना कर, उल्लू बना कर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये घटनायें, जो अवांछनीय हैं, उत्तरोत्तर बढ़ती जायंगी।

इसके पश्चात् आपके द्वारा सदन का ध्यान में स्टूडेन्ट अनरेस्ट की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। सूक्ष्म में मैं यह निवेदन करूंगा कि कुछ अंशों में यह उस समय की लीगेसी हमको मिली है, जो गलती से एक अच्छा काम हासिल करने के लिए एक गलत तरीका अख्तियार किया गया, स्वदेशी मूवमेन्ट में बच्चों को आगे कर दिया गया—मैं समझता हूं, उस समय यह अच्छी बात नहीं हुई और उस परम्परा, उस गलत परम्परा को अभी तक हमको और आपको सहना पड़ रहा है। साथ में, माननीय अध्यक्षजी, मैं निवेदन करूंगा, एक छोटे बालक का दिमाग बड़ी फोर्मेटिव स्टेट में होता है। आवश्यक है कि वह उस समय उन हाथों में जांय जो उसके दिमाग को अच्छा बनाने के अन्दर दक्ष हैं। एक जर्मन फिलोसफर हर्बर्ड स्पेन्सर ने कहा है। एक छोटे बच्चे का दिमाग है वह like a lump of earth है। एक मिट्टी के ढेले के माफिक है, जिसको आप चाहें जो भी शक्ल दे सकते हैं; चाहे उसकी भारी बनाओ या चाहे और कोई चीज बनाओ। उसमें बनाने वाले की आवश्यकता है। दुर्भाग्यवश हमारे देश में उस श्रेणी के शिक्षकों का भी अभी तक अभाव है और न वह परिस्थिति हम पैदा कर सके हैं कि उस श्रेणी के शिक्षक इस क्षेत्र के अन्दर अपनी सेवायें अर्पित करने के लिए आयें। तमाम देश के वातावरण में एक ऐसी स्थिति हो रही है। तो आवश्यकता इस बात की है कि जो लोग जिम्मेदार हैं और सोसाइटी के अन्दर कोई भी वकत रखते हैं उनको मिल-जुल कर, इस चीज की तरफ ध्यान देकर बच्चों को ऐसे दुष्कार्य के अन्दर से हटाना चाहिए। एक बात मैं यह निवेदन करूंगा कि यह चीज है यह सैंकड़ों वर्षों से है; एक दिन से नहीं। ऐसा नहीं है कि आज कोई काम हुआ तो उसका रीएक्शन कल मालूम हो जाय। यह तो परम्परा पड़ती है, यह परम्परा रिपीटेड इन्स्टान्सेज से पड़ती है। मैं समझता हूं कि हमारे देश को कुछ समय लगेगा, नेताओं को कुछ समय लगेगा जब वह इन बीमारियों से हमारे देश को बचा सकेंगे।

(विराम)

(रावल श्री अमरसिंह)

I am very sorry, मुझे यह नोटिस मिला है कि आधा घंटा मैंने ले लिया है और अब मैं समाप्त कर दूं...........

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : किसने दिया है ?

रावल श्री अमरसिंह : एक महानुभाव हैं जिन्होंने दिया है । अगर इच्छा हो तो मैं निवेदन करता रहूं; Otherwise I can cut short at once.

तो सूक्ष्म में मैं निवेदन करूंगा कि यह जो परम्परायें दुरुस्त नहीं हो पा रही हैं और मर्यादा का उल्लंघन होता है तो मर्यादाओं का हर क्षेत्र में उल्लंघन देश के हित में नहीं रहेगा । इसके लिए हमारे राष्ट्रपति ने यह फर्माया कि इस वक्त धर्म की शिक्षा देना बड़ा आवश्यक है । मैं समझता हूँ कि यह इतना महत्वपूर्ण विषय है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता, क्योंकि यदि भारत किसी क्षेत्र में प्रधान रहा है तो वह रहा है—कृषि प्रधान और धर्म प्रधान । हमने इस दिशा में कौनसी प्रगति की ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो शब्द इस सम्बन्ध में यह निवेदन करूंगा कि हमारे राष्ट्रपति ने यह फर्माया कि इसके अन्दर फर्स्ट ईयर में कौनसा सिलेबस हो, सेकण्ड ईयर में कौनसा सिलेबस हो और थर्ड ईयर में कौनसा सिलेबस हो । और वह किन महापुरुषों का जीवन पढ़ें, बुद्ध का जीवन पढ़ें, मोहम्मद साहब का जीवन पढ़ें और तमाम महापुरुषों के जीवन पढ़ें । मेरा यह निवेदन है कि जीवन पढ़ने में एक और चीज है और वह है धर्म श्रृंखला के प्रति फेथ रखना आवश्यक है, इसलिए फेथ इन्कल्केट करना चाहिए हमारी छोटी जनता के अन्दर ताकि भविष्य के अन्दर वह उसका धर्मपरायण जीवन बने । इसलिये शिक्षा विभाग को जल्दी से जल्दी इसकी ओर कदम उठाने की आवश्यकता है ।

यह जनरल सवाल कहते हुए मैं अपनी घरू परिस्थितियां नहीं भुला सकता । जिस क्षेत्र से मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं उसके प्रति अपना कर्तव्य पालन करते हुए मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं I will be very brief मुझे निवेदन करना है कि जो जल हर क्षेत्र के अन्दर उपलब्ध है वहां कृपा करके आप जल दीजिये । हम इसके अलावा विद्युत् के लिए भी आकांक्षित हैं । दो-तीन वर्ष पहले विद्युत मन्त्रीजी कृपा करके पधारे थे और उन्होंने यह लिखा था कि तुम्हारे क्षेत्र को प्रायोरिटी बेसिस पर रखा गया है । मुझे दुःख है कि आज दिन तक कोई ऐसा निशान नहीं है जिससे हम यह आशा करें कि हमारे क्षेत्र को विद्युत् उपलब्ध होने वाली है । फिर यह प्रायोरिटी कौनसी है और सरकार की एफीशियेन्सी कौनसी है ? मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे इस क्षेत्र को हालत का सवाल है वह बड़ी निग्लेक्टेड रही है। I am sure, Sir, मैं समझता हूं हैल्थ मिनिस्टर महोदय यहां पर होंगे ।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : वह सुन रहे हैं ।

रावल श्री अमरसिंह रावल : मै निवेदन करूंगा कि कभी दौरा करके देखें तो, कि हैल्थ के लिए व्यवस्था क्या हो रही है ? मंत्री महोदय कभी वहां आयें जिनका यह डिपार्टमेन्ट है और वहां का निरीक्षण करें कि वहां की क्या स्थिति है ? कभी वह देखें कि शफाखाने की क्या स्थिति है, उसमें इन्स्ट्रूमेंट हैं या नहीं, दवाइयां हैं या नहीं, डाक्टर हैं

(रावत श्री अमरसिंह)

या नहीं, इन्डोर पेशेन्ट्स के लिए जगह है या नहीं, आज हमारे शफाखाने में। मैं अहसानफरामोश नहीं हो सकता कि सरकार ने बाड़मेर में एक अच्छा शफाखाना बना दिया है। लेकिन बाड़मेर में एक शफाखाना बनाने से इस इलाके की समस्या हल नहीं होती है। बालोतरा में जो शफाखाना बना हुआ है वह ऐसी अवनत हालत में है कि जो भी शफाखाने को देखता है वह कहता है कि यहां पर प्रगति नहीं हुई है।

साथ ही मेरा निवेदन है कि एक मूविंग डिस्पेन्सरी की आवश्यकता है। जहां हर तीस-चालीस कोस तर्क, सत्तर-अस्सी कोस तक कोई कॉम्युनिकेशन के साधन नहीं हैं। वहां के लोग डॉक्टर का नाम तक नहीं जानते हैं, वहां लोगों का दवाइयों के ऊपर विश्वास नहीं है क्योंकि दवाइयां उपलब्ध नहीं होती है। इसलिए विश्वास उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है एक मूविंग डिस्पेन्सरी कायम की जाय। मेरा निवेदन है कि जो आपके जन-सम्पर्क की गाड़ियां हैं, मैं समझता हूं कि कृपा करके जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इनको खत्म करें। इससे सरकार को क्रेडिट नहीं मिलता है, बल्कि मैं समझता हूं कि इससे डिस्क्रेडिट मिलता है। जब भी कभी यहां जन-सम्पर्क की गाड़ियां आती हैं तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं और लोग समझते हैं कि तमाशा दिखाने के लिए आई हैं। इसके सिवाय कुछ नहीं है। इस खर्च को कम करके एक मूविंग डिस्पेन्सरी कायम हो सकती है जो लोगों के लिए लाभदायक हो सकती है।

नकारात्मक स्थिति के अन्दर मैं श्रीमान् से सिफारिश करूंगा कि यह कोआॅपरेटिव सोसाइटीज के अन्दर जितना पैसा खर्च किया जाता है वह व्यर्थ जाता है। कृपा करके जो कोआॅपरेटिव आपने बना दी हैं उनको कन्सोलिडेट कर दीजिये और आगे नम्बर मल्टीप्लाई करने की कोशिश मत कीजिये, क्योंकि लोगों को आज ऋण की अदायगी करने में बड़ी मुश्किल रहती है। कोआॅपरेटिव सिद्धान्त न तो उनके जीवन में हैं और न हो उनके मन में हैं। सिर्फ पैसा बांट-बूंट कर ले लेते हैं और खा-पी जाते हैं लेकिन वापिस वसूली में जब उनके साथ सख्ती होती है तो उससे उनको तकलीफ होती है।

इन शब्दों के साथ मैं सदन का समय अधिक न लेकर अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री जयकृष्ण शर्मा (थानागाजी): अध्यक्ष महोदय हमारे सामने १९६६ का बजट विचारार्थ प्रस्तुत है। इस बजट के प्रस्तुत होने से पहले और जिस समय यह बजट इस हाउस में प्रस्तुत हो रहा था उस समय मेरे दिमाग में यह बात थी कि ज्यों-ज्यों वित्त मंत्री जी आंकड़े पढ़ रहे थे यह खयाल होता था कि इस बजट में इतने करों का भार होगा कि इस साल बहुत बड़ी मुसीबत आएगी, क्योंकि इसके बड़े कारण हैं। पहली बात तो यह कि यह बजट जिस समय या जिन हालतों में प्रस्तुत किया गया है यह पाकिस्तान की लड़ाई के बाद पेश किया गया है। इसके अलावा दूसरी बात यह कि आम चुनावों के पहले और चौथी पंच-वर्षीय योजना शुरू होने वाली है उससे पहले यह बजट पेश हुआ है। इन तीन बातों के जो खास मुद्दे हैं देश के सामने, इससे पहले बजट पेश किया गया है। इसके अलावा मैं

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

एक बात यह भी कहूं कि यह बजट इन हालतों में पेश किया गया है जब कि यह हाउस का आखिरी साल है। हम जवानी से बुढ़ापे में गुजर रहे हैं। क्योंकि हर एक नामजद सदस्य की उम्र ५ वर्ष की यहां पर है। इसलिये इस बजट पर गौर से विचार करेंगे।

जब यह बजट पेश किया गया और जो पहले-पहल मेरे ख्याल थे इस बात को देख कर कुछ तसल्ली हुई और जो टैक्स बजट में लगाये गये हैं वे ऑर्डिनेन्स के द्वारा पहले ही लगा दिया। इसके बाद आपने एक तेल घाणी और घी पर टैक्स लगाये हैं। आपने जो घाणी के तेल और घी पर टैक्स लगाये हैं आपने कहा है कि तेल-घाणी पर टैक्स चोरी को रोकने के लिये लगाये गये हैं, क्योंकि कोल्हू वाले भी मशीन का तेल बेचते हैं। इस लिये इसकी व्यवस्था करने के लिये आपने यह किया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपने उन लोगों पर भी टैक्स लगा दिया तो वे लोग इम्पोर्टेड तेल वालों के मुकाबले में; जो बहुत बड़ी मात्रा में तेल निकालते हैं, नहीं ठहर सकेंगे। इस लिये मैं वित्त मंत्री से कहूंगा कि यदि कोल्हू वालो पर भी इस प्रकार से टैक्स की व्यवस्था कर दी गई, उनको हैरास किया गया तो घाणी के तेल का नामों-निशान भी नहीं रहेगा। हमारे बाल-बच्चे देखेंगे कि कभी घाणी का तेल निकलता भी था या नहीं। इस पर आपको विचार करना है। इसलिये इस घाणी तेल पर टैक्स लगाया गया है इस पर पुनः सरकार को सोचना चाहिये।

मैं यह भी कहूंगा कि प्रजातन्त्र में टैक्सेज लगते हैं। प्रजातन्त्र एक ऐसी हुकूमत है जिसमें विकास की बहुत आवश्यकता होती है। हम यह भी सुनते हैं कि माननीय सदस्य इधर या उधर बैठने वाले टैक्सों का विरोध करते हैं। मगर मैं यह कहूंगा कि एक तरफ तो वे टैक्सों का विरोध करते हैं और साथ ही साथ वे सरकार से पब्लिक हैल्थ सेन्टर खोलने की अपने यहां पर मांग करते हैं और स्कूलों और दूसरी कई प्रकार की मांगें करते हैं। मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि यदि आप समाजवाद को देश में लाना चाहते हैं, प्रजातन्त्र को मजबूत करना चाहते हैं, देश में विकास करना चाहते हैं, आप देश में आम लोगों की माली हालत को ठीक करना चाहते हैं तो आपको यह सोचना होगा कि किस प्रकार से टैक्स बढ़ाये जावें। यदि आप एक तरफ यह कहते हैं कि देश में किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिये तो खजाने की आमदनी नहीं बढ़ सकती और दूसरी तरफ आप सरकार से यह मांग करें कि आम आदमी की सहूलियतों के लिए सड़कें और बिजली का प्रबन्ध होना चाहिए, तो मैं यह कहूंगा कि यह कोई जादूगरी का काम नहीं है कि जादू के डन्डे से सब हो जावेगा। जादू का डन्डा लगाया और काम हो जावे। आखिर काम तो तभी होगा जब खजाने में रुपया होगा। और पैसा खजाने में आने का सोर्स यही है।

प्लानिंग के अन्दर यह जरूरी है कि हमारा विकास हो। देश के विकास के साथ साथ यह भी जरूरी है कि किस प्रकार से हमारे देश में उत्पादन बढ़े। मैं यह भी आपको थोड़ा सा बता दूं कि यदि आप शिक्षा की तरफ राजस्थान स्टेट को आज से

(श्री जयकृष्ण शर्मा)
१० साल पहले देखें तो आपको मालूम होगा कि शिक्षा पर केवल १।। करोड़ का बजट था और आज हम देखते हैं कि शिक्षा पर १३ करोड़ खर्च होते हैं। इसी तरह पाकिस्तान और हिन्दुस्तान का गत वर्ष युद्ध हुआ और राजस्थान की जो तीसरी पंचवर्षीय योजना का बजट २०९ करोड़ का है। परन्तु २७ दिन के अन्दर ५०० करोड़ का खर्चा हुआ। यदि हम इस लड़ाई को देखते कि कितना बड़ा खर्चा डिफेन्स पर होगा, क्या उस वक्त हम इस बात को देखते कि हम इतने बड़े-बड़े खर्चे करने के लिए पाकिस्तान के साथ लड़ाई न लड़ें। तो हमें इस प्रकार की जो बातें हैं उनको ध्यान में रखना होगा।

इसके साथ-साथ यह भी देखा कि हमारा बजट इस साल कैसा है? हमारे राजस्थान में अकाल पड़ा है हाहाकार मचा हुआ है। मैं यह निवेदन कर रहा था कि राजस्थान में अकाल हमेशा पड़ता रहता है राजस्थान में कहीं न कहीं हर साल अकाल पड़ता ही रहता है। आज राजस्थान में अकाल यहां पर है और कल कहीं पर है। और इस कारण हमेशा फैमीन का डिपार्टमेन्ट रहता ही है। इसलिए हमें सोचना होगा कि राजस्थान की हालत अकाल की स्थिति में चल रही है, उसका हल नहीं ढूंढ लेंगे तो हर साल आमदनी का पैसा उसमें चलता जावेगा। हम देखते हैं कि ६३ में अकाल पड़ा और ६६–६७ के बजट में फिर हम देखते हैं वैसी की वैसी अकाल की स्थिति है और अकाल कार्य के लिए हमको पैसा देना पड़ रहा है और धनराशि रखनी पड़ी है। यह एक इन्सानियत की बात है कि हमारे यहां पर अमुक काम होना चाहिए और दूसरी जगह पानी पीने को नहीं मिले तो उसके लिए हमें देखना पड़ता है। मगर हमें यह देखना है कि इसका हल किस प्रकार से हो।

जैसा कि जिक्र मेरे पूर्व वक्ता ने किया खाद्य-स्थिति बड़ी गम्भीर है। उसके लिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं भी अखबारों में पढ़ता हूं और रेडियो पर सुनता हूं कि हमारे देश की खाद्य स्थिति बहुत खराब है और ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देशों के विद्यार्थी पैसा इकट्ठा करके देते हैं और कहते हैं कि हिन्दुस्तान की खाद्य-स्थिति बहुत खराब है, यदि वहां के लोगों को सहायता नहीं दी तो वहां के लोग भूखे मर जावेंगे। मैं यह कहूंगा कि हम लोग हिन्दुस्तान के रहने वाले, जिन्होंने हमेशा संसार में नाम ऊंचा किया और हर काम में अग्रसर रहे हैं, चाहे हमारे यहां वीर पैदा हुए हों, चाहें खेती करने वाले पैदा हुए हों और चाहे अन्य। मगर इस मुल्क से दूसरे लोगों ने शिक्षा ली है। मगर जब हम इस बात को देखते हैं कि हमारे खाद्यान्न के लिए दूसरे देशों के लोग पैसा इकट्ठा करके देते हैं तो हमारा सिर झुकता है। इसलिए जहां तक खाद्य-समस्या का प्रश्न है, अगर हम इसको गम्भीरता से लें और बजट में उसके लिए कुछ भी किया जाय तो मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में ऐसे प्रान्त हैं, ऐसे इलाके हैं, जिस इलाके से मैं आता हूं वह ऐसा इलाका है अलवर, भरतपुर और गंगापुर जो आपको बहुत ही बड़ी मदद दे सकते हैं। परन्तु मैं आप से निवेदन करूंगा कि उनके पास क्या है? यह बात भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां पर खाद्य का प्रबन्ध होता है, जहां पर सिंचाई के साधन

(श्री जयकृष्ण शर्मा)
होते हैं वहां पर कृषि का उत्पादन होता है। अगर आपको इसको गम्भीरता से सुधारने का इरादा है तो आपको चाहिए कि उनको सिंचाई के साधन हैं वे उपलब्ध हों। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सिंचाई के साधन अलवर में किसी बांध से आने वाले नहीं है या सिंचाई से आने वाले नहीं! इसके लिए मन्त्री महोदय से कहूंगा कि इसका इलाज है, बिजली का। यह भी हमने देखा है कि हमारे नजदीक में भाखरा-नागल की बिजली जा रही है। वहां पर हमको बिजली के दिये टिमटिमाते हुए दिखते हैं जहां पर अच्छी तरह से सिंचाई होती है, वहां पर हम देखते है कि २० मन गेहूं पैदा होता है और हमारे यहां पर बिना सिंचाई के ५, १० मन गेहूं ही पैदा होता है।

(११०० म. प.)

यह भी ख्याल होता है कि राज्य के अन्दर खाद्य की समस्या है उसमें देखा जाय तो हमारा वास्तव में पूरा योगदान नहीं रहता है। जहां तक अनाज की कमी का सवाल है, अनाज की कमी को दूर करने पर यदि मन्त्री महोदय ख्याल करें तो मैं यह निवेदन करूंगा कि अलवर जिले के विकास के और कार्यों को आप थोड़ी देर के लिये छोड़ दें, और और दूसरे काम हैं, समाज-कल्याण और दूसरे छोटे-छोटे काम उनको यदि थोड़े समय के लिये छोड़ दें और वहां बिजली दे दें तो राजस्थान के अन्दर कभी इस प्रकार की अनाज की कमी की हालत पैदा नही हो सकती और जो राजस्थान के अन्दर आज यह स्थिति है कि कहा जाता है आज गेहूं की कमी है जो कि कमी है, अगर अलवर जिले को बिजली दे दी जाय तो इस हाउस में खाद्य मंत्रीजी को कभी इस प्रकार की बात कहने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट में इस प्रोविजन को रखेंगे तो आपके सामने यह समस्या बहुत मायने में हल हो जायगी।

माननीय वित्त मंत्री महोदय से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि टैक्सेज का जहां तक सवाल है आपने इनके सम्बन्ध में बड़े गौर से ख्याल किया है। दूसरे विरोधी सदस्य इस बात का ख्याल करते थे कि यह आम चुनावों के पहले का बजट है, इसमें टैक्सेज की इतनी भरमार होगी कि आने वाले आम चुनावों में टैक्सेज की भरमार को पोलिटिकल इश्यू बना कर इस्तेमाल करेंगे, पर अब इस बात को छोड़ कर वे और बातों का सहारा लेने लगे हैं।

मैं तो निवेदन करूंगा कि जो टैक्सेज आपके वित्त मंत्रित्व-काल में लगे हैं, जो टैक्सेज इन पांच वर्षों में लगे हैं, उनकी वसूली के लिये पूरे साधन जुटा देंगे। जितने टैक्सेज लगे हैं उनकी वसूली ठीक तरह से करेंगे तो आपको और टैक्सेज लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने टैक्सेज की वसूली में सख्ती की है, टैक्सेज की वसूली में बढ़ोत्तरी की है, इसको हम भुला नहीं सकते।

पर राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और राजस्थान स्टेट रोडवेज कॉरपोरेशन को १६० करोड़ रुपया दिया है, पर आप इस राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और राजस्थान स्टेट रोडवेज कॉरपोरेशन की व्यवस्था को देखें। आप स्टेट रोडवेज का बचत का बजट देते हैं, २२ लाख साल में बचत हुई, २० लाख साल में बचत हुई, पर मैं तो इसको बचत नहीं मानता, घाटा ही कहता हूं।

Page No. 45

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

माननीय वित्त मंत्रीजी कहेंगे कि आंकड़ों में बचत है तो फिर आप घाटा कैसे बताते हैं ? तो मैं सूक्ष्म में बताता हूं। आपने ५६ रूट्स, नेशनलाइजेशन ऑफ रूट्स के सिलसिले में लिये हैं। वहां जितनी प्राइवेट बसेज चलती थीं, वे कितना टैक्स देती थीं। ३६-८२ प्राइवेट बसेज अलवर रूट पर चलती थीं, वे आपको कितना टैक्स देती थीं। वे हर महीने में ७ दिन चलती थीं। आज १२ बसेज का टैक्स जोड़ कर बजट का बजट बताते हैं, इन सब वस्तुस्थितियों को देखा जाय तो राष्ट्रीयकरण से आ की इन्कम कुछ नहीं है। इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रीयकरण की भावना के विपरीत रोडवेज में कार्यवाहियां होती हैं, बसेज खाली होती हैं, लोग हाथ देते हैं पर बसेज सवारियां नहीं लेती हैं। मैं खुद कह सकता हूं, अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य कहेंगे, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य हैं वे कहेंगे कि रोडवेज से इफेक्टेड जितने सदस्य हैं वे कहेंगे कि रोडवेज में बड़ी अव्यवस्था है। स्टेट की रोडवेज की कमी को देख कर हमें बड़ा दुख होता है। हम चाहते हैं कि मुल्क में समाजवादी व्यवस्था लाने के लिये राष्ट्रीयकरण करना चाहिये पर हमने आज अपनी कार्यवाहियों से आम जनता को महसूस करा दिया है। कि राष्ट्रीयकरण की योजना लोगों को दुख देने वाली व्यवस्था है। गरीबों को आशा थी कि इन रूट्स के राष्ट्रीयकरण से, गवर्नमेंट की बसेज से उन्हें बड़ी सहूलियत मिलेगी, पर रोडवेज से लोगों को सहूलियत नहीं मिलती है तो आम जनता को बड़ा दुख होता है।

उधर राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले हैं; उनसे लोग गांवों में बिजली देने के लिये कहते हैं तो वे यह कहते हैं कि यह नहीं हो सकता वह नहीं हो सकता, इसमें तो घाटे की बात है। हम कहते हैं कि घाटा किसको कहते हैं ? ४ आना लेकर किसान को बिजली पहुंचाते हो, क्या वह घाटा है ? जो उत्पादन बढ़ेगा, बिजली देने से जो अनाज की पैदावार बढ़ेगी, किसान खुशहाल होगा, गांवों की इकोनोमिक कन्डिशन्स ठीक होगी, उनसे जो आपको इन्कम टैक्स मिलेगा, उनसे जो सेल्स टैक्स मिलेगा और आम तौर से गांवों की आर्थिक हालत, माली हालत ऊपर उठती है, आप उसका ख्याल नहीं करते। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि एक कुएं पर बिजली देते वक्त यह सब बातें आपको सोचनी होंगी। और जो आपने यह कॉर्पोरेशन बनाया है, इसका जो विचारने का तौर-तरीका है, उसमें आपको सुधार लाना होगा।

अन्त में मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं।

(समय-समाप्ति सूचक-घंटी)

कल एक माननीय सदस्या ने कहा और आज भी एक माननीय सदस्य ने कहा कि भवानीसिंहजी की बरात के प्रोसेशन में इतनी भीड़ थी कि तिल रखने को जगह नहीं थी। मुझे इससे गिला नहीं, लोग राजाओं-महाराजाओं को आदर की भावना से देखते हैं, मैं अनादर की भावना से देखना नहीं चाहता पर माननीय सदस्य जो अलवर के बैठे हैं उन्होंने देखा होगा और भी माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि हमारे यहां झांकियां निकलती हैं, कोई भी सर्किल हो, बजाजा बाजार में और दूसरी जगहों पर ऊपर से लेकर नीचे तक एक इंच भी जमीन खाली नहीं मिलती

Page No. 46

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

कई बार तो टिनों पर इतने लोग इकट्ठे हो गये कि टिनें ही टूट गईं। तो यह तो लोगों की देखने की उत्सुकता है, इसमें जनता से किसका कितना सम्पर्क है, किसका सम्पर्क नहीं है, इसको हम जलूसों से नहीं जोड़ सकते।

अन्त में मैं खाद्य मंत्रीजी से और वित्त मंत्रीजी से यही निवेदन करूंगा कि आज हमारे देश में खाद्य की समस्या एक सबसे बड़ी समस्या है। मैंने पहले भी कहा था और अब भी कहना चाहता हूं अलवर जिले को सिंचाई के साधन और खास तौर से बिजली उपलब्ध करा दीजिये तो फिर इस हाउस में कभी आपको यह कहने का मौका नहीं मिलेगा कि राजस्थान में अनाज की कमी है।

यह बजट बड़ी सूझबूझ के साथ, सोच-समझकर, बुर्दबारी के साथ, सदन में पेश हुआ है, हम तहेदिल से इसका समर्थन करते हैं।

(कुछ माननीय सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : श्री अमरसिंह, दूदू !

श्री अमरसिंह (दूदू) : माननीय अध्यक्ष, सन् १९६६-६७ का बजट सदन में पेश हुआ; हमने वित्त मंत्री महोदय का बजट भाषण सुना। इससे पहले कि मैं बजट और बजट भाषण के बारे में कहूं, मैं थोड़ा बजट की आवश्यकता और उपयोगिता के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। बजट की आवश्यकता इसलिए है कि हर आदमी को इसकी आवश्यकता है, उसको सुख और शांति के लिए आवश्यक है, इस सबके लिए प्रशासन को चलाने के लिए शासन को खर्च करने की आवश्यकता है, उसके लिये बजट की आवश्यकता है। इससे लोक कल्याणकारी योजनाएं पेश होती हैं उससे रुपया आता है उसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा अच्छे ढंग से कैसे किया जा सकता है, इसके लिए बजट की आवश्यकता है। पर इससे पहले कि हम उनकी मांग पर और रुपया दें, जैसे कि हम हमेशा देते आये हैं, हमें यह देखने की आवश्यकता है कि जो रुपया उनको आज तक दिया गया है, उसका सदुपयोग उन्होंने कहां तक किया है, सदुपयोग किया भी है या नहीं किया है?

गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया की तरफ से राजस्थान के हर विभाग का ऑडिट होता है और उसकी रिपोर्ट हमारे सामने आती है; उनके आधार पर मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो एतराजात उठाये जाते हैं उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। अगर आप यह कहें कि यह बात गलत है तो मैं मिसाल के तौर पर सबसे पहले विभिन्न डिपार्टमेंट्स के अन्दर एम्बेजलमेंट केसेज बने हैं, रिकवरी के मामले हैं उनकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

एपेंडिक्स ७ में देखिए। ये कुल-मामले विभिन्न विभागों से ताल्लुक रखते हैं। रिवेन्यु के ३११, एजूकेशन के ७९, पुलिस के ३६, इस प्रकार से सब अलग अलग न बतलाकर टोटल बताना चाहता हूं कि ६९६ मामले हैं जिनमें २९, ९१, ५६०) के मामले हैं। इस पर उन्होंने आगे लिखा है कि इन मामलों के अन्दर हमें यह सूचना नहीं दी गई कि किन-किन मामलों में विभागीय कार्यवाही की गई, किन-किन का चालान किया गया। अगर आप चाहें तो

(श्री अमरसिंह डूडू)

मेरे पास नोट है। मैं आपके सामने पढ़ कर सुना सकता हूं:—

"Under the rules cases of loss (more than Rs. 200) of Government money, stores and other property are required to be reported immediately to audit. A complete report of the nature and extent of the loss indicating the circumstances which rendered the loss possible and the prospects of its recovery etc., is also required to be sent to audit. Such detailed reports are awaited in 208 cases involving reported loss of Rs. 5.08 lakhs. In 100 of these cases, the losses etc. (Rs. 2.92 lakhs) occurred more than three years ago, and 62 of these (Rs. 1.8 lakhs) are more than five years old. In the absence of such reports, it is not possible to know whether the losses occured owing to any defect in rules or procedure and whether adequate action had been taken to avoid their recurrence."

यानी कि पांच-पांच साल के मुकदमों के मामले पड़े हुए हैं और आज तक चालान होना, वसूली होना यह सब नहीं हुआ। इससे साफ जाहिर है कि आप २६-२६ लाख के मामलों का भी कोई ध्यान नहीं रखते और पटक कर रखते हैं।

दूसरा एक इन्स्टान्स और देना चाहता हूं, आपकी पंचायत समिति के बारे में देना चाहूंगा।

एपेंडिक्स १३। कई प्रकार की ग्रांटस और लोन्स पंचायत समितियों को दिए जाते हैं और जिसको लोक कल्याणकारी बताया गया है उसमें कैसे ध्यान दिया जाता है?

पहला मामला यह है १६,५४,६०४ रु० का इसके अन्दर क्या हुआ है कि कुछ पंचायत समितियों को लोन्स और ग्रांट्स मिली हैं। वे अनयूटीलाइज्ड रही हैं यानी काम में ही नहीं लिया गया है। एक तरफ आप रुपया टैक्स के रूप में ले लेते हैं और दूसरी तरफ खड्डे में पड़ जाता है और काम में नहीं आता है और वसूली इसकी नहीं कर पा रहे हैं। पेज १५६ पर है जिसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें पंचायत समिति के वे मामले है जिनमें एड दी गई है। रुपया एक काम के लिए दिया गया है और दूसरे काम में लिया गया है। मिस्यूज हुआ है। रुपया तो टैंकों के रिपेयर्स के वास्ते और नई टैंक्स के बारे में दिया गया है जबकि उन्होने पंपिंग सेट्स और कुओं और पर्शियन वेल्स पर खर्च किया है। यह मिसयूज नहीं है तो क्या है? रुपया जिन अधिकारियों ने बांट लिया है उनसे वापस वसूल होना वाजिब नहीं है? यह अंधाधुन्ध और घोटाला नहीं है तो और क्या हो सकता है?

उसके बाद इनकम्पलीट मामले पंचायत समितियों के हैं ६३७। ये पंचायत समितियां हैं बून्दी, पाली, दूदू, खेतड़ी इनको रुपया दिया गया। उन्होंने उस रुपये को लगाया श्रमदान में और उसके बाद में अधूरे पड़े हुए हैं। ये मामले १०,५१,१६८) के हैं। जो रुपया सरपंचों को दिया जाता है उसके लिए उनसे कहा जाता है कि वह रुपया तभी काम में लेंगे जब श्रमदान हो जाय। उन्होंने रुपया लगाया और अगर श्रमदान नहीं लगा है तो उनकी गलती है, तो यह रुपया उनसे वसूल होना चाहिए। तो फिर आपकी योजनाएं जो

Page No. 48

(श्री अमरसिंह दूदू)

मकानों के बारे में बनाकर दी हैं वे क्या हैं ? उनमें क्या डिफेक्ट है ? ये मकान अधूरे पड़े हुए हैं और रुपए की बरबादी है।

इस प्रकार की मैंने दो मिसालें आपको दी हैं। एक Embezzlement in different departments और दूसरी पंचायत समितियों के बारे में इन सबका रुपया अगर वसूल हो जाता है तो मैं समझता हूं कि जो आप १,५२,००,०००) रु० की टैक्सेज लगा रहे हैं उसका एक भारी हिस्सा मिल जाता है। एक तरफ आप टैक्स लगाना चाहते हैं दूसरी तरफ आप रुपयों की वसूली करना चाहते, यह अन्याय होगा।

अगर आप ऑडिट रिपोर्ट पढ़ कर पैसा वसूल करना चाहें तो १,०१,०१,०१,१११) रु० आपको दो साल की योजनाओं के लिए मिलेंगे और टैक्स भी नहीं लगाना होगा। और आगामी चुनावों में आपको मुख्यमन्त्री बनाने के लिए यह मुफीद नुस्खा साबित होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) नुस्खा उनसे पूछ लीजिए मुख्यमंत्री बनने का आपके अजमेर में भी एक नुस्खा देते हैं।

श्री अमरसिंह दूदू : जो रुपया आपने बांट दिया है उसका असर पब्लिक पर क्या हुआ है ? इस बारे में आपको कृषि-उत्पादन के जो आंकड़े अन्न के मुझे आपके डिपार्टमेंट से प्राप्त हुए हैं देना चाहता हूं।

कृषि-उत्पादन १९६१-६२ में १३०.२६ था, वह १९६२-६३ में १२१.३५ हो गया। १९६३-६४ में १००.६२, १९६४-६५ में १२७.८८।

इससे साफ जाहिर है कि हर साल उत्पादन अन्न का गिर रहा है। उसी प्रकार दालें १९६१-६२ में १८५.५४, १९६२-६३ में १५४.१४, १९६३-६४ में १११.२४ और १९६४-६५ में १४८.०७। विविध जो १९६२-६३ में १७८.६६ था वह १९६४-६५ में १५०.५७ हो गया। इस तरह पैदावार, इतना रुपया खर्च करने के बाद, इतनी योजनाएं बनने के बाद, गिरती जा रही है। उसका जवाब यही है कि अकाल है और प्रकृति का प्रकोप। सिर्फ उत्पादन ही नहीं गिरता जा रहा है बल्कि पापुलेशन बराबर बढ़ती जा रही है। उसको रोकने के लिए आपने कुछ नहीं किया है। उसके आंकड़े मैं आपको देता हूं :

राजस्थान की पापुलेशनः—१९२१ में १०३ लाख, ६.३ प्रतिशत वृद्धि।

१९३१ में ११८ लाख, १४.१ प्रतिशत वृद्धि

१९४१ में १३९ लाख, १८ प्रतिशत वृद्धि

१९५१ में १६० लाख १५.२ प्रतिशत वृद्धि

१९६१ में २०२ लाख २६.२ प्रतिशत वृद्धि

इसमे यह साबित है कि रेट्स ऑफ पॉपुलेशन बराबर बढ़ती जा रही है और खाद्यान्न का उत्पादन बराबर गिर रहा है। इसमें कहां प्रकृति का ही प्रकोप का सवाल है केवल ? पॉपुलेशन की ग्रोथ को आपको साइन्टिफिक तरीकों से चैक करना चाहिए। इस सम्बन्ध में कई दफा मैं कह चुका हूं और आज फिर कहूंगा उस पर अधिक न

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

जाकर इतना ही बताऊंगा कि फेमिली प्लानिंग के लिए जो पैसा मिलता है उसका

(श्री अमरसिंह)

बराबर उपयोग नहीं होता है। ६३-६४ में ११.७० हजार रुपया था उसमें ५ लाख सेविंग हो गया। आप काम में भी नहीं ला सके। पंचायत लेवल पर छोटी-छोटी कमेटी बनाकर और अन्य जगह पर काम में लाने के लिए दिया था यह काम में नहीं लाया गया। क्या यह भी प्रकृति की कमजोरी है ? वह रुपयों का बादल बने और वर्षा करे। यह मैंने आपको कृषि का उत्पादन और पॉपुलेशन का बताया।

उसी प्रकार औद्योगिक उत्पादन के लिए बताऊं :

१९६१	१९६२
१०,८९,००० टन	१०,७५,००० टन

१९६३	१९६४	१९६५
११,९०,०००	१०,५४,०००	१०,४८ हजार

इस प्रकार ६२ में गिरा, ६५ में तो काफी गिरा।

सूती वस्त्र का देखियेः—

१९६१ में ५.५१ लाख मीटर, १९६२ में ५.२७, १९६३ में ५.६० लाख और १९६४ में ५.९० लाख और १९६५ में ६.०३ लाख।

पांच परसेन्ट तो घटता-बढ़ता रहा है। जब कि बजट बहुत बढ़ा है। इसमें अकाल ने क्या किया ? यह खाद्यान्न के उत्पादन और दूसरी चीजों के उत्पादन पर आपके बजट का असर है।

और भावों की हालत देखना चाहें तो देखिये। ५२-५३ के थोक भाव सूचकांक के आधार पर खाद्यान्न १९५८ से लेकर ६२ तक इन्क्रीज़ हुए वे ८ परसेन्ट हुए ११३ से १२६.३। १९६२ से १९६५ तक जब आप वित्त मंत्री बनकर यहां पधारे उस वक्त हालत यह है कि जहां १९६२ में १२६ थे वे ६५ में १७२ हो गये, ४८ परसेन्ट की वृद्धि। इसी प्रकार औद्योगिक कच्चे माल का उत्पादन १९५८ से ६२ तक ११५ से १४७। २८ परसेन्ट बढ़ा। इसमें जरूर तारीफ करूंगा। उसके बाद देखिये १९६२ के १९६५—१४७ से लेकर १५८.४८ परसेन्ट यहां जाकर गिर गया। इसी प्रकार ईंधन शक्ति १९५८ से १९६२ तक ११० से १२७ ६ परसेन्ट और १९६२ से १९६५—१२७ से तक १५१, ३० परसेन्ट। इसी प्रकार सामान्य सूचकांक को देखा जाय तो १९५८ से १९६१ तक १५८.५ से लेकर १२६। ११ परसेन्ट की वृद्धि और १९६२ से १९६५ तक १२६ से लेकर १६६.४, ३२ परसेन्ट की वृद्धि। भावों को आप कन्ट्रोल नहीं कर सके। बाहर से, भारत सरकार से अनाज मंगाते रहे फिर भी आपने कोई इस ओर प्रगति नहीं की।

भू-राजस्व ४.८६ प्रति व्यक्ति १५ राज्यों में आपका दूसरा स्थान आता है। पन्द्रह रियासतों का टेबल दिया है उसमें आपका दूसरा नम्बर भू-राजस्व लेने में। कुल मिला कर जो आप ले

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

रहे हैं वह है २४—२५ परसेन्ट फी व्यक्ति। यह आपका लेने का स्थान है।

आप फी आदमी कितना खर्च करते हैं यह भी देख लीजिये। सार्वजनिक प्रशासन

(श्री अमरसिंह)
५.२० । आपका राजस्व लेने में दूसरा नम्बर और प्रति व्यति खर्च करने में ११ वां नम्बर । सामाजिक सेवाओं पर आप कितना खर्च करते हैं यह भी देखिये। सब मिला कर देखें तो ५५.७७ आप लगाते है। उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार के बाद आपका नम्बर आता है और सबसे पिछड़े इलाके समझे जाते हैं। यही हालत है, लोगों पर खर्च करने का यह बजट है।

लॉ एन्ड ऑर्डर की स्थिति देखिये। १९६३ में २७०४० क्राइम हुए और १९६४ में २९४६५। १० परसैन्ट इन्क्रीज हुआ। एजुकेशन पर ठीक प्रकार से लगाया जाता पैसा तो कम क्राइम होते ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : इन क्राइम्स में मिनिस्टर्स के इन्वल्यूवेड नहीं हैं।

श्री अमरसिंह : वे अलग हैं।

इसके बाद शराब के मामले में देखिये १९६३ में ५३,१८,६०९ लीटर, १९६४ में ५६,३४,१८२ लीटर शराब का उत्पादन बढ़ा। सरकार का लोगों की मोरेलिटी की ओर तो कतई ध्यान ही नहीं दिया। भंग को देखिये ६८,६२६ किलोग्राम १९६१ में और १९६४ में ७३,७३७ किलोग्राम। अफीम भी देखिये १९६३ मे १८६ किलोग्राम और १९६४ में २६४ किलोग्राम । केवल लिट्रेसी के नाम पर संख्या को जोड़ रहे हैं वैसे लोगों की मोरेलिटी का कोई ध्यान नहीं। हिन्दुस्तान की लिट्रेसी की संख्या को देखकर यहां की देखिये। अंगूठा छापों को नहीं मिटा सके। यह आपके बजट का असर हुआ।

अब आप देखिये राजस्थान स्टेट पर इसका असर। आपने खुद ने ही फरमाया है कि राजस्थान स्टेट को ३३३ करोड़ रुपये की देनदारी है और माल-मत्ता फरमाया आपने वह ३५५ करोड़। करीब बराबर हो जाता है। ज्यादा नहीं। आपने २४८ करोड़ रुपया बांध, इमारतें और सड़कों का आंका है और १०७ करोड़ रुपया रोड़ ट्रान्सपोर्ट का आंका है और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी का भी इसके साथ माना है। यह पता नहीं आपने यह आंकने में कौनसा आधार काम में लिया। रोडवेज की मोटरों की हालत यह है कि जहां आपने ७० हजार की कीमत आंकी है वहां उसकी कीमत तीन-तीन हजार, चार-चार हजार से अधिक नहीं है और जजीरे पड़े हुए हैं। टूल्स नहीं हैं। उन सब को निकाल दें तो आपका मालमत्ता सब खत्म हो जाता है।

इस प्रकार, अध्यक्ष महोदय, मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि यह दिवालिया बजट है। सरकार का दिवालिया आम लोगों के वास्ते कुछ नहीं किया है और ये खुद इस बात को मान चुके हैं कि हम इस लायक नहीं हैं कि आम लोगों को तरक्की दे सकें। यह इनका एक प्रकार से अपराध है। इस बजट से न तो सरकार को लाभ है और न धनहीन मजदूर व मध्यम श्रेणी के लोगों को लाभ है और यह सरकार ने स्वयम् ने माना है। इस बजट से किसान का गला घोंट दिया गया है। पहले ही अकाल है और इधर से आपने ५ प्रतिशत सिंचाई पर टेक्स लगा दिया है। घी और तेल पर भी टेक्स लगा दिया। घी और तेल पर टेक्स लगाना किसान का खून चूसना है। किसान अनाज दे रहा है, दूध भी देता है और थोड़ा उसके पास घी रह जाता है जिससे वह अपने आप को कायम

(श्री अमरसिंह)

रख कर खेती कर सके। आपने उस पर भी टैक्स लगा दिया। इसलिये आप इस बजट को वापिस लें और टैक्स वगैरह के लिये मैंने आंकड़े बताये हैं उनको दुरुस्त करके वापिस बजट प्रस्तुत करें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, २८ तारीख को मेरी गैर मौजूदगी में एक माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा था कि इस सदन के कुछ माननीय सदस्यों को इस सत्र के शेष समय तक के लिये सदन से बाहर निकाल दिया जाय, इस प्रकार का जो प्रस्ताव रखा गया था उसमें मेरा नाम भी जोड़ा गया था। मैंने अखबारों में इस प्रस्ताव की भाषा को जब पढ़ा तो मुझे यह मालूम हुआ कि प्रस्ताव के रखने वाले महाशय ने मुझे राष्ट्रद्रोही कहा है, इस सदन का अपमान करने वाला कहा है, राज्यपाल महोदय के भाषण में विघ्न डालने वाला कहा है इस तरह से पता नहीं कितने ही एडजेक्टिवज़ मेरे नाम के आगे लगाये गये थे। इससे मेरी देश के अन्दर बदनामी हुई है और यह बदनामी आपकी संरक्षकता में हुई है। इसलिये मैं बहुत अदब के साथ प्रार्थना करना चाहता हूं कि २८ तारीख को जिन माननीय सदस्य ने इस प्रकार के प्रस्ताव को सदन के सामने रखा था उनको सदन में बुलाया जाय और उनसे कहा जाय कि वे मेरे बारे में जो कुछ कहना चाहें वे मेरी उपस्थिति में कहें। मैं उन सब बातों का जवाब दे सकता हूं और यह बता सकता हूं कि उनके कहने में और मेरे कहने में क्या सत्यता है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उनको यहां पर बुलाया जाय और उनको प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है कि जो प्रस्ताव सदन के समक्ष आया था उसमें १२ माननीय सदस्यों के नाम थे। चूंकि उस समय तीन माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे और उस बहस में भाग नहीं ले सके थे और अपना दृष्टिकोण नहीं रख सके थे, इसलिये उन तीनों माननीय सदस्यों के नाम उस प्रस्ताव से हटाकर प्रस्ताव पर मतदान करवाया गया था।

जिन माननीय सदस्य ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उनसे पूछे जाने के बाद मैंने उनसे कहा कि अगर वे और प्रस्ताव लाना चाहते हैं तो इस वक्त विधिवत् तरीके से सूचना दें ताकि उस पर कार्यवाही की जा सके। माननीय सदस्य ने जो बात कही उस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस समय कोई इस तरह का प्रस्ताव सदन के सामने है और न मेरे ही पास है। यदि इस प्रकार का प्रस्ताव आता है तो माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति दी जायगी, पूरा मौका दिया जायगा ताकि आप जो कुछ अपने पक्ष में कहना चाहें कह सकें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में १९६६-६७ का बजट जो माननीय वित्त-मंत्री महोदय ने रखा है उस पर चर्चा हो रही है। मैंने इस सारे भाषण को अच्छी तरह से पढ़ा है; जिस तरह का भाषण माननीय वित्त मंत्री महोदय ने इस सदन में पेश किया है उससे पहले भी १९६५-६६ का बजट माननीय वित्त मंत्री ने इस सदन के अन्दर पेश किया था। वह बजट जिस समय पेश किया गया था उस वक्त वह बजट ८६ करोड़ के करीब का बजट था और आज जो उन्होंने सदन के अन्दर बजट

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)
पेश किया है वह बजट ६६ करोड़ ५६ लाख का पेश किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत अच्छी तरह से याद है, जिस वक्त गये साल का बजट रखा गया था उस वक्त में जो उसमें ढ़ाई करोड़ रुपये की कमी थी उसके बाद कुछ टैक्सेशन लगाये गये, उसके बाद उस बजट को थोड़े लाख का लाभ का बजट बता कर पास करवाया गया। उसके बाद आपकी अध्यक्षता में अक्टूबर मास के अन्दर वित्त मंत्री महोदय ने १७ करोड़ की एक्सेस डिमान्ड पास कराई है। जिस रोज इस सदन में इस साल का बजट रखा गया था उसी रोज ६० करोड़ रुपये के अनुदान की भी मांग की गई। इस तरह से इस साल में १ अरब ७ करोड़ रुपये की एक्सेस डिमान्ड्स पास करवाई गई थी जब कि हमारा सारा बजट ही ८६ करोड़ का है। जिस साल का बजट ८६ करोड़ का रखा गया था उस साल के लिये १ अरब ७ करोड़ रुपये की एक्सेस डिमांड्स रखी जाय; मैं नहीं समझता कि यह बजट बनता है या क्या? मूल बजट से एक्सेस डिमान्ड्स ही आगे बढ़ जायं तो यह कैसे माना जा सकता है कि यह बुद्धिमत्तापूर्ण तैयार किया हुआ बजट है? उनसे किस प्रकार से यह आशा की जा सकती है कि वे सदन के सामने सन्तुलित बजट रख सकेंगे? एक्सेस डिमान्ड्स के आंकड़े मूल बजट से भी अधिक बढ़ जाते हैं। मैं नहीं समझता कि वह कहां तक बुद्धिमानी से बजट तैयार किया हुआ माना जा सकता है। इस साल भी ढाई करोड़ के घाटे के बजट को कुछ टैक्स लगाकर प्रोफिट का बजट बनाया गया है फिर भी कहते हैं कि इस साल भी १३ करोड़ से भी ज्यादा घाटा रहेगा। उसके लिये रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट लिया है और उसके घाटे की पूर्ति की गई है और कुछ जनता से लोन लेकर इस घाटे की पूर्ति की गई है। जिस टैक्स के लिये गत सत्र में विरोध हुआ और जिसको सदन ने ठुकरा दिया था; पशुओं पर टैक्स लगाना आदि, उस टैक्स को वित्त मंत्री महोदय और इनकी सरकार ने अध्यादेश लाकर मवेशियों की खरीद-बिक्री पर टैक्स लगा दिया और जितनी भी सेल्स टैक्स की पहले रेट थी उसको भी बढ़ा दिया गया। दवाइयां जैसी चीज, जब कि सारे देश के अन्दर लड़ाई चल रही थी फौज के नौजवान घायल हो रहे थे, उनके लिये दवाइयों की जरूरत थी जिनके इलाज के लिये जरूरत थी दवाइयों की, उन दवाइयों पर सेल्स टैक्स बढ़ा दिया। जनता को यह कहा कि इस लड़ाई के अन्दर हमारे फौज के जवानों को राहत पहुँचाने के लिये सुरक्षा कोष कायम कर रहे हैं, धन इकट्ठा कर रहे हैं और इस तरह से दवाइयों पर सेल्स टैक्स बढ़ाकर उन पर ज्यादा बोझ डाला गया।

कांग्रेस अधिवेशन होने जा रहा था, उसके दस–बारह रोज बाद विधान सभा का सत्र चालू होने वाला था, उससे पांच-सात दिन पहले पांच पर्सेन्ट की बढ़ोतरी पेसेन्जर टैक्स में कर दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सारी चीजों को लेकर कह सकता हूँ कि सरकार ने आज तक गलत नीति से काम करने का तरीका अख्त्यार कर रखा है। जिसको इस सदन के विरोधी और कांग्रेसी सदस्यों ने भी कई बार कहा है कि सरकार गलत काम करने की आदी बन गई है।

इस तरह का ऑर्डिनेंस हमारे पंचायत मन्त्री महोदय ने जारी करवाया विरोधी

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

प्रमुख को खत्म कराने के लिये, उसके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाने के लिये। वह अध्यादेश ऐसा था कि जिसके बारे में एक बिल अक्टूबर में पास कर दिया था। पास होने के बाद भी जिन्होंने उसे इस सदन में पास कराया था और बहुत मजबूरी से पास करवाया गया था उन्होंने ही इस बिल का पालन नहीं किया। बल्कि यों कहिये कि उन्होंने यह उदाहरण पेश किया कि जो कानून बनाता है तो कानून तोड़ने की भी मानो उसे छूट है। शपथ–ग्रहण करने का कानून रखा और फिर उसे पास कराया और खुद ने शपथ नहीं ली। इसलिये उन्होंने अपने आपको जिला परिषद् का मेम्बर बनाने के लिये और उसके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव था इसलिये वह अध्यादेश निकाला है कि वह वहां पर आकर वोट देने का अधिकारी है और उन्होंने तोड़-मरोड़ कर कानून का इस तरह से गला घोट दिया।

तो मैं कहना चाहता हूं, जो शासक इस तरह की आदतों के कारण राजस्थान की दो करोड़ जनता का शोषण करना चाहते हैं और गैर कानूनी तरीकों से कार्यवाही करते हैं, अगर उनकी सारी चीजों को लेकर संविधान में जिस राज्यपाल को स्टेट का सबसे बड़ा अधिकारी कहकर सम्बोधन किया गया है, उसके सामने इन बातों को लाते हैं, इसको रोकने की प्रार्थना करते हैं, डेपुटेशन लेकर जाते हैं और इसके बाद भी वे कोई जवाब हमें देना नहीं चाहें, मुख्य मन्त्री कोई जवाब नहीं दें, तो मैं कहना चाहता हूं कि इस सदन के एक सदस्य के नाते अगर वही बात यहां कहना चाहे और जो इस सदन की अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हैं, इस सदन के हितों की रक्षा करने का जिन्हें पूरा अधिकार है, उनसे इन सारी अन्यायपूर्ण बातों का मुकाबला करने के लिये, उनसे जवाब लेने के लिये कहना चाहें और वह भी साल भर में एक बार जब सदन में आते हों, तो फिर उस अवसर पर ऐसी बातें उनसे न पूछ सकते हों, तो फिर कौनसा दूसरा अवसर हो सकता है ? इसका निर्णय आप दें।

हिन्दुस्तान का इतिहास बताता है, मुगलों ने राज किया, बहुत से हिन्दू राजाओं ने राज किया; उनके दरबार होते थे साल में एक-दो बार तो उन दरबारों में यह भी कहा जाता था कि जो कोई राजकाज करने वालों के खिलाफ कोई फरियाद करना चाहे, अपने दुःख दर्द की फरियाद करना चाहे तो दरबार में आकर करे।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय, सदन में उस दिन पधारे। हम उनका कोई अपमान करने की नीयत पहले से बनाकर आये हों, ऐसी बात नहीं थी, बल्कि बहुत अदब से कहना चाहता हूँ और यह रहस्योद्घाटन करना चाहता हूं कि जैसा कहा जाता है कि हम उनका अपमान करने का कोई षडयन्त्र बना कर आये थे, तो वह षडयंत्र बना कर हम नहीं आये यहां; बल्कि सरकार और राज्यपाल महोदय, इस सदन की परम्परा को तोड़ने का षडयन्त्र लेकर आये। इसका सबूत मैं पेश करता हूं, अध्यक्ष महोदय।

सन् ६२ से लेकर ६६ तक राज्यपाल महोदय के जो जो भी अभिभाषण यहां हुए हैं उन सबकी प्रतियां लेकर मैं आया हूं और उनसे साबित करूंगा कि किस तरह से उन्होंने सदन की परम्परा को तोड़ने का षड़यन्त्र रचा था। ६२ का यह भाषण है जो उस वक्त राज्यपाल गुरुमुखनिहालसिंह थे, उनका।

Page No. 54

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

माननीय अध्यक्षजी, आप जिस तरह से इस सदन के अध्यक्ष के नाते कांग्रेस पार्टी के सामने सम्माननीय है, वैसे हमारा भी सम्मान आपके लिए है। इस कुर्सी के लिए सभी मेम्बरों का बराबर सम्मान है। इसलिए कोई यह कहे कि आप उस रोज सदन में विराजे थे, पर अध्यक्ष की हैसियत से नहीं विराजे थे, आपको अध्यक्ष के कोई अधिकार उस रोज नहीं थे तो मैं समझता हूं इस तरह से कहना आपका और आपकी चेयर का अपमान है और इस चेयर का अपमान सारे सदस्यों का अपमान है। आप वहां विराजे थे तो अध्यक्ष की हैसियत से नहीं बीराजे थे यह कैसे कहते हैं आज वे? मैं बताता हूं, आप मुलाहिजा फरमाइये कि गुरुमुखनिहालसिंहजी ने जो अपना अभिभाषण दिया था उसमें लिखा है 'अध्यक्ष महोदय' और 'माननीय सदस्यगण'। तो अगर आप उस समय अध्यक्ष नहीं थे तो आपको अध्यक्ष महोदय क्यों कहा गया?

इसी तरह से जो वर्तमान में हमारे राज्यपाल सम्पूर्णानन्दजी हैं उन्होंने भी ६३ में जो अभिभाषण यहां दिया उसमें भी आपको 'माननीय अध्यक्ष' कह कर सम्बोधित किया है, माननीय अध्यक्ष का सबसे पहले सम्बोधन किया है। अब अगर आप उस दिन अध्यक्ष के अधिकार या हैसियत नहीं रखते थे तो यह सम्बोधन क्यों किया? यही सम्बोधन उन्होंने अपने ६४ के अभिभाषण में भी किया है। इसमें भी माननीय अध्यक्ष सम्बोधन किया है। ६५ में माननीय अध्यक्ष से सम्बोधन किया है। तो परम्परा यह रही है कि जब राज्यपाल सदन में अपना अभिभाषण करते हैं तो पहले 'अध्यक्ष महोदय' कहकर सम्बोधन करते हैं। पहले चेयर को सम्बोधित करते हैं। अध्यक्ष महोदय का नाम उच्चारण करते हैं।

ऐसा जब वे स्वयं करते आये हैं तो फिर समझ में नहीं आता कि इस बार सन् १९६६ में आपको सम्बोधन नहीं करके 'मित्रो' कह कर लोगों को क्यों पुकारा! क्या यह पूर्व आयोजित षडयन्त्र नहीं था उनका? यह अध्यक्ष का अपमान राज्यपाल महोदय द्वारा नहीं था? यह अध्यक्ष का अपमान राज्यपाल महोदय द्वारा भी करावें और बैठे हुए भी अध्यक्ष न माने जावें और एक साधारण व्यक्ति की तौर से समझने के लिये राज्यपाल महोदय को इस प्रकार के अधिकार राज्य सरकार से मिल जावें! राज्यपाल महोदय का अभिभाषण राज्य सरकार तैयार करती है। वह भाषण इस सरकार की नीतियों का भाषण होता है। तो वह सरकार इस तरह से हमारे माननीय अध्यक्ष की मखोल सदन में राज्पाल द्वारा करावे, यह कोई बहुत अच्छी परम्परा है, यह मैं नहीं समझता।

मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि यह सदन जो हमारे राज्य के और खास तौर से वित्त मन्त्री के बजट में रक्खी गई उन सारी बतों को इजाजत देता है, जो लाखों रुपयों के खर्चे की स्वीकृति देता है और अब एक्सैस डिमाण्ड में ५९ हजार राज्यपाल के लिये रक्खी, मैं कहना चाहूंगा कि जहां संविधान में उनकी यह इज्जत का प्रश्न हैं, मैं समझता हूं कांग्रेस के लोग जो संविधान की दुहाई देते रहते हैं उनको तोड़ने पर जिसको वे देशद्रोही कहते है जिनके लिए ऐसी बातें कही जाती हैं, वे कांग्रेस के लोगों से ज्यादा देश भक्त हैं,

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)
क्योंकि हमेशा संविधान की इस देश में रक्षा की है तो विरोधी पार्टियों के सदस्यों ने ही की है। तोड़ने वाले तो स्वयं ये कांग्रेस के लोग रहे हैं। ये सत्ता के कारण इतने बेलगाम हो गये हैं कि इनको मालूम नहीं कि संविधान में क्या लिखा है और क्या नहीं।

मैं इसके लिए थोड़ा नमूना बताना चाहता हूं। ६ अक्टूबर, ६५ को एक पब्लिक सभा में जैसलमेर में केन्द्र के मन्त्री श्री राजबहादुर उपस्थित थे और उसमें कांग्रेस, राजस्थान की कांग्रेस के बड़े नेता माणिक्यलालजी वर्मा भी सम्मिलित थे। वर्माजी भाषण दे रहे थे। जब हम वहां पर गये तो हमें सुनने को मिला कि उस सभा में जब हिन्दू मुस्लमान का सवाल आया तब माणिक्यलाल जी वर्मा ने कहा कि अगर संविधान में यह लिखा है कि इस देश में हिन्दू और मुस्लमानों को बराबर का अधिकार है, उनको यहां पर रहने की उतनी ही स्वतन्त्रता है जितनी हिन्दुओं को, तो अगर यह संविधान में लिखा है तो ऐसे संविधान को फाड़ कर आग लगा दी जावे।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : बिलकुल गलत है यह ! बिलकुल गलत ! !

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अगर यह बात है तो मैं अपनी गरदन कटाने को तैयार हूं अगर यह बात झूंठ निकल जावे तो। इसकी साक्षी के लिये श्री राजबहादुर जी को इस सदन में बुला कर पूछा जावे।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : स्पेसिफिकली मैं कह सकता हूं, यह बिलकुल गलत है। मैं स्वयं उस दिन उस मीटिंग में था। मैं स्पष्ट तौर से कह देना चाहता हूं कि ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं कहा। मैं खुद मौजूद था उस मीटिंग में और मैंने खुद ने सारा भाषण सुना है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अगर यह बात झूंठ हो तो राजबहादुरजी को सदन में बुलाया जावे। जब वर्माजी ने यह बात कही तो संविधान के पक्ष में राजबहादुरजी ने इतना कहा कि वर्माजी, आप क्या बोलते हैं ? उस संविधान पर तो मेरे भी दस्तखत हैं और आपके भी हैं। फिर भी माननीय सदस्य यह कहें कि झूंठ है यह तो मेरा चैलेन्ज है कि आप इसे झूंठ साबित करें तो मैं अपना सिर उस संविधान की प्रतिष्ठा के लिए उतार कर अपने हाथ से रखने को तैयार हूँ। ये उस संविधान की मखौल उड़ाने वाले बैठे हैं, इस तरह की झूठ बोलने वाले !

श्री फूलचन्द जैन : इसमें कौनसी बात झूंठ है ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जिस सदन में उस दिन यह बात हुई २६ फरवरी को तो उन्होंने आपके सामने यह प्रस्ताव रक्खा उन्होंने दो-तीन वाक्यों का उच्चारण किया था कि जिस वक्त राज्यपाल महोदय सदन में आवें, भाषण दें तो सदस्य मूर्तिवत पत्थर की मूर्ति की तरह होकर बैठ जावें, मोशनलैस पिक्चर की तरह होकर बैठ जायें। बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूं कि ये परम्परायें उस सामन्ती राज्य के जमाने की हैं कि जब राजाओं के समय उनके सामने अगर कोई आदमी बोलने की हिम्मत करता, अगर कोई आदमी अपने जुल्मों की कहानी राजा को सुनाने की कोशिश करता, क्योंकि

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

वह राजा सामन्ती युग के राजा थे और किसी आदमी को फरियाद करने की इजाजत नहीं हो सकती थी और राजा अपने बुरे कामों को सुनने की ताकत नहीं रखता था तो वह हुक्म करता था कि उस आदमी को पीटा जाये, उसके कोड़े लगाये जायें और उसकी खाल उतरवा ली जाये। वही सब कुछ नजारा २६ जनवरी, १९६६ के दिन राज्यपाल महोदय ने किया। राज्यपाल महोदय ने हम लोगों को एक फरमान के द्वारा जिसमें यह कहा गया कि आप लोग फलां तारीख को यहां पधारिये और हम उनके इस फरमान के आधार पर आये हैं। हम बिना बुलाये किसी के यहां नहीं जाते। ये हमारी परम्परायें हैं तो हम इस फरमान के आधार पर आये जिसमें साफ तौर से लिखा है कि राज्य विधान सभा का सत्र २६ फरवरी को ११ बजे बुलाया गया है और आप उसके अन्दर आइये और हम इस फरमान के आधार पर यहां पर आये····

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न रखना चाहता था। क्या आज जो भाषण आपका हो रहा है वह उस दिन की घटना का अपना स्पष्टीकरण करने के लिये हो रहा है या बजट के सिलसिले में हो रहा है? इन दोनों की सफाई थोड़ी सी इस समय आ जाये तो हम उस पर ज्यादा अच्छी तरह से विचार कर सकते हैं। अगर सब खिचड़ी एक हो गई तो फिर और मौके बाकी रह जायेंगे; प्रस्ताव नहीं आया, वह भी बाकी रह जायेगा। तो यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : तो अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने कहा कि बजट पर बोलना चाहिए तो मैं उसी पर बोल रहा हूं।

इसलिए मैं कह रहा था कि राज्यपाल महोदय के ऊपर लाखों रुपया आप खर्च करते हैं और ४९,००० रुपये की एक्सेस डिमाण्ड आपने उनके ऊपर खर्च की है। क्या हम उनके कारनामों पर कुछ भी नहीं कहें, तो फिर कब कहेंगे? जो परम्परायें इस सदन में डाली जा रही हैं वे अच्छी नहीं हैं और इस बारे में जितना कहने का हक आपको है उतना ही हमको भी है।·····

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है वह मैंने अध्यक्ष महोदय के सामने रखा है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : वह अध्यक्ष महोदय आपसे ज्यादा अक्लमन्द हैं जो चेयर पर बैठे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यही है कि इस समय बजट पर सामान्य बहस चल रही है और बहस उसी सीमा के अन्दर होनी चाहिए।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : बजट के ऊपर ही बोल रहा हूं। क्योंकि राज्यपाल महोदय बजट के एक अंग हैं इसलिये कह रहा हूं। आप जिस तरह से आगे से बाहर हो रहे हैं, जिनके ऊपर बजट में से खर्च किया जाता है वह भी इस राज्य के एक युनिट हैं, इसलिए मुझे कहने का अधिकार है।

तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात कह रहा था कि जिस तरह से राजा फरियादी की खाल उतरवा दिया करते थे उसी तरह से राज्यपाल महोदय, श्री सम्पूर्णा-

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

नन्दजी, जो हिन्दुस्तान के बहुत ही बड़े विद्वान आदमी समझे जाते है, जिन्होंने सैकड़ों किताबें समाजवाद के ऊपर, भारत की संस्कृति के ऊपर और दूसरे विषयों पर लिखी हैं, उनमें कुछ को तो मैंने भी पढ़ा है, मैं नहीं समझता कि ऐसे विद्वान आदमी सदन के अन्दर आते ही सिर्फ एक आदमी के द्वारा कुछ निवेदन करने पर इस तरह से उत्तेजित हो जायें-मेरी समझ में नहीं आता कि वे इस तरह से उत्तेजित हो सकते थे। पर इस निकम्मी सरकार ने, जिसने गलतियां की हैं उन पर राज्यपाल महोदय की गलती की छाप लगाई है। इस सरकार ने पूर्व निश्चित षड़यंत्र, जैसा मैंने कहा कि अध्यक्ष महोदय को संबोधित नहीं किया बल्कि हमको 'मित्रों' कह दिया, हम उनके दोस्त नहीं हैं। इस सदन में माननीय सदस्य की हैसियत से आते हैं। वे अगर अपनी इज्जत करवाना चाहते हैं तो यहां के सदस्यों की भी उनको इज्जत करनी चाहिए। तो यह षडयंत्र इस सरकार ने उनके द्वारा करवाया और जो गर्म भावना यहां आने से पहले उनके मन में बनी उसी का नतीजा था कि इनके षडयंत्र ने उनके दिल में जो क्रांति पैदा करदी कि यहां आते ही जो सही काम यहां के सदस्यों ने किया कि कुछ बातें वे उनको कहना चाहते थे कि आपने इन अध्यादेशों पर किस तरह से दस्तखत किये, उस, समय अध्यक्ष महोदय आप भी मौजूद थे और प्रस्तावक महोदय ने कहा कि मूर्ति की तरह लोगों को बैठे रहना चाहिए, मोशनलैस पिक्चर की तरह बैठे रहना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, सुनने में अच्छी लगेगी; लेकिन यह प्रजातंत्र का जमाना है और यह सदन सिर्फ विधान सभा नहीं बल्कि प्रजातंत्र की विचारधाराओं का एक पवित्र मन्दिर भी है। यहां पर आकर हम लोगों को सारी बातें कहने का अधिकार है और अगर हम उस अधिकार का यहां उपयोग करते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता कि औरंगजेब के जमाने में या यह कहना चाहिए कि वह जुल्मी डायर जो अंग्रेजों के राज्य में पैदा हुआ था और उसने हिन्दुस्तान के लोगों को जिन्होंने गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए आवाजें उठाई थीं उनकी खालें खिंचवा दी, उनके डंडे लगवाये और उनको बन्दूकों की गोलियों से भूना। उसी तरह से राज्यपाल महोदय ने यहां के पुलिस वालों से और गैर-विधान सभाई और जिनमें सेक्रेटेरियट के लोग भी हैं, उनके भी अलावा दूसरे लोग जो इस सदन में थे उनके द्वारा यहां के माननीय सदस्यों का अपमान किया। यहां तक कि उनको मारा, पीटा, उनके खून आ गया और इतनी उनके साथ ज्यादतियां की गई।

अध्यक्ष महोदय, आप भी मौजूद थे, आप भी शांत रहे, आपकी भी हिम्मत नहीं हुई कि जिन लोगों की जिम्मेदारी के लिए आपको यहां बैठा रखा है, उनकी आप भी रक्षा कर सकते थे। लेकिन वे राज्यपाल महोदय जो यहां बिराजे हुए थे उन्होंने जो कृत्य किये, उनके बारे में आप भी कुछ बोलते। लेकिन आपने भी कुछ नहीं कहा और न ही उधर बैठे हुए लोगों ने कुछ कहा। लेकिन उन्होंने तो और भी आगे जाकर कहा कि जिस तरह से औरंगजेब के जमाने में या डायर के जमाने में उनकी जरखरीद थी और उनके अत्याचारों के लिए उनके ही लोग उनकी तारीफ करते थे, उसी तरह से हमारे माननीय सदस्यों ने एक प्रस्ताव लाकर रख दिया कि जिन लोगों ने यहां पर विधान की रक्षा की, यहां पर प्रजातंत्र की बात को

Page No. 58

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

रखा और उसको रखने की कोशिश की उनके आपने डंडे लगवाये और यही नहीं; यह गलत काम किया, उनको सजा दिलाई, मारा गया और जिनकी खाल में खून निकाला गया और उनके द्वारा, जो कि पुलिस के लोग हैं। यही नहीं कि जो सारजेन्ट थे, यहां बैठे हुए पुलिस के लोग थे जो कि सिविल ड्रेस में थे जिनके पास विधान सभा का पास नहीं था, वे डी० आई० जी० थे, जो सदन में आये और मैंने खुद ने कहा कि आपके पास विधान सभा का पास है, कैसे आप आ गये तो उन्होंने कहा मेरे पास कोई पास नहीं है। उन्होंने हमको घसीट कर बाहर निकाला। उनके खिलाफ आपने कुछ नहीं कहा, आप मूर्तिवत् बैठे रहे। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत अदब के साथ आप से कहना चाहता हूं कि क्योंकि उस रोज आप यहां बिराजे थे, इस लाइन में बैठे हुए माननीय सदस्य, श्री रामानन्द जी ने कुछ कहना शुरू किया। राज्यपाल महोदय ने उनको निकालने की बात की, रामकिशन जी ने कहा कि आप यह क्या कर रहे हैं और उन्होंने कुछ कहना शुरू किया तो उनको भी निकाला। इतने में उधर बैठे हुए श्री ज्वाला-प्रसाद जी उधर बैठे हुए श्री निरंजननाथ जी आचार्य उधर बैठे हुए श्री रामप्रसाद जी लड्ढा, और यहां बैठने वाले श्री मथुरादास जी माथुर एक के बाद एक खड़े हुए और उन्होंने भी उतनी ही बातें कहने की कोशिश की जितनी दूसरे लोग कह रहे थे; क्यों, अध्यक्ष महोदय, केवल विरोधियों की बात के लिए प्रस्ताव लाया गया, क्यों उनको सदन में रखने की इजाजत दे दी? मगर आपने यह नहीं कहा कि ये ४ आदमी भी मोशनलैस पिक्चर की हैसियत से नहीं बैठे थे और जिस समय प्रस्ताव रखा गया उस समय भी नहीं कहा कि इसमें चार लोगों को भी जोड़ दिया जावे जिन्होंने ठीक वही काम किया था जो कि विरोधियों ने किया था। फिर उनको तो सदन में रखा जाये और दूसरों को निकाल दिया जाये; मैं नहीं समझता कि यह कौनसी बात थी, किसके लिए यह कहा गया था,

(२.०० म. प.)

इस सदन के लोगों पर आप लाखों रुपये खर्च करते हैं और उनका अधिकार है इस सदन में बैठकर राजस्थान की प्रगति के बारे में जो बजट रखा जाता है यहां पर, साल भर में उसके लिए क्या क्या काम होते हैं, उसके अन्दर विभाग कैसे काम करता है, उनकी हम देख-रेख रखें, उसके ऊपर देख-रेख रखें।

मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि इस राजस्थान में हो क्या रहा है? यह मंत्री महोदय आते हैं, वित्त मंत्री महोदय हर साल यहां पर कुछ न कुछ टैक्स लगाते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि इस बजट में ढाई करोड़ का नहीं ग्यारह करोड़ का घाटा है। आज जिसे १.१२ करोड़ का घाटा कहते हैं वह १३ करोड़ के घाटे का बजट है। वह कैसे है? उन्होंने कह दिया कि इतनी तो आमदनी जमीनों के बेचने से होगी। इतनी आमदनी हम जो इरिगेशन के ऊपर सैस लेवी लगाई है उससे कर लेंगे, इतनी आमदनी जो सेन्टर गवर्नमेंट का हिस्सा आएगा उससे हो जाएगी, इतना हम पब्लिक से लोन ले लेंगे। ये सारे आंकड़े मिलाकर भी जो बजट इस विधान सभा में इन मंत्री महोदय ने रखा है उस सब को मिलाकर १३ करोड़ का घाटे का बजट है और उसके ऊपर टैक्स लगाया और उसके बाद कहा कि इतने लाख रुपयों का यह प्रोफिट का बजट बन जाएगा।

मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये विरोधी लोग आपकी आज्ञाओं का

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

पालन दस वर्षों से बराबर कर रहे हैं, आपने जो कुछ कहा उसका कभी उल्लंघन नहीं किया' पर यह मंत्रि-मण्डल है जिसको आपने एक बार नहीं पचासों बार कहा है कि अध्यादेश मत निकालो, यह गलत परम्परा इस सदन में मत डालो, यह प्रजातन्त्र के खिलाफ है प्रजातन्त्र के मूल उद्देश्यों के खिलाफ है क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में भी हम उनसे यही कहा करते थे कि यह अध्यादेशों का राज नहीं चलेगा, यही महात्मा गांधी ने हमें सिखाया और आज भी अक्टूबर से लेकर जनवरी महीने तक चार महीनों में यह निकम्मी सरकार सात तरह के अध्यादेश निकाले तो मैं समझता हूं कि जो अंग्रेजों के जमाने में बातें कहीं, वही बात सरकार पूरा कर रही है; तो हम कहते हैं कि यह अध्यादेशों का राज नहीं चलेगा। और, अध्यक्ष महोदय, क्या ये मेम्बर आपकी बात को मान रहे हैं ? आप उनको एक बार नहीं दस बार रूलिंग दे चुके हैं, आप प्रोसीडिंग उठाकर देखिए, आपने रूलिंग दी है कि अध्यादेश मत निकालो, इस सदन को बुलाओ। सारे साल में सन् १९६५-६६ में था तो बजट का अधिवेशन हुआ या फिर १५ दिन का एक छोटा सा सेशन बुलाया और उसको भी बीच में खत्म कर दिया और एक साल के बाद फिर हमको यहां पर बुलाया है। उसके अन्दर जब हम अपनी बात रखते हैं कि यह गलत किया है, जो उन्होंने प्रजातंत्र का गला घोटा है, उनके कारनामें जब इस सदन में रखते हैं तो कहते हैं कि उनको बाहर निकाल दो। और कैसे साहब ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि यह सदन उस दिन सदन की बैठक के रूप में नहीं था, सदस्य सदस्य नहीं थे, अध्यक्ष अध्यक्ष नहीं था, तो जनाब जो कुछ हुआ वह कैसे हुआ, सदस्यों को निकालने का अधिकार कैसे था, कैसे वे निकाले जा सकते हैं ? क्या वहां से जिस तरह सदस्यों को निकालने का आर्डर दिया गया इन हजरत साहब, इन सार्जेन्ट साहब जो यहां पर बैठे हैं, इनको उस आज्ञा का पालन करने का अधिकार था, क्या इनको अधिकार था कि ये राज्यपाल महोदय की आज्ञा का पालन करें या इस तरह की आज्ञा देने का राज्यपाल महोदय को अधिकार था ? अगर यह सदन नहीं था तो गैलरी में बैठे रहने वाले जितने महानुभाव यहां मौजूद थे वे किसके पास से आए थे, किसके दस्तखतों से उन्हें इस सदन में बैठने की इजाजत दी ? अगर वह सदन नहीं था तो वहां पर गैलरी से उठ कर इस सदन में कोई भी आदमी गड़बड़ी करता तो उसको रोकने का अधिकार किसको था ? उनको किसी कैटेगरी में रखा जाता। तो मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि जिन हजरत साहब को यहां रखा जाता है, जिन हजरत साहब के लिए इतने लाखों रुपयों का प्रावधान संविधान के अन्दर रखा जाता है और हमारे राष्ट्रपति जो देश के अच्छे योग्य आदमियों को ढूंढ कर राज्यपाल की जगह पर बैठाने की कोशिश करते हैं और जब वे ही यहां आकर बैठते हैं तो यह सरकार उनके दिमाग को पहले से ही इतना गंदा बना देती है, इतना प्रेजुडिस बना देती है कि वह आते ही विरोधियों पर बरस पड़े और जो अधिकार उन्हें नहीं थे, उन नाजायज अधिकारों का उन्होंने प्रयोग किया और आप यहां बैठे हुए उनको देखते रहे। मैं यह नहीं समझा कि इस प्रकार की परम्परा देश के लिए और इस सदन के लिये अच्छी हो सकती है। और मैं तो बहुत अदब

(श्री उमरावसिंह ढावरिया)

के साथ कहूंगा कि हमने जो उसके खिलाफ प्रिविलेज का मोशन रखा है उसको इस सदन में रखने की इजाजत दी जाय।

(२.५ म.प.)

(श्री नारायणसिंह मसूदा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

और हम चाहते हैं कि उस पर इस सदन में बहस की जाय कि राज्यपाल महोदय को इस तरह का काम करने का अधिकार था या नहीं और इस सदन के जिन सदस्यों ने हमारे अध्यक्ष महोदय का जो उस वक्त अध्यक्ष की कुर्सी पर थे, उनकी बेइज्जती की है और कहा है कि उस वक्त में अध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं थे, उनके खिलाफ कार्यवाही की जावे। जैसा मैंने अभी सारे भाषणों के अन्दर बताया कि वे अध्यक्ष हैं और उनको सम्पूर्णानन्दजी ने भी सन् १९६३, ६४ और ६५ में अध्यक्ष माना है और उनके पहले के राज्यपाल गुरुमुखनिहाल सिंहजी ने भी उनको अध्यक्ष माना है, उनके लिए कह दें कि वे अध्यक्ष नहीं थे, यह उनकी इन्सल्ट है। यह केवल उनकी ही इन्सल्ट नहीं है बल्कि इस सदन के, राजस्थान विधान सभा के सभी सदस्यों की इन्सल्ट है। इसलिए मैं बड़ी नम्रता से उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस सदन की कुर्सी की इज्जत बढ़ानी है, इस सदन के इन माननीय सदस्यों की इज्जत बढ़ानी है तो इस सदन के खिलाफ, इस सदन की चेयर के खिलाफ जिस तरह की नाजायज चीजें कही गई हैं और यहां की कांग्रेस पार्टी के चीफ व्हिप ने जो कहा है कि उस समय अध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं थे, उनके खिलाफ इस सदन की मान-हानी के लिए एक प्रस्ताव लाया जाना चाहिए और ऐसे जो गलत काम करने वाले लोग हैं, ऐसे जो सदन और सदन के माननीय अध्यक्ष की तोहीन करने वाले लोग हैं, उन लोगों के खिलाफ इस तरह का प्रस्ताव इस सदन में लाने के लिए आपको कहना चाहिए और उस तरह का प्रस्ताव यहां पर लाया जाना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहूंगा कि जिस तरह से इस सदन के अन्दर हमारे वित्त मंत्री महोदय टैक्स लगाते हैं। पहले उन्होंने कुछ टैक्स लगाए अनाज के ऊपर, तिलहन के ऊपर, दालों पर; पता नहीं खाने वाली चीजों में से किन किन पर टैक्स लगाये है। तिल पर टैक्स लगाया दो पर्सेन्ट था; उस वक्त कहा कि तिलहन पर टैक्स लगाया है, तेल पर टैक्स नहीं लगाते हैं और अब १९६६-६७ के बजट में ले आए कि वह तेल पर जो टैक्स उस वक्त नहीं लगाया था वह छूट हटाई जाती है। उस वक्त जब तिलहन पर टैक्स लगाया था तो कहा था कि तेल पर टैक्स नहीं है तो माननीय सदस्यों ने कह दिया था कि चलो तिलहनो पर टैक्स लगालो और अब वह जो तेल पर टैक्स की छूट थी वह वापस लेते हैं और तेल पर पांच परसेन्ट का टैक्स लगाते हैं। एक घाणी से तेल निकालने वाला आदमी, एक तेली जिस तरीके से घाणी से तेल निकालता है उस तेल को खरीदने के लिए पहले तो तिलों पर दो परसेंट का टैक्स और उसका तेल बनने पर पांच परसेन्ट का टैक्स। और यह जो कर्मचारी लोग हैं, छोटे-मोटे कर्मचारी जो यह बतलाते हैं कि मंहगाई बहुत है, अब टैक्स नहीं लगने चाहिए और इनको मंहगाई भत्ता मंहगाई के अनुसार दो, हमारी तनख्वाह में बढ़ोत्तरी होनी चाहिए।

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

तो हमारे वित्त मंत्री महोदय ने कह दिया अपने भाषण में कि घबराओ मत बेटो, तुम्हारे लिए में कन्ज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर खोल रहा हूं। कन्ज्यूमर्स स्टोर में क्या मिलेगा? गेहूं को मैग्ज़ीमम रेट नहीं है। चाहे वह ८५ में मिले, चाहे वह नब्बे रुपये में मिले, चाहे सौ रुपये में मिले, जिस भाव मिलेंगे उसी भाव कन्ज्यूमर्स स्टोर से बिकेंगे। तेल बिकेगा, जिस पर पहले तिलहन पर दो परसेंट टैक्स लगेगा और फिर तेल पर पांच परसेंट का टैक्स लगेगा और दूसरी चीजें भी जिन पर सैंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपना सेल्स टैक्स बढ़ा दिया है, वे चीजें कन्ज्यूमर्स स्टोर्स में बिकेंगी को जिन्होंने आपको अपना पेट बताया है वह वहां के कन्ज्यूमर्स स्टोर का बोर्ड देखकर पेट भर लेंगे? यह उनकी जो मूल मांग है कि वे कमीशन बैठाना चाहिए और मंहगाई के आधार पर उनकी मंहगाई बढ़नी चाहिए, उनकी तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। लेकिन उसकी जगह आपने मिनिस्टरों की तनख्वाहें बढ़ा ली। हजार रुपये की जगह पन्द्रह सौ रुपये कर लिए। नब्बे हजार रुपये राज्य सरकार के मिनिस्टरों को कारें खरीदने के लिए दे दिये। उनका बिजली का टैक्स माफ कर दिया, उनका पानी का टैक्स माफ कर दिया। पैट्रोल का खर्चा जो पहले ३१०० लीटर का था उसे बढ़ा कर छः हजार लीटर का कर लिया।

ये हमारे गरीब कर्मचारी कहते हैं कि मंहगाई बढ़ रही है, हमारा मंहगाई भत्ता बढ़ाओ तो कहते हैं कि कन्ज्यूमर्स स्टोर खोल देते हैं। आप लोग भी क्यों नहीं कन्ज्यूमर्स स्टोर्स मे खाने-पीने की चीजें ले आते? आपको क्या जरूरी है कि साढ़े बारह रुपये रोज जो भत्ता मिलता था उसको बढ़ा कर इक्कीस रुपये कर लिए? आपको क्या जरूरत है कि आपने अपनी तनख्वाह एक हजार से पन्द्रह सौ रुपये कर ली। आपको क्या जरूरत है कि आपने ९० हजार रुपये कारें खरीदने के लिए हमारे खजाने से ले लिया? और फिर गरीबों पर टैक्स लगाते हैं, तेलों पर टैक्स लगाते हैं, घी पर टैक्स लगाते हो? क्या मज़ाक है इस सरकार का? यह उन्होंने किया। पैसेन्जर टैक्स उन्होंने पांच प्रतिशत बढ़ा दिया और फिर क्या कहते हैं कि हम तो लालबहादुर शास्त्री जी के बड़े भक्त हैं क्योंकि वे बहुत बहादुर आदमी थे। कि उन्होंने नारा लगाया था देश में 'जय जवान, जय किसान।' जब यह नारा लगा तो माननीय मुख्य मंत्रीजी से लगा कर सब लोगों ने बहुत जोरों से नारा लगाया, जय जवान, जय किसान 'और किसानों से कहा कि खेती में ज्यादा पैदा करो। तो, बच्चूजी! पैदा कैसे करेंगे? तुम एक एकड़ जमीन पर पानी ले जाओगे तो ५) रुपये ज्यादा सिंचाई टैक्स देना पड़ेगा। क्यों, साहब, 'जय जवान, जय किसान' की बात थी ना। जय जवान वाले जवान की दवाइयों पर जो खर्च होता था उस पर आपने सेल्स-टैक्स लगाय। जब किसान वाले किसान पर आपने इरिगेशन पर ५) रुपये का टैक्स लगाया। यही नहीं हजारों लोगों को आपने जमीनों पर से बेदखल कर दिया इस सरकार ने एक साल के अन्दर हजारों किसानों को बेदखल करवा दिया क्यों कि बिना नाम की जमीन पर पंचायतों के द्वारा दिये हुए पट्टों पर दी हुई जमीनों पर मकान बना कर रह रहे थे। उन किसानों को आपके तहसीलदार और कलेक्टर ने बेदखल कर दिया और इस राजस्थान की हजारों

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

एकड़ जमीन बिना सिंचाई के आज भी ७-७ साल से पड़ी हुई हैं, फिर भी उन किसानों से सिंचाई का ही लगान लिया जाता है जब कि नियम यह है कि तीन साल तक अगर सिंचाई किसी जमीन पर न हो तो उसको बारानी जमीन बना दिया जाय और उसका लगान कम कर दिया जाना चाहिए।

क्यों, वित्त मंत्री जी, मुंह नीचा मत करिये। माननीय उपाध्यक्ष, उनको कहिये कि उंचा मुंह करें और शान से कहें कि हमने ७ साल से जिस जमीन पर पानी नहीं दिया है उस जमीन की सिंचाई की रेट को कम किया है, उनको कोई राहत दिलाई है। अगर नहीं दिलाते हैं तो यह मुस्कान काम नहीं देगी, यह जनता तुम्हारे मुंह पर थूकेगी जो इस तरह से नाजायज हत्या गरीब किसानों की करते हैं और उस किसान की करते हैं जो किसान इस राजस्थान को ही नहीं राजस्थान के बाहर की आबादी को खाने के लिए देता है। उसके साथ में आज अन्याय करते हैं, उसके साथ में मखौलबाजी करते हैं इस बहुमत के आधार पर, तो मैं कहना चाहता हूं कि इस सदन के कांग्रेस के जो सदस्य हैं, जो वहां क्षेत्रों में काम करते हैं; जो किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग से सम्पर्क रखते हैं, इस सदन के सारे कांग्रेसी सदस्यों के भाषणों को मैंने पढ़ा है। उन लोगों में से एक भी नहीं समझता कि ऐसा सदस्य हो जिसने कि बालकृष्ण जी कोल को शाबाशी दी हो, जिसने कहा हो कि बालकृष्ण जी आपने बहुत बढ़िया काम किया। सब ने कहा है कि आपने, बालकृष्ण जी कोल, जो टेक्स लगाया है यह गरीबों के ऊपर अन्याय है, राजस्थान की जनता पर अन्याय है। क्या उनके बहुमत से वहां बैठने वाले वित्त मंत्री महोदय उनकी इस भावना के खिलाफ इस तरह के टैक्स लगा कर भी वित्त मंत्री बने रहना चाहते हैं? इन्दिराजी खुश हो सकती हैं, चाहे नन्दा उससे खुश हो सकते हैं, और स्वप्नों में इस राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी भी हो सकते हैं, लेकिन आप इस जनता के लाडले नहीं हो सकते हैं। जब तक कि इस जनता के हकों की सुरक्षा नहीं करेंगे तब तक आप न तो उनके वफादार समझे जायेंगे, न फेथफुल समझे जायेंगे और न ही जनता के प्रति जिम्मेदार समझे जायेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी जरूरतों को कम करें। आपका और इस विधान सभा के सदस्यों का जितना भी पैसा आपने बढ़ाया है वह पैसा कम कर दें, लेकिन इन गरीबों का पेट भरें, इन गरीबों को दें, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। अगर हिम्मत हो समाजवाद का नाम लेने की, क्योंकि ६५-६६ मे समाजवाद का नाम नहीं लिया गया और ६६-६७ में लिया। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप सामन्तवादी जमाने के आदमी हैं। आपकी क्या मजाल है कि इस तरह से जे० के० सिन्थेटिक्स को १७ लाख रुपया उधार दे सकते हैं. बिनाइल केमिकल्स को मुफ्त में बिजली दे सकते है, कम रेट पर बिजली दे सकते हैं। कामाना को चार करोड़ या चार लाख रु. उधार दे सकते हैं. पैसे वाले लोगों को राजस्थान का खजाना लुटाने का काम कर सकते हैं, लेकिन गरीब आदमियों की बात नहीं कर सकते है, मजदूरों और किसानों का बहबूदी के लिए कोई काम नहीं कर सकते हैं। उनका पेट काटने के लिए और अपनी कुर्सी बचाने के लिए आप काम करते हैं? अब तो तुम्हारे स्वप्नों का मुख्य मन्त्री पद

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

खत्म हो गया है। उस बाजीगर ने आप लोगों को खूब नचाया, डमरू बजा-बजा कर आपलोग खूब नाचे। हरआदमी मुख्यमंत्री बन गया, लेकिन वह बड़ा बाजीगर है उदयपुर का। वह जयपुर को खा जायेगा, भरतपुर को खा जायेगा, वह जोधपुर को खा जायेगा और वह अपनी डमी डमी पर तुम बन्दरों को नचाता रहेगा। तुम कोई भी उसके पास से सत्ता नहीं ले सकते हो। चाहे कुम्भाराम हो, चाहे नाथूराम हो, चाहे दामोदरलाल हो, चाहे आप कौल साहब किसी के लाडले हों। आप उसके सामने जीत नहीं सकतेः क्योंकि उसने आप सबलोगों को भ्रष्ट बनाया है। आप उसके भ्रष्ट तरीकों से इतने दबे हुए हैं कि तुम उस बड़े जादूगर का, उस भ्रष्टाचारी का मुकाबला नहीं कर सकते। उसको डाउन करने की तुम लोगों में हिम्मत नहीं है। अगर किसी में हिम्मत है तो वह है विरोधियों में। जो सबसे बड़ा डाकू है, जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है उसको आप जो छोटे भ्रष्टाचारी हैं उसको खत्म नहीं कर सकते हो। उसको खत्म कर सकती है तो विरोधियों की आवाज ही खत्म कर सकेगी। वह तुम्हारे स्वप्नों के मुख्य मंत्री बनने से नहीं हो सकता है।

तो मैं, उपाध्यक्षजी, बड़े अदब के साथ आपके द्वारा कहना चाहता हूं सरकार से यहां पर बैठ कर इस सदन में हमारे अध्यक्षकी चेयर की रक्षा करें इसके सम्मान को बढ़ाये, सदस्यों के सम्मान को बढ़ाये और इसके साथ साथ जो प्रजातन्त्र के तरीके बने हुए हैं, विधान के अन्दर जिन लोगों का जैसा अधिकार है उन अधिकारों के आधार पर उन लोगों को सही और सच्ची स्वतन्त्रता देनी चाहिए। अगर उसके लिए इस तरह के प्रस्ताव रखते हैं तो मुझे शर्म आती है और इसलिए शर्म आती है कि जिन लोगों को निकालने की बात थी जिनमें १२ सदस्य थे, तो, माननीय उपाध्यक्ष, वे लोग बजट पर बोलने का अधिकार रखते हैं। और चूंकि साल में एक दफा मौका मिलता है तो आप चाहते हैं कि जो कटु आलोचक हैं आपकी बुराइयों के लिए, जो प्रजातन्त्र के पक्के हामी हैं, और जो राज्यपाल के यहां और मिनिस्टरों के यहां की बुराइयां होती हैं, चाहे राज्यपाल के यहां से ४० हजार की शराब ब्लैक में बिक जाये, चाहे उनके यहां ८०-८० ९०-९० हजार की गाड़ियां जब कि देश में लड़ाई का वातावरण हो उस समय भी वहां पर चार चार गाड़ियां ८०-८० हजार की राज्यपाल के बैठने के लिए आ जा जायें, ५ लाख की गाड़ियां मिनिस्टरों के बैठने के लिए आ जायं, और लाखों रुपये का पेट्रोल आप साल भर में उनमें जलायें·······

श्री गोकलप्रसाद शर्मा (मांडल): ८०-८० हजार की चार गाड़ियां कब आई हैं ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : चल कर देखिए आप।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : कब आई हैं ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अभी आई है इसी साल में। इस बजट में लिखा है कि राज्यपाल महोदय ने जो गाड़ियां खरीदी हैं उसमें १५ हजार रुपये की कमी हुई है, गाड़ियां खरीदने में १५ हजार ज्यादा खर्च हुए हैं उसकी मन्जूरी चाही गई है। इसीलिए आपने मोटर विभाग को ५ लाख की मन्जूरी दी। एक मिनिस्टर के बैठने के लिए जयपुर में दो एम्बेसेडर गाड़ी चाहिए उसमें ये फिरें

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

लेकिन अगर वे देहली जाये तो फोरिन की गाड़ियां हों, उनके अन्दर बैठ कर वे जायें क्योंकि हमारे मिनिस्टर की शान माउन्टबैटन से कम है, क्या डायर साहब से कम हैं। वे भी इसी तरह तो काम करते थे, चाहे वे इंगलेण्ड में पैसा ले जा कर खर्च करते हों। या चाहे अपने लिए खर्च करते हों, लेकिन खर्च करते थे, लेकिन ये हमारे मिनिस्टर खादी के तो कपड़े पहने, लेकिन मखमल की गद्दी पर बैठे मोटरों में, जिनमें रेडियो बजता रहे और अगल-बगल में कोई लोग हों और सड़कों पर सैर करते रहें। इस तरह की आराम की गाड़ियों पर बैठना चाहते हैं और दुहाई देते हैं लालबहादुर शास्त्रीजी की, जिन्होंने कहा कि ये मिनिस्टरों को १० हजार से ज्यादा की गाड़ी पर नहीं बैठना चाहिए। ऐसी बात आप नहीं मानेंगे। ऐसी बात आप नहीं मानेंगे चाहे लालबहादुर जी कह कर मर जायें, चाहे जवाहरलालजी कह कर मर जायें। ये मानेंगे उस बात को जिनमें इन लोगों का फायदा हो। जो उन्होंने सिद्धान्त की बात कही उसको नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा कि आचार-संहिता बननी चाहिए, आपकी जितनी प्रोपर्टी है उसको बताए, लेकिन ब्लेक में आप पैसा ले जा रहे हैं।

मैंने एक प्रश्न पूछा था, उपाध्यक्ष महोदय, उसका जवाब मैंने देखा तो ८०-९० हजार इसी साल के अन्दर मिनिस्टरों को गाड़ियां खरीदने के लिए दिये गये हैं और ऐसे ऐसे मिनिस्टर भी हैं जिन्होंने ३ साल में तीन फियेट गाड़ियां खरीदी हैं और बेची हैं। उनसे पूछा कि क्यों बेची तो कहा कि इसमें मेकेनिकल डिफेक्ट हो गया था। ये हमारे स्वास्थ्य मंत्रीजी, बरकततुल्ला खां थे जिन्होंने एक ली और बेच दी, दूसरी ली और बेच दी और फिर तीसरी ले ली। एक ही नहीं, मैंने एक लिस्ट देखी उसको बताना चाहता हूं। यह जो राज्य के खजाने से, राज्य के खाते में से जिनको गाड़ियां दी जाती हैं, उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप इस सदन की और इस राजस्थान के फाइनेन्स की रक्षा करना चाहते हैं, तो मैं अदब के साथ कहता हूं कि जिनको राज्य के खाते से गाड़ियां दी गई हैं उनकी लिस्ट उठा कर देखें। यह कान्ता खतूरिया कौन है, यह सज्जनदेवी कौन है, जिनको दो-दो गाड़ियां दी गई? मैं पूछना चाहता हूं उनको राज्य में उनको क्या अधिकार है, किस पद पर बैठे हैं? वित्त मंत्री जी......

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर): कान्ता खतूरिया सोशियल वरकर है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया: सोशियल वर्कर हैं या क्या हैं, मैं नहीं समझता; मिनिस्टर चलाने वाली है या मिनिस्टर बनाने वाली है, उससे मुझे मतलब नहीं है।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं कि जिनके अधिकारों पर ये कुठाराघात करते हैं और जिनकी रक्षा सरकार नहीं करती है तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप क्या करते हैं, यहां पर बैठ कर आपको तो इन सब की रक्षा करने का अधिकार है, आप तो करिये इनकी रक्षा। आप लिस्ट उठा कर देखिये कि इन्होंने किन-किन महाशयों को गाड़ियां दी हैं और एक ही व्यक्ति को एक साल में दो गाड़ियां कैसे दे दीं? इसका इनको जवाब तो देना चाहिये, इनके पास कोई जवाब नहीं है।

Page No. 65

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)
कान्ता खजूरिया को कैसे दो गाड़ियां दे दीं ?........

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : यहां कोई मिनिस्टर बैठे हैं क्या ट्रान्सपोर्ट के; जो अभी जवाब दे देंगे ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं नहीं कह सकता कि इनकी अक्ल में कौनसी बात आती है। जब यहां पर एक मिनिस्टर बैठे हुए होते हैं और उस पर ऐतराज होता है तो कह देते हैं कि एक मिनिस्टर भी केबिनेट का प्रतिनिधि है क्योंकि जॉइन्ट रैस्पोन्सिबिलिटी है। यहां तो तीन-तीन मिनिस्टर बैठे हैं फिर भी कहते हैं कि यहां कोई ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर बैठे हैं क्या जो जवाब देंगे। मैं कहता हूं कि मेरे जैसा आदमी खड़ा हो बोलने के लिये तो सभी मिनिस्टरों को यहां पर बैठना चाहिये और मेरी बातों का जवाब देना चाहिये। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं जो आकर चापलूसी करूंगा। मैं राज्यपाल से लेकर एक-एक आदमी को जानता हूं, ये सारी बातें करते हैं उनको जानता हूं। ये राजस्थान के खजाने के पैसे की होली करने बैठे हैं। राजस्थान के गरीबों पर टैक्स लगाते हैं, आखिर उसकी जिम्मेदारी किसी पर है या नहीं ? और यदि है तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा जवाब चाहूंगा। इन सब बातों का जवाब दें। इस तरह की कोई एक बात हो तो बताऊं।

एक बात मैं और कहना चहाता हूं, आप रहने वाले हैं अजमेर के फाइनेन्स मिनिस्टर साहब, अजमेर के ही रहने वाले एक जागीर के वकील हैं। ये साहब जो आपकी पी. सी. सी. के मेम्बर हैं इनका अपॉइन्टमेन्ट ४००) पर जागीर के वकील की हैसियत से इस सरकार ने ८ साल पहले किया था। जब लड्ढा साहब रेवेन्यू के उप-मंत्री बने तब उन्होंने एक ऑर्डर निकाल दिया कि जिस दिन से इनकी अपॉइन्टमेन्ट हुई उसी दिन से इनको ४००) रु० के बजाय ८००) माहवार दिये जायं और ८ साल का एरियर इनको एक साथ दिया जाय। क्या वित्त मंत्रीजी यह बात सही है या नहीं ? खड़े हो जाइये जरा और बताइये ? इतना ही नहीं इन्होंने हमारे खजाने पर कितने डाके डाल रखे हैं ? ये वकील साहब सरकारी मुकदमों की पैरवी करते हैं। और जब विपक्षी पार्टी के आदमी अदालत में नहीं आते हैं तो सरकार से खर्च दिलाया जाता है। क्यों साहब ? जब सरकार से वकील साहब पैसा लेते हैं तो जो खर्च दिलाया जाता है अदालत की तरफ से वह खर्च सरकार के खजाने में जमा होना चाहिए और वकील साहब को नहीं मिलना चाहिए। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी और सदन की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि उन वकील साहब को इन आठ सालों में यह खर्च की रकम तीस हजार रुपये दी गई है। तीस हजार रुपये की रकम ! और यही नहीं, वे वकालत करते हैं, कहां ? अजमेर के रेवेन्यू बोर्ड में और उनको यह इजाजत दी गई है कि जो हाई कोर्ट में केस जाता है उस केस के लिए हाई कोर्ट में आपका वकील मौजूद है, वहां आपकी पैरवी करने के लिए वकील मौजूद है। पर अजमेर से ज्यों ही फाइल जाती है, उसके साथ-साथ ये वकील साहब भी जाते हैं और सरकार से वहां आने-जाने का खर्चा भी लेते हैं और जब उनसे पूछा जाता है कि तुमने क्या किया, तो कहते हैं कि

Page No. 66

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)
यह फाइल और यह कागज मैं वकील साहब को बताने के लिए गया था। मैं पूछना चाहता हूं आखिर यह मजाक क्या है? एक तरफ तो आप कहते हैं कि राज्य सरकार का कोई नौकर नहीं हो सकता राजनैतिक पार्टी का मेम्बर, और दूसरी तरफ वे पी. सी. सी. के मेम्बर हैं और हजारों रुपये........

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल): वकालत करना मना है?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया: वकालत करना मना नहीं है। इस राज्य के खजाने से नाजायज पैसा लेना मना है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: वकालत करते हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया: अरे! वकालत कहां करते हैं, वे तो एक पोस्टमेन का काम करते हैं। फाइल को अजमेर से ले आकर वहां देते हैं। ये पी. सी. सी. के मेम्बर हैं, मैं इसका विरोध नहीं करता; फिर तो यहां भी वकील हैं, सतीशचन्द्रजी पैरवी करते हैं, इनको भी राज्य का मुकदमा करने का मौका दिया होता। वह उनको नहीं देते हैं क्योंकि वे आपको, XXXX उनके पास शक्ति है, काबलियत है। कोई छोटी-मोटी बातों में ऐसा होता हो, किन्तु मैं उनकी बात नहीं करता। मैं तो कहना चाहता हूं, ये सारी बातें जो दोस्त की हैसियत से आप यहां बैठ कर करते हैं, अपने दोस्तों को पालते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अजमेर में गया और मैं उस घर में गया जिसमें ये महाशय रहते हैं। मैंने पड़ौसियों से पूछा कि आज से आठ साल पहले इनकी क्या हालत थी और आज क्या हालत है? तो उन्होंने कहा कि ये किसी जमाने में जनसंघ में थे....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, ऑनरेबल मेम्बर, श्री उमरावसिंह ढाबरिया! इस सम्बन्ध में जो रेफरेन्स दिया है वह मैं समझता हूं, that is derogatory to the prestige of the member of the House and it must be expunged.

श्री उमरावसिंह ढाबरिया: मुझे तो कोई एतराज नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: इतना ही केवल सेन्टेन्स।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया: मैंने कहा वह निकाल दीजिये, मुझे एतराज नहीं है। मैंने तो यह कह कर सम्मान बढ़ाया है और मैं इस तरफ ध्यान आकर्षित करूंगा, इनको करने को केस दें और देखें कि ये उनसे अच्छी पैरवी करते हैं या नहीं? लेकिन नहीं देंगे क्योंकि ये कांग्रेसी नहीं हैं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: इस पर व्यवस्था नहीं हुई। इन्होंने स्वीकार किया है कि इन शब्दों को निकाल दिया जाय XXXXX वे शब्द आपके एक्सपंज हों। मैं व्यवस्था चाहता हूं कि वे शब्द कार्यवाही से निकाल दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष: वे शब्द कार्यवाही से निकालने के आदेश दे दिये गये हैं। और माननीय...

XXXX अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Thank you.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि किसी सदस्य के ऊपर कोई इस प्रकार की बात हो तो उससे बच कर बात करें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : इसके अलावा समय काफी हो गया है और दूसरों को अवसर देना आवश्यक है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : समय तो जरूर हो गया है . . .

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बोलने दिया जाय।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : लेकिन मुझे कुछ कहना है। मैं पांच दिन से तो वैसे ही बोल रहा हूं और दो पहलू मेरे साथ हैं, और इस सदन में कभी आने की कोशिश करना नहीं चाहता, क्योंकि प्रजातन्त्र के आधार पर इस सरकार को सही रखने वाले लोगों की बात यह सुनना नहीं चाहती, और हमारे अधिकारों को खत्म करना चाहती है, और केरल में पहले गोली चलाई, फिर बिहार में गोली चलाई और बाद में कलकत्ता में गोली चलाई, फिर पंजाब में चलाई। आप सारे देश में इस तरह की परिस्थिति पैदा करके जनता को उत्तेजित करके उस पर गोलियां चला दें, इस देश में आतंक पैदा करें और यह चाहें कि फौज वाले आकर शासन करें और प्रजातन्त्र को मानने वाले लोगों के अधिकारों को खत्म कर दिया जाय, इस तरह की परम्परा और वातावरण यह कांग्रेस की सरकार सारे देश में पैदा कर रही है, उनके बारे में मैं कहना चाहता हूं और इसलिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, से कहना चाहता हूं कि टाइम पर रोक नहीं लगाई जाय, मैं उपयोगी बातें कह रहा हूं, गलत कहता होऊं तो रोक दिया जाऊं सही बातें सुनने को तैयार रहना चाहिये। जितनी बातें मैंने कही हैं उनके बारे में साथ ही साथ मैं चैलेंज करता हूं कि आप यदि किसी बात को गलत साबित कर दें, तो मैं सजा भुगतने को तैयार हूं। डरते क्यों हैं?

जब मैं वहां दौरे पर गया तो मैंने उनके आस-पड़ौस के लोगों को पूछा तो उन्होंने कहा कि वकील साहब किसी जमाने में जनसंघ के मेम्बर थे, अब ये कांग्रेस के मेम्बर हैं, लोगों को मारे प्रलोभन दिये जाते हैं, रात को ९ बजे झंडेवाली गाड़ियां आकर इनके बाहर खड़ी हो जाती हैं, दिन के १२ बजे खड़ी हो जाती हैं, ये मिनिस्टरों और ऑफिसरों को चाय पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं और उसके एवज में तीन-तीन हजार से भी ज्यादा रुपया इनको दिलाया जाता है; तो ८ साल में इनकी काया-पलट नहीं होगी तो क्या होगा? ये सारी बातें मैंने आंख से देखी हुई कही हैं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ये जनसंघ में कब थे?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं ८ साल पहले की बात कहता हूं, जिस समय शायद आप भी जनसंघ के नेता नहीं थे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाजार, जयपुर): आपने पार्टी का नाम बताया है। यह बात सत्यता से परे है कि पुरुषोत्तमजी कुदाल कभी जनसंघ के मेम्बर थे?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अब तो आपने उनका नाम भी बता दिया मैं नाम नहीं

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

बताना चाहता था। नाम नोट कर लीजिये, वे साहब कौन थे ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कौल साहब, फाइनेन्स मिनिस्टर से कि वे कहें कि ८ साल पहले उनको कितने में नोकर किया था और बाद में कितने रुपये इनको दिये जा रहे हैं। यह भी सही है क्या कि अभी अभी चेयरमेन, रेवेन्यू बोर्ड ने इनको १२००) रु० तनख्वाह देने के लिये फाइल पर रिकमन्ड करके भेजा है ? ८००) से १२००) रु० क्योंकि लोड ऑफ वर्क बढ़ गया, फाइलें बढ़ रही हैं। फाइलें तो होशियार वकील होगा तो एक मुकदमे की चार खोल कर बढ़ा देगा। फाइलें बढ़ाने का यह हाल तो तब है जब कि रेवेन्यू बोर्ड का ऑर्डर है कि एक ही शक्ल के जितने मुकदमे हैं उन पर एक प्रकार का प्रोसीजर लागू होना चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि ४०० मुकदमें एक ही तरह के पड़े हैं। रेवेन्यू बोर्ड की रूलिंग के उपरान्त भी वकील साहब उनको तय नहीं कराना चाहते हैं क्योंकि लोड आफ वर्क ज्यादा बताकर पैसा लेना चाहते हैं। यह बात मैंने इसलिये कही, कौल साहब, कि इस तरह की चीजों को रोकेंगे तो राजस्थान का खजाना खाली नहीं होगा और जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑर्डिनेन्स लाकर टैक्स लगाने की।

आपने मोटरों पर टैक्स लगा दिया। हाईकोर्ट में क्या हालत हुई ? आप यहां पर बड़े जोर से कहा करते थे कि जिनसे बकाया है उनसे वसूल करेंगे, चाहे वह मुख्य मन्त्रीजी का रिश्तेदार ही क्यों न हो। आपने हाईकोर्ट में क्या जवाब दिया ? क्या टैक्स वसूल कर लिया ? बोलिये जरा। मैं कहना चाहता हूं कि आप जो कानून बनाते हैं वह इस तरह का लचर बनाते हैं कि हाईकोर्ट में जाने के बाद टैक्स खत्म हो जाय और लाखों रुपये जिनसे वसूल किये हैं उनकी जेब में पड़े रह जायं। अब कहते हैं ५ परसेन्ट और लगा दो। उसकी क्या हालत होगी ?

तो मैं तो आपसे यह कहना चाहता हूं कि आज इन सारी बातों के साथ इस तरह के अत्याचार जो आपके राज्य में हो रहे हैं किसानों के प्रति, आपने सोने का व्यापार खत्म कर दिया, अनाज के व्यापारियों का काम खत्म कर दिया, लेन-देन करने वाले व्यापारियों का काम खत्म कर दिया, ये छोटी-मोटी रिटेल शॉप चलाने वाले व्यापारी थे उनका व्यापार बन्द कर दिया। सरकार उधार दे आज कारखाने चलाने के लिए, तो हिन्दुस्तान के करोड़पतियों को, और अगर जमीन दे तो बिड़लाजी को ऐसी हमारी कांग्रेस सरकारों की नीतियां चल रही हैं कि हजारों बीघा जमीन फार्म चलाने के लिए दें तो करोड़पति को, लाखों रुपये आप कारखाना लगाने के लिए दें तो पूंजीपति को ऐसे लोगों को तो आप पैसा देते हैं और गरीबों पर टैक्स लगाते हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आखिर अपना तमाशा क्यों कर रखा है ? और अगर इस सारी बात के लिए हम यहां आकर राज्यपाल को कहते हैं, और यह कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपका जैसा बुद्धिमान, आपका जैसा राजनीतिज्ञ आदमी क्या कर रहा है, संस्कृति का विद्वान् आदमी जो राजस्थान जैसे पिछड़े प्रान्त का गवर्नर है उससे राजस्थान सरकार ऑर्डिनेन्सेज पर आंख मिचवा कर दस्तखत करवाती हैं और आप कर देते हैं। यह क्या बात है और इस बात को कहते हैं तो कहते इनको निकालो, बाहर निकाल दो, हम नहीं सुनना चाहते हैं।

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

तो आज के इस लोकतान्त्रिक राज्य को चलाने वालों के लिए मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जुल्मी जायर इस हिन्दुस्तान में हुआ था, या जो औरंगजेब इस हिन्दुस्तान में हुआ था, और नादिरशाह हिन्दुस्तान में हुआ था जिनके कारनामे हिन्दुस्तान के इतिहास में भरे पड़े हैं ठीक उसी तरह इस मोहनलाल सुखाड़िया के राजस्थान के राज्य के लिए इतिहास में लिखा जायगा कि जिन लोगों ने हिन्दुस्तान की आजादी के लिए लड़ाई की, जो लोग हिन्दुस्तान में प्रजातन्त्र लाने के लिए यहां पर लड़े और इस विधान सभा जैसी चीज को बनाने के लिए जिन्होंने विधान कायम किया उन लोगों को इस सदन से निकाल दिया गया क्योंकि एक फरियादी अपनी फरियाद इस राज्य के पास नहीं सुना सकता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केवल इतना ही नहीं

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं तो इसके साथ यह कहना चाहता हूं कि जिस वक्त यह बात हुई उस वक्त रामानन्दजी ने एक सवाल उठाया था और राज्यपाल महोदय ने कहा इन्हें निकाल दिया जाय। तो हम लोगों ने पूछा था, यह क्या कर रहे हैं, यह क्यों कर रहे हैं; जब यह अध्यादेश के बारे में बोल रहे हैं? तो आज हिन्दुतान में इसके साथ यह बात भी आपने साबित कर दी कि कोई जुल्म हो रहा है, किसी आदमी के ऊपर यहां जुल्म हो, लेकिन यह कोई मत कहो कि तुम जुल्म कर रहे हो। यह भी आपने मिसाल कायम कर दी और इस सदन के अन्दर जो इस सदन के बाहरी आदमी हैं पुलिस के लोग, वे सिविल ड्रेस में आकर, सम्माननीय सदस्य जो इस हाउस के हैं, उनको बाहर निकालें, उनके साथ हाथापाई हो, उनके खून निकाल दें, उनके कपड़े फाड़ दें और उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं हो?

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : वही कुछ कह रहे हैं जो कह चुके हैं। अब वापिस कह रहे हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि इस सदन में जिस तरह के कारनामे राजस्थान की सरकार कर रही है और ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देने की बात कर रही है जो इस सदन में गलत परम्परायें लाकर डालते हैं, मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं, चाहे ये मानें या न मानें, कि राजस्थान की जनता और हिन्दुस्तान का बुद्धिमान आदमी आज इस बात को महसूस कर चुका है कि राजस्थान की विधान सभा के अन्दर २६ फरवरी को जो कुछ भी राज्यपाल ने किया वह उनके अधिकार के अन्दर नहीं था, ऐसा करके उन्होंने एक अनधिकृत चेष्टा की है, इसलिए संविधान के अन्दर जो अधिकार उनका नहीं था उसका उन्होंने दुरुपयोग किया है। तो मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जो प्रिविलेज मोशन उनके खिलाफ इस सदन के अन्दर रखा गया है, उसको सदन में रखा जाय और उस पर बहस की जाय। और मैं

Page No. 70

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

तो यह भी कहूंगा कि इसमें चाहे इधर बैठने वाले माननीय सदस्य हों, चाहे उधर बैठने वाले माननीय सदस्य हों वे इस बात को खत्म होते हुए न देखें। सही बात करने वाले के ऊपर इस सदन में जुल्म होता है तो फिर पुलिस के थानेदार के यहां क्या होगा,

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पुलिस के एस. पी. के यहां क्या होगा, दूसरी जगह क्या होगा? जहां पर इस तरह किसी पर जुल्म होने वाले व्यक्ति के लिए यदि कोई कहता है कि तुम जुल्म कर रहे हो; अब इस तरह से कहने वाले के साथ इस सदन में अन्याय हो, उसके साथ मारपीट हो, उसके कपड़े फाड़ दिये जायं, उसको निकाल दिया जाय, अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया जाय, तो फिर प्रजातन्त्र कहां रहेगा?

सुखाड़िया साहब, आपने भी महाराणा भूपाल के राज्य के लिए यही कहा था "तुम जुल्म कर रहे हो, तुम जनता की अवाज को नहीं सुनते हो, इसलिए तुम्हारा राज्य समाप्त किया जाता है"

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अंग्रेजों को हटाया जाय क्योंकि वे ऑर्डिनेन्स का राज्य करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आप घंटी एक बार नहीं, पचास बार बजाइये; मैं आपकी घंटी की इज्जत करता हूं। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि इस निकम्मी सरकार को इस बात की जुर्रत कैसे हुई कि इस सदन के माननीय सदस्यों के नाम के साथ कई अलंकार लगा कर उनको बदनाम करने की कोशिश की है? और यह उस आदमी ने किया जिस आदमी को पता नहीं कि हिन्दुस्तान की लड़ाई के अन्दर कितनी कुर्बानियां करनी पड़ी हैं, यह लड़ाई क्यों लड़ी गई? ऐसे निकम्मे डम्पन मॉडल कांग्रेसी के द्वारा, जिन्होंने कांग्रेस में रह कर आजादी की लड़ाई की है, जिन्होंने संघर्ष किया है, जिन्होंने तपस्या की है, को सदन के बाहर निकालने का सदन में प्रस्ताव मंजूर कराया जाय, तो मैं कहना चाहता हूं कि इस सदन के माननीय सदस्यों के अधिकारों पर घोर कुठाराघात इस सदन में हुआ है, इसके साथ-साथ विधान की धज्जियां राज्यपाल ने उड़ाई हैं। यह इस सदन के किसी सदस्य ने नहीं उड़ाई है और इस तरह .....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक शर्मनाक काम कांग्रेस ने किया है। मैं किसी की जुर्रत नहीं समझता कि आप मेरे खिलाफ प्रस्ताव लायें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं शान के साथ कहना चाहता हूं, इस प्रजातंत्र को खत्म करने वाली सरकार द्वारा अगर इस तरह के प्रस्ताव लोक तंत्र की लाज को कायम रखने वाले लोगों के खिलाफ लाये जाते हैं तो मैं जब तक उन माननीय सदस्यों को इस सदन में नहीं बुलाया जायगा, मैं भी इस सदन में आज के बाद आने के लिए तैयार नहीं हूं और मैं यह कहना चाहता हूं कि इस राजस्थान की सरकार के खिलाफ वे सारी बातें राजस्थान में यहां की जनता करे जो केरल में, बिहार में

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

और कलकत्ता में और पंजाब में हो रही है, उसी तरह की घटना राजस्थान का भूखमरा किसान मजदूर, मध्यम वर्ग के आदमी, क्लर्क चाहे वह राज्य के कर्मचारी हों, चाहे बाहर के हों, जो अभी भूख हड़ताल कर रहे हैं जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनकी तरफ आज सुखाड़ियाजी देखते नहीं.........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इनसे लोग मालामाल हो गये। ये भी मालामाल होगये ये क्यों देखेंगे किसी की ओर ? मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपका यही रवैया रहा तो उस तरह का कांड यहां भी न हो जावे। इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अनाज के व्यापार में आपने लूट मचाई। लोगों को भूखों मारे। अक्टूबर में हमने कहा कि मेग्जिमम रेट हटा दो। आपने उस समय हमारा कहना नहीं माना। आज आप उसको हटाते हैं और उसके हटाते ही बाजारों में अनाज मिलने लग गया है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आज जिसके लिये विरोध करते है, आप उनकी सुनते नहीं। आप अपनी हठधर्मी पर तुले हुए है। मैं यह कहूंगा कि आपको राज्य करने का मोह है। मैं यह कहूंगा कि आप इस तरह से मनमानी करते हैं, यह चलेगी नहीं और आपके राज्य में यह प्रजातन्त्र पनपेगा नहीं। मैं यह कहना चाहता हूं कि सुखाड़ियाजी अगर आप में प्रजातन्त्र को जिन्दा रखने की हिम्मत है तो आपको चाहिये कि आप राज्यपाल महोदय ने जो कुछ किया है उसके लिए राज्यपाल महोदय को बर्खास्त करने के लिए राष्ट्रपति को लिखें। इसलिये मैं इस ग्रदब और शान के साथ यह कहना चाहता हूं कि जहां प्रजातन्त्र की इस प्रकार से हंसी की जावे, गरीबों के साथ अन्याय हो, कोई फरियाद करे तो उसकी सुनने वाला नहीं, लोगों के साथ अन्याय किया जाता है। माननीय सदस्यों को इस प्रकार सदन से निकाला जाता है, ऐसे सदन में जब तक कि दूसरे माननीय सदस्य नहीं आते तब तक मैं भी आज से इस सदन में आने का प्रयत्न नहीं करूंगा।

(सदन से बहिर्गमन)

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : राज्यपाल महोदय के खिलाफ इसके बारे में जो प्रिविलेज मोशन लाया गया था उसके बारे में मैं यह निवेदन करूंगा कि....

श्री उपाध्यक्ष : आपका भाषण हो रहा है। आपका भाषण तो हो चुका।

श्री हीराभाई : जिन माननीय सदस्यों को सदन के बाहर निकाल दिया गया है वह अप्रजातान्त्रिक है और जब तक उसके बारे में फैसला न करेंगे और........

(घंटी)

जो कार्यवाही राज्यपाल महोदय ने की है उसके लिये डा० सम्पूर्णानन्द को पद से हटाने की कार्यवाही नहीं करेंगे तो प्रजातन्त्र को आप जिन्दा नहीं रख सकेंगे। मैं भी आज इसके लिए सदन का त्याग करता हूं।

(सदन से बहिर्गमन)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सन् १९६९-६७ का यह बजट आज कई दिनों से

(श्री भैरोंसिंह)

सदन में विचाराधीन है। मैंने इस बजट को अच्छी तरह से पढ़ा और मुझे ऐसा लगा कि यह बजट नहीं है, यह तो किसी पद के चेन्ज का हैंडिंग ओवर और टेकिंग ओवर है। वित्त मन्त्री महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा कि मैं अपना फर्ज अदा कर चुका हूं और इसके साथ-साथ यह भी कह दिया कि "अहले हिम्मत मंजिले मकसूद" तक आ ही गये। जैसे उनको इसके लिये बहुत खतरा हो रहा था कि कहीं बीच में अपनी करतूतों के कारण कहीं दुर्घटना न हो जावे। आप "मंजिले मकसूद" तक पहुंच गये, अपना फर्ज अदा कर दिया, और इसके साथ-साथ यह भी कहा, कि विधान सभा का इस सत्र का यह अंतिम बार है। पौल साहब, यह बात आप भी मान कर चलिये कि आपका भी यह अंतिम बार है। मैं यह मानकर चलता हूं कि सरकार ने जिस तरह का रवैया अभी अख्तयार कर रखा है, उसी रवैये के अनुसार चलती रही तो यह भी मान लीजिये कि कांग्रेस राज्य का भी अंतिम काल है।

(विराम)

आज ये सब चीजें अन्तिम रूप में क्यों, प्रकट की जा रही हैं, इसको अगर बजट-भाषण पढ़ने के साथ-साथ देखा जावे तो कुछ ऐसा संकेत मिलता है कि सरकार स्वयं इस बात को महसूस करने लगी है कि अगली बार बजट पेश करने का मौका मिलेगा या नहीं। वित्त मंत्रीजी ने कहा कि ३३३ करोड़ रुपयों का कर्जा है और यह कह कर लोगों को यह समझाने की चेष्टा की है कि कोई यह न समझे कि यह कर्जा आगे आने वाली पीढ़ी के लिये भार-स्वरूप है। आज तक जितने बजट-भाषण हुए हैं उनमें किसी में भी ऐसी बात नहीं पढ़ी, जिस तरह की यह आज है। सरकार की तरफ से यह बताने की चेष्टा की गई है और यह कहा गया है कि यह अंतिम भाषण है, ये "मंजिले मकसूद" तक आ ही गये, आप कहते हैं कि अब चिन्ता मत करो। आगे आने वालो! हम ३३३ करोड़ का कर्जा तुम पर छोड़े जा रहे हैं। यह इस बात का संकेत है कि इससे आगे आने वाले लोग डर जावें कि यह ३३३ करोड़ का कर्जा है और इस पर १२–१३ करोड़ का ब्याज देना पड़ता है, तो वे हुकूमत को कैसे संभालेंगे? यह आगे आने वाले चुनावों और उनमें भाग लेने वाले लोग कम से कम इस बात को महसूस कर लें कि अगर कांग्रेस हुकूमत को वोट दिये गये तो दूसरी जो सरकार होगी वह इन रुपयों को चुकाने के लिए टैक्स लगावेगी और हमको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा और अगर टैक्स जनता नहीं देगी तो सैन्ट्रल गवर्नमेंट मदद नहीं देगी, और अगर कांग्रेस की सरकार, रही तो भारत सरकार से कर्जा लेकर काम चलावेंगे चाहे वह कर्जा ३३३ करोड़ के बजाय ६६६ करोड़ हो जावे और हमारा राज्य चलता रहे।

मैं समझता था कि निश्चित रूप से यह बजट कोई राहत का बजट होगा क्योंकि फोर्थ फाइनेन्शियल कमीशन की रिपोर्ट और उसकी सिफारिशें हमारे सामने आ चुकी है। हमें इस बात की जानकारी मिल चुकी है कि जहां ६२ करोड़ केन्द्र के करों से मिलता था उसके स्थान पर चौथी पंचवर्षीय योजना में ६२ करोड़ रुपया मिलेगा। हमें यह भी जानकारी मिल गई है कि ३१ करोड़ की ग्रान्ट इन एड मिलेगी। राजस्थान में आर्म्ड फोर्सेज पर खर्चा होता है वह भी भारत सरकार वहन करेगी। यह भी जानकारी मिल गई कि राजस्थान केनाल पर जो भी खर्चा

(श्री भैरोंसिंह)

होगा वह भारत सरकार वहन करेगी। जब भारत सरकार सेन्ट्रल टैक्स की आमदनी और ग्रान्ट-इन-एड में हिस्सा बढ़ाती है और ये सारी चीजें हमारे सामने हैं तो यह निश्चित रूप से समझ सकते थे कि अब यह बजट राहत का बजट होगा और हमें कुछ राहत मिलेगी।

करों में जनता को राहत मिले उसके लिए हमारा निवेदन करने का कर्त्तव्य है और उसको पूरा करने में हम काम करेंगे। मगर हम देखते हैं कि उनको कोई राहत नहीं मिली। टैक्स लगाये गए, मगर इतने नहीं कि जिसको जनता वहन नहीं कर सकती। मैं इसके लिए एक बात यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार के मंत्री यदि कोई बात कहें तो उसको निभाई जावे या नहीं। मैं यह कह सकता हूँ कि वित्त मंत्री हरिभाऊजी थे वे अपनी जुबान को पाबन्दी करना जानते थे। उन्होंने अपने भाषण विधान सभा में देने के बाद नये टैक्स पुनः लागू नहीं किये, मगर हमारे वर्तमान मंत्रीजी इस बात में एक्सपर्ट हैं और जब से यानी १९६२ से आपने बजट पेश करना शुरू किया है तब से लगाकर आज ६६ तक; जो बजट प्रस्तुत करते हैं और एप्रोप्रियेशन बिल लाते हैं और टैक्सों के बिलों को पास कराते हैं उस समय जिन टैक्सों को कम करने का आश्वासन दिया जाता है उन टैक्सों को ऑर्डिनेन्स के जरिये लागू किया जाता है। इस मामले में तो हमारे वित्त-मंत्री बहुत एक्सपर्ट हैं और इस मामले में इनकी एक्सपर्टनेस को देखते हुए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इनके द्वारा प्रस्तुत किए हुए बजट की आज कोई सैंक्टिटी नहीं है। आज बजट पेश करना, यह तो एक प्रक्रिया हो गई है यह एक कॉन्सटीट्यूशनल व्यवस्था है कि विधान सभा के अन्दर बजट पेश किया जाये, विधान सभा में बजट पेश हो गया, बजट भाषण हो गया, उस पर बहस हो गई, डिमाण्ड्स पर मतदान हो गया, फिर एप्रोप्रियेशन बिल पेश होगा, फिर टैक्सेशन के लॉज पेश किए जायेंगे, यह कान्स्टीट्यूशनल व्यवस्था है। इसके लिए रूल्स में जो प्रावधान हैं, उनको विधान सभा में पूरा करते हैं, इनके द्वारा पेश किये गए बजट की कोई सैंक्टिटी नहीं। अब बजट की सैंक्टिटी खत्म होते होते इस स्टेज पर आ गई है कि राजस्थान की विधान सभा में बजट पास करना, एक प्रकार की परम्परा मात्र रह गई है, इसमें कोई सैंक्टिटी नहीं है।

जितने बजट पेश हुए हैं, उनमें एक्च्युअल्स और एस्टीमेट्स में कोई संतुलन नहीं रहा है, एक्च्युअल बजट सरप्लस बजट है तो एस्टीमेट्स का बजट घाटे में जाता है। जितना मितव्ययता का ढोंग रचा गया, हमारे बजट में बराबर एक्चुअल और एस्टीमेट्स में वेरियेशन्स रहे। इतने वेरियेशन्स रहे कि कोई भी अर्थ-शास्त्री, राजस्थान सरकार को, राजस्थान सरकार के वित्त मंत्री को, इस बात का सर्टिफिकेट नहीं दे सकता कि राजस्थान के बजट में एक्चुअल और ऐस्टीमेट्स में संतुलन लाने की कोशिश की गई है। या तो टैक्सेज़ जितने लगाए हैं, उतने वसूल नहीं हुए या जितने टैक्सेज़ लगाए, उनसे ज्यादा वसूल हो गए। जिस आइटम पर टैक्स लगाया उस पर एस्टीमेट्स से ज्यादा वसूल हो गया, जिस पर नया टैक्स नहीं लगाया है उससे कितनी आमदनी हुई, इसका कोई अन्दाजा नहीं।

(श्री भैरोंसिंह)

गत वर्ष के बजट के समय जो टैक्सेज़ हटे थे तो उस समय यह अन्दाजा लगाया गया था कि ये टैक्सेज नहीं लगेंगे, पर यह बजट पेश होने से पहले ४० लाख रुपये के टैक्सेज आपने लगा दिये। आप कह सकते हैं कि हमको टैक्सेज लगाने के अधिकार हैं, हम ऑर्डिनेन्सेज के जरिये टैक्सेज लगा सकते हैं, पर जब आप लोकतन्त्र की परम्पराओं को निबाहने की दुहाई देते हैं और ऑर्डिनेन्सेज़ के ज़रिये ४० लाख के टैक्सेज आपके द्वारा दिये गये आश्वासनों के विपरीत लगा देते हैं तो क्या इस प्रकार की आपकी कार्यवाहियों से आम लोगों में जनतन्त्र के प्रति आस्था रहेगी? आप लोकतन्त्र की पूजा की बात कहते हैं पर लोकतन्त्र के विरुद्ध आचरण करते हैं। आज किसी व्यक्ति को विश्वास नहीं हो सकता कि राजस्थान के वित्त मंत्री ने जो कह दिया वह पूरा होगा, जो आश्वासन वित्त मंत्री ने दे दिया उसे वे पूरा करेंगे। आपने कहा कि दवाइयों पर टैक्स कम करते हैं क्योंकि दवाइयों पर टैक्स लगाने से लोगों को दिक्कत पेश होगी, इसलिए हम दवाइयों पर टैक्स कम करते हैं। पर आपके भाषण की, आपके वायदे की, आपके द्वारा दिये गये आश्वासन की, मयाद कितनी है? कम से कम एक साल तक तो जो आप कहते हैं, जिस व्यवस्था की आप घोषणा करते हैं, उस व्यवस्था को चलाना चाहिए, पर उस व्यवस्था को आप नहीं चलाते, जो आश्वासन दिया था, जो वादा किया था, उसको तोड़ देते हैं। आपने दवाइयों पर टैक्स लगा दिया।

मैं इस सम्बन्ध में बताना चाहूंगा कि हर चीज की सीमा होती है। ६ तारीख को बजट पेश हुआ, यह सभी को मालूम है, और यह भी सबको मालूम है कि ६ तारीख को १५ लाख का सरप्लस बजट पेश हुआ। जितने टैक्स लगाये जाने चाहिए थे, उनका उल्लेख इस बजट में ६ तारीख को हो गया, पर ६ तारीख को इधर वित्त मंत्रीजी यहां विधान सभा में बजट भाषण पढ़ रहे थे और उधर उसी ६ तारीख को राजस्थान सरकार के मुद्रणालय में एक गजट नोटिफिकेशन छपता है, जिसके द्वारा और टैक्स लगाये जाते हैं:

"In exercise of the powers conferred by section 5-B of the Rajasthan Sales Tax Act, 1954 (Rajasthan Act 29 of 1954) and in supersession of Notification No, F. 5(155)FDCT/65 dated the 4th November, 1965, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest to do so, hereby notifies that the rate of tax on the purchase of (i) bulls, bullocks and bull calves and (ii) buffaloes, sheep, goats, camels, donkeys, mules, horses and pigs (both males and females of each class including their young ones)........................

Shall be five percent of the purchase price and further notifies that such tax shall be leviable—

(a) in case the purchase of such animals takes place in any cattle fair, at the point of last purchase in such fair; and

(b) in cases other than those covered by clause (a) above, at the point of purchase inside the State immediately preceding the export of the animals to a place outside the State:

(श्री भैरोंसिंह)

Provided that purchase of an animal in respect of which tax has already been paid under clause (a) shall not be liable to tax under clause (b).

This shall have immediate effect"

अब मैं आपसे और इस सदन से पूछना चाहता हूं कि ६ तारीख को बजट पेश हुआ उसमें इसका उल्लेख नहीं, हमारी सरकार को, राजस्थान के वित्त मंत्री को मालूम नहीं कि मुझे इस पर टैक्स लगाना है। मैं बोल रहा हूँ, उसके विपरीत राजस्थान राज्य के मुद्रणालय में गजट नोटिफिकेशन छप रहा है, जिसके जरिये नया टैक्स लगाया जा रहा है और यह भी कोई मामूली टैक्स नहीं। कोई यह समझ कर चले कि पांच, या चार लाख की आमदनी इससे होगी, ऐसी बात नहीं है। जिस तरह की भाषा इस गजट नोटिफिकेशन की है, उसमें परिवर्तन नहीं किया गया तो एक करोड़ रुपये से कम आमदनी इससे नहीं होगी। आप यह समझते होंगे कि मेले पर ही यह टैक्स लगेगा। हम भी मेले में जाते हैं वित्त मंत्रीजी को मेले में, जाने का अवसर नहीं मिला, वहां मेले में लोग क्रय-विक्रय करते हैं, एक बार एक चीज को खरीद कर उसे फिर बेचेंगे, एक चीज मेले में कितनी ही बार खरीदी और बेची जाती है। आप कहेंगे कि लास्ट पॉइन्ट पर टैक्स लगा दिया, पर आपके कर्मचारी इसकी परवाह नहीं करेंगे। मेले के इलाके के अलावा दूसरे एरिया में भी यह टैक्स वसूल होगा। मेले के अलावा दूसरे एरिया में भी एक्सपोर्ट के लिये क्रय-विक्रय हुआ है तो टैक्स वसूल होगा। किसी ने घोड़ा, बैल, ऊंट, पशु बेच दिया, दूसरे ने खरीद लिया तो आपके अधिकारी कहेंगे कि तुमने एक्सपोर्ट के लिये, एक्सपोर्ट के इरादे से खरीदा है, वह बेचारा आपके अधिकारियों को कहेगा कि नहीं साहब मैंने तो एक्सपोर्ट के लिये नहीं खरीदा तो आपके अधिकारी कहेंगे कि नहीं तुमने एक्सपोर्ट के लिये ही खरीदा है। तो ऐसी दशा में या तो वह टैक्स देगा या आपके अधिकारियों को ५ रुपया रिश्वत देगा। तो इस तरह से गरीब लोगों की जेब से हर सूरत में पैसा जायेगा। जिस टैक्स की आमदनी का बजट भाषण में उल्लेख नहीं, इस प्रकार का टैक्स लगा कर हम बजट की सैंक्टिटी को खत्म करते हैं।

पिछले दिनों जवाहरात पर टैक्स लगा दिया। जवाहरात के लिये लोग समझते हैं कि यह पूंजीपतियों की चीज है और इसलिये इस पर बहस उठाना भी पसन्द नहीं करते। मैं मानता हूं जवाहरात का उपयोग पूंजीपति पैसे वाले; लोग करते हैं पर जयपुर में जवाहरात का उपयोग नहीं होता; जयपुर में जवाहरात के निर्माण का सवाल है, उपयोग का सवाल नहीं। जयपुर के अन्दर जवाहरात के मैन्युफेक्चरिंग का, निर्माण का, फिनिशिंग का, शॉपिंग का कार्य होता है, जयपुर में २५ हजार कारीगर जवाहरात के निर्माण के इस काम को करते हैं। एक तरफ सौ, सवा-सौ जौहरी होंगे, उनकी मुझे चिन्ता नहीं पर दूसरी तरफ २५ हजार व्यक्तियों के रोजगार का प्रश्न आता है तो मुझे चिन्ता होती है। ५ पर्सेंट टैक्स जवाहरात पर लगाने से कुछ जौहरियों के क्रय-विक्रय पर असर पड़ता है उसकी मुझे चिन्ता नहीं, पर उसके मुकाबले में मुझे चिन्ता इस बात की होती है कि २५,००० आदमी बेकार हो गये उनकी रोटी रोजी की व्यवस्था किस प्रकार

(श्री भैरोंसिंह)

हो ? जयपुर केवल हिन्दुस्तान में ही नहीं, अपितु विश्व में जवाहरात के लिये मशहूर था, जिसका मुकाबला वर्ल्ड के जवाहरात के दूसरे मार्केट नहीं कर सकते थे, वर्ल्ड-मार्केट में जयपुर के जवाहरात की छाप थी। सरकार ने जवाहरात पर टैक्स लगाया उसका परिणाम यह हुआ कि लोग जवाहरात बनाने वालों को जयपुर से बाहर ले जाते हैं और वहां पर इन लोगों से जवाहरात बनवाते हैं। मद्रास की स्टेट जवाहरात बनाने वालों को एन्करेज करती है और अपने यहां जवाहरात बनवा कर बाहर विदेशों में भेजती है। पर राजस्थान के इस उद्योग को राजस्थान में खत्म करते समय राजस्थान सरकार इसकी चिन्ता नहीं करती।

(३.०० म. प.)

मैं इसके साथ यह भी कहना चाहूंगा कि आपने जिस दिन से टैक्स लगाया मेरा विश्वास है कि वित्त मन्त्री अपने उत्तर के समय स्पष्टीकरण करेंगे कि इस टैक्स के लगने के बाद राजस्थान की हुकूमत को ३० हजार से ज्यादा आमदनी नहीं हो सकती। जहां इतनी कम आमदनी है, उस कम आमदनी से २५ हजार व्यक्तियों के पेट पर लात आपने मार दी। इस प्रश्न पर अकल से काम करें।

दवाइयों पर आपने टैक्स लगाया। क्यों लगाया ? दवाइयों से विक्रेता को लाभ पहुंचता है या बीमार को ? मैं पिछले कुछ दिनों से बीमार था। एक आदमी का इलाज कितना मंहगा है, उसका पहली बार मुझे अनुभव हुआ। मैं महसूस करता हूं कि दवाइयां खाने में लोगों को कितना संकोच होता है; कितने प्रेस्क्रिपशन्स लिखने के बाद लोग समझते हैं कि जान रखने के लिए या तो जेवर गिरवी रखें या माल बेचें या मरें। इन सब के बीच में जब तुलना करते हैं तो फिर सोचते हैं कि दवाई खानी है। आपने अस्पताल खोल रखे हैं, डॉक्टरों को पैसा दे रहे हैं, सोशल सर्विसेज के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। आज मैं समझता हूं कि दवाइयों की कीमत बढ़ाना सोशल सर्विसेज की भावना के विपरीत है।

राजस्थान सरकार दवाइयों पर टैक्स ले ले, मुझे चिंता नहीं; लेकिन चिंता है, जब देखता हूं कि राजस्थान सरकार खून पर टैक्स ले। राजस्थान विधान सभा के दरवाजे से बाहर निकलें और रात को जितने पेड़ खड़े हैं वहां आवाज लगाते हैं कि मेरा खून चाहिए 'ए' ग्रेड का या 'बी' ग्रेड का। इस राजस्थान की हुकूमत को, मैं ऐसा समझता हूं कि शर्म से मर जाना चाहिए कि जयपुर में लोग खून बेचकर अपना पेट पालते हैं। कम से कम ५०० भिखमंगे जयपुर में ऐसे बैठे हैं रजिस्टर्ड, जिनका पेट नहीं भरता। कच्ची बस्तियों में चले जाइए, आज कल रोजगार नहीं मिलता। डॉक्टरों की खुशामद करते हैं, कि जिस किसी को २ ए०, बी० खून की जरूरत हो तो मेरा नाम बता दीजिए। कुछ दिनों के बाद २ ए०, बी० खून देने वाले ज्यादा होंगे और डॉक्टर अपनी मर्जी से किसी को भी ओब्लाइज करेंगे।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : खून पर टैक्स था क्या ?

श्री भैरोंसिंह : इस पर टैक्स था।

श्री बालकृष्ण कौल : मुझे खबर नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप तो हमेशा बेखबर रहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपका नोटीफिकेशन सितम्बर २८, १९६५ का मैं पढ़कर बताता हूं :—

"In exercise of the powers conferred by Sub Section (2) of Section 4 of the Rajasthan Sales Tax Act of 1954, Rajasthan Government being of the opinion that it is necessary in the public interest to do hereby exempts from tax the sale or purchase of human blood or blood plasma."

माफ किया है। मैं मानता हूं कि अब माफ किया है।

इसका मतलब यह है कि सितम्बर तक खून पर राजस्थान में टैक्स लगता था और सितम्बर में झगड़ा हो गया सेल्स टैक्स ऑफिसर और डॉक्टर्स के बीच। यह नोटीफिकेशन क्यों आता है, इसकी भी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। यह ऐसे ही नहीं आता है। सेल्स टैक्स ऑफिसर्स अस्पतालों में जाते हैं, वे डाक्टरों से कहते हैं कि इतने मरीजों को तुमने ब्लड दिया है, इतना टैक्स तुमको देना होगा। यह एग्जेम्पशन लिस्ट में नहीं था। इस कारण से मजबूर होकर जब यह स्थिति बनी तब नोटीफिकेशन निकला।

अब आप अन्दाजा लगाएं कि खून पर टैक्स लगे और सरकार को जानकारी नहीं और उसके एग्जेम्पशन के लिए नोटीफिकेशन निकालना पड़ा।

जहां टैक्सेज की ऐसी व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था को लेकर हमारे वित्त मंत्री महोदय कल कहें कि हमें इस बात का गर्व है। किस बात का गर्व है ? कि हमने तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो हमारा कमिटमेंट था ३२ करोड़ के टैक्सेज जुटाने का वह हमने पूरा कर दिया। मैं समझता हूं कि वित्त मंत्रीजी और राजस्थान सरकार जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, वह क्या है ? इसी सदन में तीसरी योजना पर जब कोर ऑफ दी प्लान बना, जिस समय विचार-विमर्श हुआ, उस विचार-विमर्श के लिए जो फाइनल ड्राफ्ट इस विधान सभा की मेज पर सदन के माननीय सदस्यों के विचार प्रकट करने के लिए आमंत्रित किया गया, वह है नोट :—

"साधन तथा प्राथमिकताएं।

पहले हमने आशा की थी कि तीसरी योजना में ३२ करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर लगाने में समर्थ हो सकेंगे, किन्तु परिस्थितियों पर पुनः विचार करने पर और जनता की वर्तमान स्थिति को दृष्टि में रखते हुए यह महसूस किया गया है कि इस रीति से २४ करोड़ से अधिक प्राप्त करने में समर्थ नहीं हैं।"

अब वित्त मंत्री महोदय कहते हैं कि ३२ करोड़ वसूल कर लिया। आप ३२ करोड़ की जगह ज्यादा वसूल करो तो फर्क क्या पड़ने वाला है ? लेकिन ३२ करोड़ आपने किस लिए वसूल किया ? आपका प्लान २३६ करोड़ का था, उसमें ३२ करोड़ की आवश्यकता थी। आपने प्लान घटा कर २०८ करोड़ का कर दिया। उसके साथ आपने विधान सभा को आश्वासन दिया। २४ करोड़

(श्री भैरोंसिंह)

वसूल करने का तो, आपने २०८ करोड़ में से ३२ करोड़ के टैक्सेज वसूल कर लिए, तो जनता के साथ विश्वासघात है या नहीं ? फिर उन टैक्सेज को भी जिस काम के लिए एकत्रित किया गया था यह तीसरी योजना के लिए हमने ८० करोड़ रुपए के साधन जुटाने का कमिटमेंट किया था। उन ८० करोड़ के साधनों में से हमें जो भारत सरकार से मिलना चाहिए और जो हमें इकट्ठा करना चाहिए उस सारी स्थिति को लेकर हमने ३२ करोड़ टैक्सेज लगाने के प्रावधान को मन्जूर किया था लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमने प्लान को केवल २३ करोड़ दिया, ३२ करोड़ नहीं, वह भी स्माल सेविंग्ज में से। इन दोनों एमाउन्ट्स में से हमने केवल ६२ करोड़ रुपए इकट्ठे किए और योजना में खर्च किया, केवल ३० करोड़। ३२ करोड़ हमने प्लान एक्सपेंडीचर के लिए खर्च न करके सिद्ध कर दिया कि जनता के साथ विश्वासघात करके ३२ करोड़ इकट्ठे किए। आज वह सरकार कहती है कि गर्व है। आप तो १०० करोड़ वसूल करके भी गर्व करेंगे और २० करोड़ वसूल करके भी गर्व करेंगे। आपका गर्व किस प्रकार चूर होगा जब जनता को इन सारी बातों को जान कर मुकाबले में आकर खड़ा होना पड़ेगा। हमारी सरकार कहती है कि खर्चा बढ़ रहा है, हम योजना के नाम पर काम कर रहे हैं खर्चा बढ़ रहा है और टैक्स क्यों लग रहा है ? इस संबंध में कोई बात नहीं कहना चाहता। एक लेख की ४ लाइन पढ़ कर बताना चाहता हूं वह लेख वित्त मंत्री का है। वह लिखते हैं :—

"वैसे तो यह पट्टी पहले ही इतनी कसी जा चुकी है कि पेट हसीनों की कमर बन गया है, मगर वित्त मंत्रियों को शायरों की इस नाजुक ख्याली से क्या वास्ता, वे तो केवल आंकड़ों की बंसी बजाना जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि ये आंकड़े उन आंकड़ों से कम कातिल नहीं होते जो कत्ल मारने वाले की बन्सी में होते हैं। मार्च के महीने की एक खासियत भी मशहूर है। जिसे हम 'वैशाख का गधा' (वैशाखनन्दन) कहते हैं, उसे इंग्लैंड में 'मार्च का खरगोश' (मार्च हेयर) कहा जाता है। इसलिए इंग्लैंड की नकल करने वाले 'मार्च खरगोशों' की हमारे यहां भी कमी नहीं है।

यह उपाध्यक्ष महोदय, कौल साहब ने लिखा है, यह तो मैं नहीं कहता लेकिन जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है वह कौल साहब के निजी सचिव द्वारा किया जा रहा है। एक मंत्री का निजी सचिव अपने मंत्री को "वैशाखनन्दन" बताये तो उसका क्या हाल हो सकता है। हम तो कौल साहब को दूर से जानते हैं, निकट से तो उनके घर वाले और उनके निजी सचिव ही पहचान सकते हैं। निजी सचिव ने जो कुछ लिखा है उसने अपनी भावना को प्रगट किया है।

हमारी सरकार कोई भी टैक्स लगाती है तो वह योजना के नाम पर लगाती है। योजना के नाम पर सरकार को टैक्स लगाने की आजादी है। योजना के नाम पर टैक्स जहां बजट में २०८ करोड़ रुपये एकत्र करने का है, वहां हमारे मुख्य मंत्री के अनुसार वह २०९ करोड़ रुपये का अचीवमेंट कर लेंगे, यह कहते हैं। २०९ करोड़ रुपये का अचीवमेंट हो जायेगा इसके विवाद में पड़ कर मैं सदन का समय लेना नहीं चाहता। २३६ करोड़ की बजाय जो हम २०८ करोड़ रुपये की योजना बना कर चलें उसके बारे में मैं इस समय

(श्री भैरोंसिंह)
सदन को बताना चाहता हूं, कि किन मदों के अन्दर जहां हमें आवश्यक खर्च करना था वह नहीं कर पाये।

सॉइल कन्जर्वेशन के लिए जितनी मद थी उतना खर्च नहीं कर पाये।

मिल्क डेयरी के लिए पहली योजना में ६७ करोड़ का प्रावधान था वहां हम ४३ करोड़ रुपया ही खर्च कर पाये।

फोरेस्ट के लिए २४५ करोड़ की बजाय १४८ करोड़ ही खर्च कर पाये।

फिशरीज के लिए २० करोड़ के बजाय ८ करोड़ ही खर्च कर पाये हैं।

इसी प्रकार को-आपरेशन, कम्युनिटी डेवलपमेंट, पंचायत, इरिगेशन में लार्ज और मीडियम इन्डस्ट्रीज में विलेज एवं स्माल इन्डस्ट्रीज में, मिनरल डेवेलपमेंन्ट इन सब मदों के अन्दर हमारी जो निर्धारित रकम है उससे बहुत ही कम खर्च कर पाये हैं। इससे आप यह नहीं कह सकते कि राजस्थान सरकार जो आवश्यक मद थी उनमें पूरा का पूरा खर्च कर पायी है।

एक विभाग है उपाध्यक्ष महोदय, इस विभाग का सम्बन्ध राजस्थान विधान सभा में बैठने वाले कई माननीय सदस्यों से है। वह महकमा हैं वेलफेअर ऑफ बेकवर्ड क्लासेज इसके लिए ३२५ लाख का प्रोवीजन था उसमें से सिर्फ २५४ लाख ही खर्च कर पाये हैं। इसमें से जहां बेकवर्ड क्लासेज के वेलफेअर के लिए २५४ लाख रखा है उसमें से १६६ लाख ही खर्च कर पाये हैं।

समाज कल्याण के लिए ४० लाख का प्रोवीजन था, वहां सिर्फ कोर ऑफ दी प्लान में १५ लाख ही खर्च कर पाये हैं।

इसी तरह से इन दोनों मदों के ऊपर समाज कल्याण विभाग और शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स पर कम खर्च कर पाये हैं जिन व्यक्तियों की आय प्रति व्यक्ति कितनी कम है, यह डूंगरपुर, बांसवाड़ा में रहने वाले लोगों का सर्वेक्षण कर जो इकोनोमिक रिपोर्ट्स बनाई गई हैं उससे आपको अन्दाजा लग जायेगा कि इन लोगों की आमदनी कितनी कम है। जहां हरिजनों के ऊपर खर्चा करने का सवाल आता है, इनके अपलिफ्ट करने का सवाल आता है; तो उसके लिए जो रकम रखी जाती है वह भी पूरा खर्च नहीं कर पा रही है। मुझे इस बात की खुशी है कि पंजाब विधान सभा में जब इस बारे में चर्चा हुई तो विधान सभा में विरोध में बैठने वाले और सरकारी पक्ष में बैठने वाले जितने भी शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के सदस्य थे, वे इस बारे में पूरा खर्च न करने के विरोध स्वरूप सदन से वाक आउट कर गये और इस तरह से उन्होंने सरकार के प्रति जो अविश्वास की भावना प्रगट की, उस पर पंजाब की हुकूमत को विचार करना पड़ा। आपको भी चाहिए कि आप यदि सरकार पर दबाव डालना चाहते हैं तो आपको भी इसी तरह से कार्यवाही करनी होगी।

हरिजनों के उत्थान के लिए भी जितनी राशि रखी गई थी, वह भी खर्च नहीं हो पाई। राजस्थान में रहने वाली ५७ लाख जनता जो इस प्रकार से दबी हुई है, जिसके सामने कर्जे का सवाल है, जिसके सामने रोजी-रोटी

(श्री भैरोंसिंह)

का सवाल है, रोजगार का सवाल है, उस पर भी जो निर्धारित धन-राशि उनके लिए है वह भी खर्च नहीं हो पाती है तो जनता का विकास किस प्रकार से होगा, इसको आप अपने आप में अन्दाजा लगा कर चल सकते हैं।

कुछ मदें ऐसी भी हैं जिन पर निर्धारित राशि से भी ज्यादा खर्च किया गया है।

एग्रीकल्चर का उत्पादन जहां १५ लाख टन का टार्गेट था, उसको भी हम पूरा नहीं कर सके हैं। खर्चा तो पूरा हो गया लेकिन टार्गेट अचीव कर पाये ११ लाख टन का।

राजस्थान केनाल द्वारा हमारा १२६ हजार एकड़ सिंचाई का लक्ष्य था वहां हम ७० हजार एकड़ ही सिंचाई कर पाये हैं।

मेजर और मीडियम इरिगेशन द्वारा ७८२ हजार एकड़ का टार्गेट था, पैसा तो हम पूरा खर्च कर पाये लेकिन ५२६ एकड़ की ही सिंचाई कर पाये हैं।

पावर सैक्टर के अन्दर पैसा तो पूरा खर्च कर दिया, २७५ मेगावाट बिजली का उत्पादन करने का लक्ष्य था, वहां हम ४८ मेगावाट का ही उत्पादन कर पाये हैं।

रिवाइज्ड प्लान के अनुसार २४५७ माईलेज नई सड़कें और १७२ माइलेज की मरम्मत करने का था, वहां सिर्फ २३८ माईलेज ही बना पाये हैं। रोड्स की मरम्मत का सवाल ही पैदा नहीं होता। पैसा तो पूरा खर्च कर दिया।

मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सरकार दुनिया को धोखा देने के लिए फिजिकल टार्गेट्स नहीं बतलाती है जो हमने अचीव किया है। यह नहीं बताती कि हमें कितने होस्पिटल बनाने थे और कितने बनाये, कितने बेड्स को बढ़ाने की बात थी, और कितने बेड्स कर पाये, कितने स्कूल, कॉलेजेज खोलने थे उसमें से कितने खोल पाये, यह नहीं बताया जाता। जहां तक शिक्षा का सवाल है, उसमें भी हमारे, जो टार्गेट्स थे, उनको पूरा नहीं कर पाये। ६ से ११ साल के बच्चों को स्कूल भेजने के बारे में जो टार्गेट्स थे, उनको भी अचीव नहीं किया। ११ से १४ साल के बच्चों के लिये जो टार्गेट्स थे, वे भी पूरा नहीं कर पाये। जितने डाक्टरों की भर्ती करने का सवाल था उसको भी हम पूरा नहीं कर पाये। पर केपिटा इन्कम जो हम बढ़ाना चाहते थे, वह नहीं बढी। जितनी पर्सेन्टेज स्टेट इन्कम बढ़ाना चाहते थे, वह भी नहीं बढ़ी। जितने लोगों को रोजगार देना चाहते थे, वह भी नहीं दे पाये। किसी चीज में भी हम सफल नहीं हुए। केवल आंकड़े बताकर लोगों को धोखा दिया जाता है। आज अगर आपको बेकारों की संख्या देखनी हो तो आप एम्पलॉयमेंट-एक्सचेन्ज के आफिस में चले जाइये और किसी एक पोस्ट का एडवरटाइजमेंट करवाइये, आपको पता चल जायेगा, जिस जगह के लिए आप मैट्रिकुलेट केन्डीडेट चाहते हैं, उसको जगह बी० ए० और एम० ए० पास आपको मिलेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम लोगों को रोजगार प्रोवाइड नहीं कर पाये। आप आंकड़े बाजी में एक्सपर्ट हैं, हमारी सरकार आंकड़ेबाज है। कौल साहब ने खुद ने अपने भाषण में कहा है, कि हमें आंकड़ों में जाने की आवश्यकता नहीं है। उनका कहना है, राजस्थान की चलती फिरती तस्वीर को आप देखें। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की चलती-फिरती तस्वीर में, हमें सबसे पहले आप ही नजर

(श्री भैरोंसिंह)

आते हैं । इस तस्वीर के अन्दर राजस्थान की गरीब बस्ती नजर आती है, जिसके बसे हुए लोग रोते हुए नजर आते हैं । राजस्थान के ५८ लाख व्यक्ति रोते हुए नजर आते हैं, लाखों कर्मचारी रोते नजर आते हैं । राजस्थान का अन्दाज वित्त मंत्री महोदय, मंत्रीगणों के बंगलों से लगाया जावे, या आलीशान बंगले बने हुये हैं उनसे लगाया जाय तो आप देखेंगे कि राजस्थान मालदार है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि थोड़ा धीरे बोलें ।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए धन्यवाद !

मैं यह कह रहा था, आखिर हम किस चीज को लेकर यह महसूस करें कि हम इसमें सफल हुए हैं ?

आप शहर में बनने वाले बड़े बड़े भवनों को देखें, शहर में आप अच्छी अच्छी सड़कों को देख लें, मंत्रियों की और अमीरों की कारों को देख लें, गरीब की ओर देखने के लिये आंख बन्द कर लें, लोग आवेंगे और कहेंगे कि हिन्दुस्तान और अमेरिका में कोई अन्तर नहीं है । यदि गरीब के घर में पहुंचे, किस गली में कितने किरायेदार रहते हैं, वहां पहुंचें और एक-एक किरायेदार है उनकी आज आर्थिक स्थिति को देखने की कोशिश करें, कितने बीमार हैं, कितने बेरोजगार हैं, कितने लोगों को प्रतिदिन आटा नहीं मिलता है, कितने लोगों को शिक्षा नहीं मिलती है और कितने लोगों को दवाई नसीब नहीं होती है । यह नक्शा हिन्दुस्तान का आज देखना है तो यह नक्शा मिर्जा इस्माइल रोड़ पर देखने को नहीं मिलेगा, यह नक्शा तो जयपुर की गलियों में देखने को मिलेगा, यह नक्शा छोटे तो छोटे गांवों में जाकर देखने को मिलेगा ।

हमारी सरकार और वित्त मन्त्री दोनों ने कहा है राजस्थान में अकाल आया, चीन और पाकिस्तान का हमला हुआ और इस कारण कुछ ऐसी स्थिति बन गयी जिसको लेकर इस बजट पर किसी न किसी रूप में छाया है । मैं ऐसा समझता हूं, बजट पर चीन की छाया है या पाकिस्तान की छाया है, यह तो अब सदन के सोचने की बात है लेकिन सरकार की गलत नीतियों की उस पर निश्चित छाया है । वह छाया किस प्रकार है ? इस बजट को प्रस्तुत करने के बाद कांग्रेस के सदस्य भाषण देने के लिये कुछ भी कह दें लेकिन मन में यह जानते हैं कि बजट अच्छा पेश नहीं किया गया है, वे मन में महसूस करते हैं कि सरकार ने कोई राहत नहीं दी है, और गांवों में इस बजट से लोगों का किसी प्रकार भला नहीं हो सकता । यह सब महसूस करने के बाद यह बजट लेकर जायें और गांवों में कहें कि इस प्रकार का बजट लेकर आये हैं । वे लोग इनको क्या कहेंगे ? लोग कहेंगे कि हमें कोई राहत नहीं मिली है । सरकारी कर्मचारी उम्मीद करके चल रहे थे, मुख्य मन्त्री जी से डेपुटेशन मिला, उन्होंने एक विज्ञप्ति दी उसमें उन्होंने कहा, कि सरकारी कर्मचारियों की बात मुख्य मंत्री जी ने पेशेन्टली हीयर किया है । वे सब बजट की इन्तजार कर रहे थे । जिस समय बजट पेश हुआ देव संयोग से मैं भी यहीं था । सेक्रेटेरियेट से एक चपड़ासी का टेलीफोन

(श्री भैरोंसिंह)
आया कि तनख्वाह कितनी बढ़ायी । मैंने क्वेश्चन ग्रांच में बैठा था । मैंने टेलीफोन उठाया, उसमे पूछा कि तनख्वाह कितनी बढ़ी । मैंने कहा पांच रुपया पर एकड़ । उसने दूसरों को कहा कि पांच रुपया बढ़ा । उसने गलत सुना, समझा नहीं 'पांच रुपया बढ़ा' कहा । दो–तीन टेलीफोन और लोगों ने किये तो पता लगा कि तनख्वाह नहीं बढ़ी है । वे इन्तजार क्यों कर रहे थे ? इसलिए कर रहे थे कि भारत सरकार ने बढ़ायी । प्राइस इन्डेक्स बढ़ गए थे, भारत सरकार ने १ हजार से ऊपर तनख्वाह पाने वाले अधिकारियों के सौ रुपया वेतन बढ़ा दिया । भारत सरकार हजार रुपया से ऊपर तनख्वाह पाने वाले अधिकारियों के सौ रुपया बढा सकती है, भारत सरकार अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दे, राजस्थान के कर्मचारी इसी उम्मीद में बैठे हुए थे कि निश्चित रूप से हमारी तनख्वाह बढ़ेगी । उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य की बात है कि हमारे वित्त मंत्रीजी ने एक बहुत ही जोर की व्यवस्था की । उन्होंने व्यवस्था यह की है कि इनके लिए कन्जूमर्स को-ओपरेटिव स्टोर्स खोले जायें और इन स्टोर्स में आपने मजबूरी जरूर प्रकट की है कि होना तो मुश्किल है :

"बजट की तंग कैफियत में सरकार के लिए मुमकिन नहीं है कि समाज के धन-हीन वर्गो की हालत सुधारने के वास्ते कोई नई स्कीम चालू करे ।"

यह तो सरकार ने कन्फेशन कर लिया है कि धन-हीन व्यक्ति की राहत के सम्बन्ध में सरकार कोई नयी चीज शुरू नहीं कर सकती । इसके बावजूद आपने फैसला किया है सरकार ने फैसला किया है कि कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिये कन्ज्यूमर्स स्टोर्स खोले जायें । इस फैसले का ऐलान किया जा चुका है । बजट के तखमीनों में इसके लिए जरूरी वित्त का प्रावधान भी कर दिया गया है । जिन शहरों में कम वेतन वाले सरकारी कर्मचारियों की तादाद ज्यादा है, वहां इसी साल मई और जून में कन्ज्यूमर्स स्टोर्स खोल दिए जावेंगे । दूसरी छोटी जगहों में अक्टूबर के आखिर तक यह इन्तजाम हो जायेगा ।" मैं सरकार की बुद्धि की तो दाद देता हूं । लेकिन आप बताइये कि जयपुर में काम करने वाला कर्मचारी मई में खरीदेगा और दांता रामगढ़ में काम करने वाला कर्मचारी अक्टूबर में खरीदेगा । एक ही सरकार के कर्मचारियों के साथ यह डिस्क्रिमिनेशन कहां तक वाजिब है ? यह तो सरकार देखे कि कन्ज्यूमर्स स्टोर्स की यह व्यवस्था अधिक सफल हो जावेगी, किस प्रकार सामान मिलेगा ?

माननीय मंत्री महोदय, मेडीकल विभाग हैं वे जानते हैं कि उनके स्टोर्स खुले हुए हैं । मरीज अस्पताल में तड़प रहा है, क्यू तोड कर वह व्यक्ति दवा नहीं ला सकता है, तीन-चार घन्टे खड़े रहने पर भी दवा का नम्बर नहीं आता है । बीमारी आती है, उसका समय कोई निश्चित नहीं है । लोग क्यू में खड़े रहते हैं । आपने एक व्यवस्था की, उसमें सुधार की आवश्यकता है । उससे आपने एक बात की शिक्षा ली होगी कि ऐसे स्टोर्स खोलें तो उन लोगों की चीजें मुहैया कर पायेंगे या नहीं । कौन-कौन सी चीजें हैं ? सरकार ने इस स्टोर्स के लिए एक करोड़ की व्यवस्था की है और मुख्य मंत्रीजी को मालूम होगा कि आपने तनख्वाह बढायी, तीन बार आपने पांच पांच रुपये बढ़ाये । एक बार में एक करोड़ रुपया राज्य सरकार

(श्री भैरोंसिंह)

के ऊपर अतिरिक्त भार आया । पांच रुपये बढ़ता है तो एक करोड़ का अधिक भार आता है । एक करोड़ में कन्ज्यूमर्स स्टोर्स की व्यवस्था करेंगे । अलग डिपार्टमेंट खुलेगा । उसका डाइरेक्टर होगा, डिप्टी डाइरेक्टर होगा, उसके नीचे असिस्टेन्ट-डाइरेक्टर और दूसरे अधिकारी होंगे, सचिव होगा, डिप्टी सचिव होगा, असिस्टेन्ट सचिव होगा, ऑफिस सुपरिन्टेन्डेट होगा, इन्स्पेक्टर होंगे, दूकानदार होंगे; जमादार, चपरासी, क्लर्क होंगे । एक करोड़ रुपया तो एस्टेब्लिशमेन्ट में ही खर्च हो जावेगा । आप उनको कौनसी चीजें देंगे और किस प्रकार से देंगे ? आपने अनाज के भाव तय नहीं किये हैं, आपने तेल, घी के भाव तय नहीं किये हैं । आज तक कोई भी भाव चीजों के तय नहीं है, कोयले के भाव तय नहीं हैं कौन सी चीजें ऐसी हैं ? किस प्रकार घाटा खाकर आप उनकी पूर्ति करेंगे ? कपड़ा किस प्रकार सस्ता होगा ? या तो आप यह घोषणा कीजिये कि उन पर लगने वाला टैक्स उन कन्ज्यूमर्स स्टोर्स पर लागू नहीं होगा; न एक्साइज ड्यूटी, न सैल्स टैक्स लगेगा, न बाकी के टैक्सेज़ लगेंगे और फ्री ऑफ टैक्सेज लोगों को सामान मिलेगा ।

तो एक तो सामान में कोई न कोई चीज सस्ती मिलेगी । जयपुर के कर्मचारियों के लिए कितने स्टोर्स की आवश्यकता होगी ? मई में कितने स्टोर्स खोल पायेंगे ? मैं इसको सिद्धांत के रूप में गलत नहीं मानता । स्टोर्स के कारण अव्यवस्था होगी । लेकिन नीति के नाते मेरा उससे कोई विरोध नहीं । इस नीति का पालन करने वाली सरकार कौन सी है यह देखना है । भारत सरकार भी है । आपसे योग्य है । सम्पूर्ण भारत पर शासन करती है । उन्होंने भी सोचा था कि वेतन न बढ़ा कर स्टोर्स खोल दिये जायें । जब उन्हें मालूम हुआ कि कीपग्रेन शॉप्स खोल कर लोगों को ठीक प्रकार से अनाज वितरण न कर पाये, लोगों को राहत न दे पाये तो उनको ऐसा महसूस हुआ, उन्होंने देखा कि अलग-अलग डिपार्टमेन्ट, जैसे रेल्वे ने खोला । उन्होंने नहीं खोला और उन्होंने कहा कि हम तो उनका वेतन बढ़ायेंगे । उसी प्रकार वित्त मंत्रीजी आपसे निवेदन करूंगा कि आप नया सिस्टम इन्ट्रोड्यूस करना चाहते हैं, सिद्धान्त रूप में मैं उसका विरोधी नहीं हूं; लेकिन राजस्थान की हुकूमत इसको लागू नहीं कर पायेगी और लागू नहीं होगा तो अगले वर्ष कहेंगे कि कन्ज्यूमर्स स्टोर्स से ६ करोड़ का घाटा हो गया, सेल्स टैक्स बढ़ा दिया, किसानों पर टैक्स बढ़ा दिया, यह अगली बार स्थिति आवेगी वह स्थिति तो उस समय साउन्ड हो सकती है जब ऊपर से नीचे तक एडमिनिस्ट्रेशन का ढांचा पूर्ण रूप से कार्य करे ।

एडमिनिस्ट्रेशन के सम्पूर्ण ढांचे में विश्वास हो । ये दोनों चीजें नहीं हैं । इसलिए कन्ज्यूमर्स स्टोर्स से नियमित और उचित ढंग से सप्लाई हो जावेगी, इसमें पूरा पूरा सन्देह है । इसलिए कहता हूं, यह तरीका आपका धोखे से भरा है । आपकी इसके पीछे शायद यह दलील हो सकती है कि यदि वेतन बढ़ाया तो प्राइस इन्डेक्स बढ़ जावेगा । तो वेतन तो केन्द्रीय सरकार ने भी बढ़ाया था, इस पोइन्ट पर उन्होंने भी सोचा होगा । उन्होंने बढ़ाया पर प्राइस इन्डेक्स बढ़ा नहीं है । मैं यह बता दूं । सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के बाद पिछले एक दो महीनों में इतने चेन्जेज नहीं आये कि जिसके आधार पर आप

(श्री भैरोंसिंह)

मोटिव इम्प्यूट कर सकें कि इसके कारण प्राइस इन्डेक्स बढ़ गया ।

हमें इस पर विचार करना चाहिए कि घाटा भी हो जावे और राहत भी न मिले । राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों की हालत कैसी है, मैं बताता हूं ।

राजस्थान में चालीस से कम पाने वाले हैं ४३ हजार ।

और ५१ तक पाने वाले हैं ३६ हज़ार ।

५१ से ६० तक पाने वाले हैं १८ हजार ।

६० से १०० पाने वाले हैं २६,७७१; सौ से १५१ तक पाने वाले हैं १५,४२३ और १५१ से २०० तक पाने वाले हैं ४,३७४ ।

कुल मिलाकर कोई एक लाख पचांस हजार कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह इस समय २०० से कम है । यह संख्या भी कुछ पुरानी है । इसमें भी वृद्धि हुई होगी । इस हालत में अन्दाज लगाइये कि जिस भारत की कांग्रेस का जयपुर में अधिवेशन हो रहा था तो वे समाजवाद का नारा लगा रहे थे बह कांग्रेस की हुकूमत गरीबों के उत्थान में कितनी दिलचस्पी रखती है समाजवाद में उसका कितना विश्वास है, कैसा उसका समाजवाद है, इसका एक नमूना मैं बताता हूं । एक तरफ तो लाखों की संख्या में चालीस से कम पाने वाले से लेकर २०० तक पाने वाले हैं, दूसरी तरफ ऊंची तनख्वाह पाने वालों में ३॥ हजार तक की तनख्वाह मिलती है । अब इनमें कितना अन्तर है ? यह अन्तर है । जिसका यह समादवादी हुकूमत, जनता में समाजवाद का नारा तो लगाती है पर उस अन्तर को मिटा नहीं पाई । मैं कहना चाहता हूं कि मिटा ही नहीं पाई यह तो अलग बात है, पहले से कम भी नहीं कर पाई । मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान की हुकूमत ५२ में जिस समय विधान सभा के रूप में बनी, तब से लेकर आज तक इस हुकूमत ने इस अन्तर को एक पर्सेन्ट भी कम किया हो तो बतादें । बल्कि बढ़ाया है ।

नोकरों का वेतन बढ़ता रहा, अन्तर भी बढ़ता रहा और समाजवाद का नारा भी आपका ज्यों का त्यों लगता रहा ।

(३.३४ म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत सभानेत्री पदासीन)

इन दोनों में इतना बड़ा अन्तर और इसके बाद 'समाजवाद, समाजवाद, समाजवाद,' की बात कहना, आपको निश्चित रूप से भूलना पड़ेगा ।

ऐसी हालत में सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आखिर हमारी सरकार की आमदनी क्यों नहीं हुई, वह क्यों नहीं बढ़ी ? यह तो खर्चे का सवाल आया । इसके साथ-साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार यह कहती है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए पैसा नहीं है । अब वह पैसा कहां गया, इसके बारे में तो मैं कह नहीं सकता लेकिन मैं बताऊंगा कि कहां गया ।

मुख्य मन्त्रीजी कहते हैं कि चार पांच रुपया बढाते हैं राज्य कर्मचारियों का तो एक करोड़ का खर्चा होगा । मैं मुख्य मन्त्रीजी

(श्री भैरोंसिंह)

से पूछना चाहता हूं कि जयपुर में कांग्रेस का अधिवेशन अगर नहीं होता तो सरकार का कितना पैसा बचता ? चित्तौड़ का नाम अधिवेशन के लिये बीच में नहीं आता तो कितने लाख की बचत होती। क्या जयपुर का स्टेडियम बन गया यह दलील आप देंगे ? क्या जयपुर के स्टेडियम के बिना चीन पाकिस्तान से लड़ाई नहीं लड़ सकता था ? क्या इसमें जो लाखों रुपया आपने खर्चा किया उसके बिना पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब का मुकाबला आप नहीं कर सकते थे। क्या कांग्रेस के नेतागण झोंपड़ियों में कांग्रेस का अधिवेशन नहीं करा सकते थे ? इस सारे कांग्रेस के अधिवेशन में हजारों पुलिस के सिपाहियों को बुलाया गया, हजारों अधिकारियों को बुलाया गया, पी. डब्लू. डी. का पूरा स्टाफ लगा कर सरकार का लाखों रुपया खर्च करवा कर, चित्तौड़ में पाइप लाइन डलवा कर, यह सारा खर्च करवा कर कुल मिलाकर पचास लाख रुपया सरकार का खर्च हुआ है।

(विराम)

और फिर यह सरकार कहती है, हमारे मुख्य मन्त्रीजी कहते हैं कि कर्मचारियों का वेतन बढाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। इन कामों के लिए उनके पास पैसा है। मैं पूछता हूं, कहां गया आपका पैसा ? पैसा तो आपके पास था। आपका पैसा आप की फोटो छपवाने में लग गया।

चार लाख के एडवर्टाइजमेन्ट दिये गये और इसमें मैं दावे से कह सकता हूं कि बुद्धिमानों की एक टीम कांग्रेस वाले स्वयं चुन लें, और उनकी कमेटी बिठाई जावे जो यह पता लगावे कि कैसे कैसे समाचार-पत्र निकले हैं, जिनको एडवर्टाइजमेन्ट दिये गये हैं। राजस्थान के मानसिंह, भरतपुर की फोटो के नीचे लिखा है भीमसिंह मंडावा, रामप्रसाद लड्ढा की फोटो, कृष्णकुमार गोयल की फोटो और नाथूराम मिर्धा नीचे लिखा है। उनको एडवर्टाइजमेन्ट दिये गये हैं।

सुखाड़ियाजी के फोटो पांच-पांच और अब की बार सुखाड़िया जी को भी मात कर दिया हरिदेवजी ने। जोशी जी के थे पांच-चार और साथ में दुनिया भर के प्रोफाइल, कब वे पैदा हुए, कांग्रेस में कब शामिल हुए, क्या-क्या किया, कैसे वहां तक पहुंचे और इसलिये उसको पैसा दिया। मैं पूछता हूं, कि क्या सरकार का पैसा इसीलिये है कि आप अपना प्रचार और फोटो खिचवाने के लिये चार लाख के एडवर्टाइजमेंट दे दें ? कांग्रेस के अधिवेशन में आये सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के टी. ए., डी. ए. और बाकी का खर्चे में खर्च कर दें।

इतना ही नहीं, हमारे कौल साहब ने कहा कि इस तरफ तो पाकिस्तान से जंग चल रही है, जवान हमारे जी-जान से जूझ रहे थे और उधर देश में दो प्रधान मन्त्रियों के चुनावों पर प्रजातंत्र की नींव दृढ़ करने की बात कह डाली। यह बजट भाषण इम्पोर्टेन्ट डॉक्यूमेंट है। और इस इम्पोर्टेन्ट डाक्यूमेंट में किन-किन चीजों का उल्लेख होना चाहिये यह भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। पर इसमें इस बात का उल्लेख किया गया कि एक तरफ तो हमारे जवानों ने जांनिसारी से लड़ाई का मोर्चा संभाला; दूसरी तरफ, दो बार नये प्रधान मन्त्रियों का चुनाव बड़ी शान्ति के साथ लोकतन्त्री ढंग से करके,

(श्री भैरोंसिंह)
हमने अपनी बुर्दबारी और सियासी पुख्तगी का सुबूत दिया।

मैं यह पूछना चाहता हूं कि इन चीजों की क्या आवश्यकता थी, यहां जिक्र करने की। यह क्यों आवश्यक था, यहां उल्लेख करना। आवश्यकता इस बात की हो सकती थी, कि राजस्थान में मुख्य मंत्री ने त्याग-पत्र देने की बात कही थी और कौल साहब मुख्य मंत्री होने वाले थे, पर बदकिस्मती मेरी कि मैं मुख्य मंत्री नहीं बन सका। इसकी तो यहां रिलेवेन्सी थी, इसकी रिलेवेन्सी तो यहां समझ में आ सकती थी, पर इसकी यहां क्या रिलेवेन्सी थी और दोनों बार लोक तंत्रात्मक पद्धति से सारी व्यवस्था कर दी। इसकी आवश्यकता नहीं थी। पर आपने इस चीज को यहां क्यों लगाया, किस गरज से। मैं समझता हूं इसके पीछे कोई भावना है या नहीं, इन्दिरा गांधी प्रधान मंत्री चुनी गई। कांग्रेस के लोगों ने उनको चुना और जो लोक सभा के सदस्य थे, उन्होंने उनको दिल्ली में बिठा दिया। पर हमारे डांगीजी, श्रीमती प्रभा मिश्रा, श्रीमती कमला बेनीवाल और बाकी श्रीमान् और श्रीमती जी सब जो मंत्रि-मण्डल में हैं वे उन दिनों दिल्ली में रहे, क्यों रहे? किस काम के लिये रहे? मुख्य मंत्रीजी का वहां रहना समझ में आ सकता है, क्योंकि वर्किंग कमेटी के सदस्य थे। मैं मुख्य मंत्री से पूछता हूं, आपके ये मंत्रीगण १५ दिनों तक दिल्ली में क्यों बैठे रहे? क्यों उन्होंने अपनी गाड़ियों में सरकार का पैट्रोल जलाया? राजस्थान हाउस में सरकार के खर्चे पर क्यों पड़े रहे?

श्री दिनेशराय डांगी (उप-मंत्री, सिंचाई): उस समय का डेली अलाउन्स हमने नहीं लिया।

श्री भैरोंसिंह: आप तो हमारी तनख्वाह की बात करो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: इसलिये कि आप हमारे चौबदार हैं, यहां रहो।

श्री भैरोंसिंह: यह सब कुछ हुआ। मैं आपको सभानेत्रीजी महोदया, बताऊं सरकार ने एक पुस्तिका प्रकाशित कर दी। इसका नाम है, "New Image of Rajasthan"

यह डाइरेक्टर, पब्लिक रिलेशन्स ने छापी है। डी. पी. आर. ने छाप कर नाम किसका लिखा है? किसी चतुर्वेदीजी का। श्रीनाथ चतुर्वेदी। ये शायद असिस्टेन्ट या डिप्टी डाइरेक्टर हैं। Published by the Director Public Relations, राजस्थान सरकार, जयपुर। और आगे लिखते हैं:

"The opinions expressed in the book do not necessarily represent the views of the Government. They are author's own on a subject of cultural interest."

अब अगर यह एक आदमी की पुस्तिका है तो क्यों सरकार ने छपवाया? और जिस चीज की रेस्पोन्सिबिलिटी सरकार लेती नहीं, उसे सरकार ने क्यों छपवाया? अब वे कितनी छपी, डी. पी. आर. से सैट के सैट निकले हैं। बाजार में निकले हैं। कइयों ने बेची होगी उसे रद्दी में।

कांग्रेस अधिवेशन में आये स्वयं सेवकों को मैंने पूछा कितने रुपयों में आपको तै कर के यहां लाया गया? कितने रुपयों में तै किया? कहां तै-वै कुछ नहीं किया, हां, १०) रोज की रद्दी जरूर ले जाते हैं। मजदूरी नहीं ले जावेंगे पर दस रुपये की रद्दी

(श्री भैरोंसिंह)

हमें मिल जाती है। उनके लिये रद्दी है पर हमारे लिये यह दस रुपये की रद्दी किस भाव पड़ी। हमारे लिये यह दस रुपये की रद्दी क्यों महंगी पड़ती है? पांच-सात सेर वज़न की यह रद्दी ये सैट डी. पी. आर. के मार्फत सरकार के द्वारा छापे जाते हैं, अब इनमें कितना खर्चा हुआ, यह मुख्य मंत्रीजी भाषण के जवाब देंगे तब बतावेंगे।

इतना ही नहीं, सभानेत्री महोदया, यह कांग्रेस का पहला अधिवेशन था जिसमें डिफेन्स फोर्सेज़ को काम में लाया गया। आप यह कहेंगे कि खादी प्रदर्शिनी, आयुर्वेद प्रदर्शनी, इन्डस्ट्रीज़ विभाग की प्रदर्शनी, इर्रिगेशन विभाग की प्रदर्शनी, पुलिस विभाग की प्रदर्शनी और जो भी प्रदर्शनियां लगीं वे तो उन डिपार्टमेन्ट्स ने लगाईं; उनका कांग्रेस से कोई संबंध नहीं था, लेकिन कांग्रेस से संबंध था। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस १७ वें अधिवेशन नेहरू नगर प्रतिनिधियों के लिए मार्ग दर्शिका नाम की एक पुस्तक है, इसमें लिखा है:—

"The reception committee has organised a small exhibition of Khadi Gramodyog, handicrafts and defence. यह रिसेप्शन कमेटी, जिसके चेयरमैन श्री हरिदेवजी जोशी थे, जिसमें सब कांग्रेसी, कांग्रेस की तरफ से रिसेप्शन कमेटी, उस रिसेप्शन कमेटी ने प्रोग्राम में डिपार्टमेन्ट्स की जो एग्ज़ीबीशन होती है उसका उल्लेख किया है। वहीं पर एग्ज़ीबीशन हो सकती है, बाकी जयपुर में और कहीं एग्ज़ीबीशन नहीं हो सकती। मैं समझता हूं कि वहां पर एग्ज़ीबीशन लगाई, इसके एवज में दूसरे स्थान पर बिना राजनीतिक गतिविधियों के एग्ज़ीबीशन कराई जाती, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि घाटा नहीं होता, नफा होता। वह वास्तव में एग्ज़ीबीशन होती, लेकिन हमने उसकी चिन्ता नहीं की। सरकार कहती है पैसे नहीं है और जनता भी कहती है पैसे नहीं हैं। सभापति महोदया, आपको सुन कर ताज्जुब होगा, यह मेरे जैसे व्यक्ति ने इस बार प्रत्यक्ष अनुभव किया है। एक बार मुझे मालूम हुआ और मैं कलेक्ट्रेट में खड़ा था तो मुझे मोटर मालिकों ने कहा कि ट्रान्सपोर्ट विभाग के लोग जबरदस्ती चन्दा वसूल कर रहे हैं। मैंने कहा कि यह नहीं हो सकता; लेकिन उस मोटर मालिक ने कहा कि मेरे साथ चलिए। मैंने उस समय गल्ती की, मैं मोटर में बैठ गया। मैंने सोचा कि मैं कुछ पत्रकारों को साथ लेकर सरकारी अधिकारियों को इसके लिए सचेत कर दूं। मैं एक अधिकारी के पास गया और उसको कहा कि आपके असिस्टेन्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर चन्दा वसूल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं बन्द करा देता हूं। लेकिन सभानेत्री महोदया, चन्दा इकट्ठा होना बन्द नहीं हुआ। मैंने फिर आधा घन्टे बाद इत्तला की कि वह अभी तक जबरदस्ती चन्दा वसूल कर रहे हैं। मैं चांदी की टकसाल पहुँचा, तो वह ए० आर० टी० ओ० अपनी जीप के अन्दर कांग्रेस पार्टी की रसीदें बिछाये बैठे थे और आने वाले बस ऑपरेटर्स और ट्रक ऑपरेटर्स से चन्दा जबरदस्ती वसूल कर रहे थे और उनको पकड़ रहे थे। तो वहां से मैं सीधे एन्टीकरप्शन विभाग के आई. जी. के पास पहुँच गया, मैंने उनको कहा कि यह यह बात है। उन्होंने कहा कि नोट के ऊपर दस्तखत होने चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। तो न तो मेरे पास नोट थे और न मैं ऐसा कर सका। मैंने देखा कि इससे काम नहीं चलेगा। तो मैंने ट्रान्सपोर्ट विभाग

Page No. 88

(श्री भैरोंसिंह)

के डाईरेक्टर महोदय को टेलीफोन किया। एक बार नहीं तीन बार टेलीफोन किया और सभापति महोदया, मेरे जीवन का पहला अनुभव है कि किसी सरकारी अधिकारी ने ऐसी सही बात के ऊपर जो कुछ मैंने कहा, उसके ऊपर आगे नतीजा क्या निकला, इसकी चिन्ता नहीं, लेकिन श्री रोशनलाल माथुर जैसे ईमानदार व्यक्ति ने, उसके ऊपर भी इतना बड़ा प्रभाव था कि हम तीन घन्टे तक उनका इन्जार करते रहे। मुझे टेलीफोन पर कहा कि असिस्टेन्ट डाइरेक्टर आ रहे हैं। पर असिस्टेन्ट डाइरेक्टर आते कहां से, वह तो सेक्रेटेरियेट में बैठे थे। मैंने फिर आधे घंटे बाद टेलीफोन किया तो कहते हैं अच्छी बात, मैं भेज रहा हूं। फिर डाइरेक्टर के ऑफिस के आदमी बैठे थे अचलसिंहजी वहां पहुंचे नहीं। अचलसिंह जी नहीं आये, लेकिन श्री रोशनलाल जी माथुर जैसे ईमानदार हाकिम की ईमानदारी पर तो मैं विश्वास रखता था, लेकिन मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसके लिए उनको बर्खास्त करने की आवश्यकता है। मेरे पास गवाहियां हैं, पत्रकारों की गवाहियां हैं, सरकारी अधिकारियों की गवाहियां हैं, जिनके सामने टेलीफोन किया, उनकी गवाहियां मेरे पास हैं। उसको मैंने रोकने की कोशिश की। मैंने देखा कि कहीं झगड़ा नहीं हो जाये और कहीं हाथापाई न हो जावे, इसलिए आवश्यकता नहीं है कि इस मामले में पड़े।

यह तो सभानेत्री महोदया, जयपुर की बात है, लेकिन कोटा के अन्दर, बूंदी के अन्दर, भीलवाड़ा के अन्दर, कितने ही लोगों से चन्दे वसूल हुए हैं और कितने ही लोगों के टेलीग्राम और चिट्ठियां हैं, यदि माननीय मुख्य मंत्रीजी देखना चाहें तो मैं बताऊंगा कि कितने लोगों से जबरन पैसे वसूल किए हैं। सेल्स टैक्स वालों ने जबरन चन्दा वसूल किया है, डी. एफ. ओ. ने वसूल किया है। ये सारी हालतें चलती रहीं तो जनता के पास डिफेन्स फण्ड के लिए पैसा, स्माल सेविंग्ज स्कीम के लिए पैसा और अब की बार तो हमारी सरकार ने स्माल सेविंग स्कीम के मातहत भी एक कम्पलसरी व्यवस्था लागू कर दी है। वह कम्पलसरी व्यवस्था क्या है? वह मैं सदन की जानकारी के लिए लाना चाहूंगा। उस व्यवस्था के अनुसार हमारी सरकार ने यह कहा है, यह सदन थोड़ा ध्यानपूर्वक सुन ले छोटी बचत के लिए और भी ज्यादा उत्साह पैदा करने की गर्ज से इस साल एक स्कीम चालू की गई है, इसके मुताबिक हर जिले को उसकी जमा की गई रकम के आधार पर नकद सहायता दी जायेगी। इसका मतलब यह है कि अल्प बचत का रुपया यदि हमने जमा नहीं कराया तो उस जिले को सहायता नही मिलेगी और इसका मतलब यह होगा कि जो पिछड़े हुए जिले हैं, जिनकी आमदनी गिरी हुई है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर इस प्रकार के जो जिले हैं, जिनकी आमदनी गिरी हुई है, वह स्माल सेविंग नहीं कर पायेंगे और सरकार ने जो प्रलोभन दिया है वह उसको पूरा नहीं कर पायेंगे। इसी लिए उनको सहायता नही मिलेगी। इसी कारण वह अयोग्य सिद्ध रहेंगे। इन सब के मुताबिक हम लोगों को पैसा देते जायें और उसके बाद में भी कांग्रेस के लोग पैसा कमाने के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए, इसी प्रकार से मेहनत करके लोगों को ठगते रहे तो इस सरकार का कैसे भला होगा, मैं कह नहीं सकता।

(श्री भैरोंसिंह)

सभापति महोदया, मैं उस प्रश्न की ओर आना चाहता हूं जिससे यह साबित होगा कि खैर, यह सब कुछ खर्चा तो होता है लेकिन आमदनी क्यों नहीं हुई ? मैं खर्चे का एक उल्लेख और कर देना चाहता हूं । १९६३-६४ और ६४-६५ में हमारे यहां अकाल पड़ा । लगभग ४ करोड़ रुपया उसमें खर्च हुआ । उस ४ करोड़ रुपये में खर्च की ऑडिट रिपोर्ट का मैंने अध्ययन किया । सभापति महोदया, सुन कर ताज्जुब होगा कि ४ करोड़ रुपया जहां खर्च हुआ है उसमें २५ परसेन्ट इसका मतलब १ करोड़ और कुछ लाख रुपया–मैं टोटल इसका नहीं लगा पाया हूं इसलिए बता नहीं पा रहा हूं–लेकिन यह १ करोड़ और कुछ लाख रुपया ऐसा है कि जिसमें उसके उपयोग के संबंध में, जिसकी प्रामाणिकता के संबंध में, जिसके रूल्स के पालन के संबंध में अकाउन्टेन्ट जनरल ने एतराज करके मिस–यूज की संज्ञा दी है । काफी रकम इतनी है कि जिसको बिना स्वीकृति मर्जी आये खर्च करने की आज्ञा दी हैं । मस्टर रोल्स बनाने में गड़बड़ी, मिट्टी डलवाने में गड़बड़ी, लोगों को रिलीफ देने में गड़बड़ी, काम चालू करवाने में गड़बड़ी उन ४-५ जिलों की ऑडिट रिपोर्ट का अध्ययन यदि विधान सभा की कोई समिति करे तो १ करोड़ रुपये का घोटाला उसमें से निकलेगा । लेकिन जांच करने की तो हिम्मत नहीं है ।

शाहबाद के मामले में मैंने कुछ दिनों पहले प्रश्न उठाया था लेकिन सरकार को आज तक उसमें यह कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि उसमें कितने रुपयों का घोटाला हुआ है । उस शाहबाद के मामले को देखने के लिए ५ लाख रुपयों का और खर्चा । अभी भारत सरकार के गुप्तचर विभाग के कुछ व्यक्ति आये और उन्होंने कहा कि हमें तो शाहबाद के मामले के कागजात ही नहीं मिले । खैर शाहबाद का मामला तो कहीं गया, क्यों नहीं सरकार स्पष्टीकरण करती कि कितना खर्चा हुआ । इसी तरह से मैं मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि यदि आप सरकार का पैसा बचाना चाहें, तो निश्चित रूप से जो ऑडिट रिपोर्ट फेमिन के जहां जहां काम हुए हैं, उनकी ऑडिट रिपोर्ट लें और जांच करें ।

इतना ही नहीं सभापति महोदया, मैं एक ताजी घटना बताना चाहता हूं । जयपुर में स्टील फर्नीचर की खरीद के लिए टेन्डर्स इनवाइट किये । टेन्डर्स में व्यवस्था कर दी कि एक तो टेन्डर की कीमत वह कोट करें, जिनको कि कन्ट्रोल का कोटा मिले और एक वह करें जो कि बाजार से खरीदें । इसका मतलब यह है कि टेन्डर कोट करें एक तो ब्लेक मार्केट का और दूसरे कन्ट्रोल का । सभापति महोदया, टेन्डर लोएस्ट मन्जूर होना चाहिए वह नहीं हुआ और दूसरों के हो गए । मैंने कल बैठकर हिसाब लगाया तो १० लाख रुपये अगर वह पूरी पर्चेज हो गई तो राजस्थान की हुकूमत को १० लाख रुपये का घाटा होगा ।

सबसे मोटी बात राजस्थान की सीमा पर दुश्मन बैठा है और राजस्थान की सीमा पर बैठी हुई जनता हथियारों की मांग कर रही है । हमें हथियार दे दो, हमें बन्दूकें दे दो, तो राजस्थान की हुकूमत कहती है कि हमारे पास हथियार नहीं हैं, हमारे पास बंदूकें नहीं हैं । यह मैं भी मानता हूं कि हमारे राजस्थान

(श्री भैरोंसिंह)

में कोई वेपन्स को मैन्युफेक्चरिंग कम्पनी नहीं है जितने वेपन्स का अलॉटमेंट भारत सरकार के द्वारा होता है वही राजस्थान सरकार को मिलता है। लेकिन सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण हमें ज्यादा हथियारों की मांग करनी चाहिए थी। लेकिन बदकिस्मती है कि हथियारों की ज्यादा मांग करने के बजाय हमारी सरकार ने सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों के हथियार जब्त कर लिए। पांच-पांच सो और हजार-हजार रुपये के हथियार बीस-बीस, तीस-तीस रुपये में मंत्रियों ने खरीद लिये, कलेक्टरों ने खरीद लिये, आई. जी. के रिश्तेदारों ने खरीद लिए, डी. आई. जी ने खरीद लिए एस. पी. और कलेक्टर ने खरीद लिए। सभापति महोदया, आखिर यह कितने शर्म को चीज है। मैंने आज से एक महीने पहले मुख्य मंत्रीजी को पत्र लिखा····

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री): यह हथियार खरीदने की बात कब की है?

श्री भैरोंसिंह : क्या कहा?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो आपने कहा कि हथियार मंत्रियों और ऑफिसरों ने खरीद लिए तो यह खरीदने वाली बात कब की है?

श्री भैरोंसिंह : यह ६५ की बात है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : ६५ में भी कब की बात है।

श्री भैरोंसिंह : सितम्बर ६५ में।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आपको पत्र नहीं मिला इनका?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपने जो सितम्बर ६५ में कहा तो इसकी तादाद वगैरह का तो आपको अन्दाजा नहीं होगा?

श्री भैरोंसिंह : मैं आपको अभी पढ़ कर बताता हूं। अगस्त ६५ तक ८२८ हथियार ४२,५५४ रुपये में बिके हैं। यह अगस्त है, सितम्बर नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अगस्त में हथियारों की बिक्री हुई और जो आपने जिक्र किया कि जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ पाकिस्तान के साथ, उस वक्त हथियार मंत्री और ऑफिसर लोग ले रहे थे, लेकिन दूसरों को नहीं मिल रहे थे, तो इसका तो मेल नहीं खाता।

श्री भैरोंसिंह : मेल खाता है, मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से मेल खाता है। अप्रेल और मई, ६५ में कच्छ का मामला हुआ, राजस्थान की सीमा पर दोनों तरफ गोलियां चलती रहीं। अप्रेल और मई के महीने में राजस्थान की हुकूमत को पता लग गया था कि कच्छ के मामले से पाकिस्तान की नीयत खराब है, हमें युद्ध करना पड़ेगा, उसके उपरान्त अगस्त के महीने में हथियार बेचे गए। वे हथियार राजस्थान की सीमा की जनता को नहीं मिल सकते, वे मंत्रियों को मिल सकते हैं, सचिवों को मिल सकते हैं, कलेक्टरों को मिल सकते हैं, एस. पी. को मिल सकते हैं, उनके भाइयों को मिलते हैं, उनकी बीबियों को मिल सकते हैं, उनकी बहिनों को मिल सकते हैं और भी कितनों को मिल सकते हैं? ३० बोर की मजल लोडिंग पिस्तोल, जो आज इण्डिया में नहीं बनती है बल्कि इम्पोर्ट होती है, जिसकी कीमत आज कम से कम चार हजार रुपये है, वही पिस्तोल कितने में खरीदी जाती है, तीन पिस्तोलें ३८० रुपये में।

(श्री भैरोंसिंह)

(विरोधी पक्ष की ओर से 'हियर-हियर')

१२ बोर की बन्दूक पच्चीस-पच्चीस रुपये में बिकती है, ३८ बोर की बन्दूक १८-१८ और १६ और १७ रुपये में बिकी हैं। थ्री नाट थ्री की सिंगल और डबल तीस-तीस और चालीस-चालीस रुपये में बिकी हैं। हथियारों को छीनने वाली हुकूमत और राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी, मैं आपसे कहता हूं कि जागीरदारों से कहा जाता है कि हथियार जमा कराओ। जागीरदार परेशान, कलेक्टर के पास आदेश आता है कि जिसके पास एक से ज्यादा हथियार हैं उसका लाइसेंस मत दो, उन हथियारों को जमा कराओ। जागीरदारों के हथियारों के लिये मुख्य मंत्री अपील करते हैं कि हथियार दान में दो। वह आपकी अपील खत्म नहीं हुई है, अभी तक आपकी अपील चालू है और देश पर अभी तक संकट है और उन लोगों से आपने हथियार खरीदे हैं। लेकिन एक बात बता दूं कि वह सब हथियार बिक गए हैं। बीस-बीस रुपये में खरीदे हुए हथियार दो-दो हजार में बिके हैं। आप उनके खिलाफ एक्शन लें, आप देखेंगे कि आपको कितने रुपयों की आमदनी होती है। इस बारे में आप सुबूत मांगगे तो मैं आपको बताऊंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मंत्रियों की संख्या घट जायेगी।

श्री भैरोंसिंह : दो ही मंत्री हैं हथियार खरीदने वाले, ज्यादा नहीं है।

तो उस हालत में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि, कम से कम, लोगों को यह तो पता चल जायगा कि सरकार में जमा कराई जाने वाली चीजों का किस प्रकार से उपयोग होता है।

इतना और है। इन्हीं हथियारों के लिए १९६० और ६२ में टेंडर इन्वाइट किया। उस समय जो रेट कोट की गई, अगर इन हथियारों को उन रेट के हिसाब से भी बेचा जाता तो भी पांच लाख रुपये सरकार को मिलते, जिनको जगह आपने इनको ४३ हजार रुपये में बेच दिया। पांच लाख की चीज ४३ हजार में बेच दी गई, अब मैं यह नहीं कहता कि यह कैसे खा गए, क्यों खा गए। सीधी सी बात है कि आपकी कमजोरी की वजह से खा गए।

इसी तरह से सभापति महोदया, मैं यह निवेदन कर रहा था कि अब मैं आमदनी के उन प्रश्नों पर थोड़ा सा उल्लेख करना चाहूंगा। राजस्थान में आमदनी क्यों नहीं बढ़ रही है, उसके लिए भी मैं यहां जिक्र करना चाहूंगा। मैंने इसी बजट के आंकड़े इकट्ठे किए हैं और उन्हीं आंकड़ों के आधार पर मैं कहता हूं कि जो आपकी आमदनी के डिपार्टमेंट हैं–इरिगेशन एण्ड ड्रेनेज, मल्टी रिवर स्कीम्स, पब्लिक वर्क्स, स्टेशनरी एण्ड प्रिंटिंग, फॉरेस्ट, लैंड रेवेन्यू, स्टेट एक्साइज ड्यूटी–इन सबसे आमदनी हो सकती है। ये सब विभाग हमारी रेवेन्यू साइड के हैं, इन्कम साइड के हैं लेकिन इनसे इन्कम होना तो दूर रहा, जो आपके फॉरेस्ट, प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी आदि विभाग हैं, इनकी आमदनी गिरी है। जिन विभागों से आमदनी हो सकती है उनका खर्चा सबका बढ़ा है। खर्चे में दुगुना, तिगुना और चौगुना तक सब में खर्चा बढ़ा है, लेकिन इनकी इन्कम में, सब में कमी हुई है। यह स्टेटमेंट मैं सदन की मेज पर रखूंगा। जिससे सदन को पता चल

(श्री भैरोंसिंह)

सकेगा कि इनके लिए जो खर्चा करना चाहते थे वह खर्चा तो बढ़ता ही जा रहा है लेकिन उस खर्चे के बढ़ने के बाद भी जो सन् १९५२ में आमदनी होती थी, आज उतनी भी आमदनी नहीं होती है। उस परसेन्ट से आमदनी नहीं बढ़ रही है और उधर खर्चा बढ़ता ही जा रहा है तो उसका परिणाम क्या होने वाला है।

अब इसके अलावा जो हमारी आमदनी के जरिये हैं और जिनमें हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उस पर आता हूं। छः करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। इस छः करोड़ के इन्वेस्टमेंट से २ करोड़ ४४ लाख का तो एक नक्शा मैं सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, सभापति महोदया! ६,१३,४००) रुपये का इन्वेस्टमेंट हमने जिन कम्पनियों में कर रखा है, वे तो बन्द पड़ी हैं और उसमें झालावाड़ ट्रांसपोर्ट सर्विस भी है, डूंगरपुर शूगर इण्डस्ट्री के असेट्स का पता नहीं है। मिश्रा बन्धु इण्डस्ट्री जयपुर के असेट्स का भी पता नहीं है, छः लाख रुपया गारत पड़ा है उसका पता ही नहीं है। अब इसी तरह से सभापति महोदया, ४,१८,०००) के जितने हमारे इन्वेस्टमेंट हैं, वे लिक्वीडिशन में पड़े हुए हैं। इनके मामले बरसों से लिक्वीडिशन में पड़े हैं और उनके असेट्स खत्म होते जा रहे हैं। लिक्विडेशन की प्रोसिडिंग फाइनल नहीं हो रही है और राज्य के चार लाख अट्ठारह हजार रुपयों का कोई पता नहीं है।

अब आगे चलिये। कुछ कम्पनियां ऐसी हैं जो लाभ में चल रही थीं; जैसे कोटा ट्रांसपोर्ट कम्पनी। उद्योग मन्त्रीजी को अच्छी तरह से मालूम है कि दो साल पहले एक प्रश्न इस सदन में जोरदार ढंग से उठाया गया था और ऑडिट रिपोर्ट रखी गई थी। उसको देखने के बाद यह बताया गया था कि कोटा ट्रांसपोर्ट कम्पनी से कितना लाभ हो सकता था, लेकिन वह नहीं हो रहा है। इसी तरह से राजस्थान फाइनेंशियल कोर्पोरेशन है जिसमें आपका लाखों रुपया लगा है। आदित्य मिल में आपका १५ लाख का इन्वेस्टमेंट है। ओरिएण्टल पॉवर केबिल्स में आपका १३ लाख का इन्वेस्टमेंट है लेकिन अभी तक उससे कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है। मेटल कोर्पोरेशन ऑफ इण्डिया में २५ लाख का इन्वेस्टमेंट है लेकिन उसके रिटर्न का कुछ पता नहीं है। एसोसियेटेड आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, रामगंजमण्डी है जिसमें एक लाख का इन्वेस्टमेंट है। गंगानगर शूगर मिल्स में २७ लाख का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसकी तरफ से किस तरह का रिटर्न हो रहा है। यह आपको मालूम हैं। इसी प्रकार हाइटेक का मामला है जिसे मैं आपको आगे बताऊंगा। जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर एक ऐसी कम्पनी है कि जिस कम्पनी के बारे में फिर से विचार करने की आवश्यकता है। जयपुर उद्योग में ७५ लाख का इन्वेस्टमेंट है और उससे तीन पर्सेन्ट के हिसाब से डिविडेन्ड मिल रहा है।

(४.०० म. प.)

मान इन्डस्ट्रियल कोर्पोरेशन में १५ लाख पर साढ़े चार परसेन्ट के हिसाब से मिलता है। नेशनल प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्शन कोर्पोरेशन लि०, नई दिल्ली, जो कि गवर्नमेंट की है, उसमें हमें ६ परसेन्ट के हिसाब से मिलता है। राजस्थान स्माल स्केल कोर्पोरेशन में ६ लाख का इन्वेस्टमेंट है, उसमें डिविडेन्ड १५ परसेन्ट के हिसाब से मिलता है। अब यह जो मैंने परसेन्टेज बताया

(श्री भैरोंसिंह)

है उस परसेन्टेज में हम एक बात पर गौर कर सकते हैं कि आखिर बैंक रेट को भी कोई आधार मान कर चलते हैं, आखिर बाजार में प्रिविलिंग मार्केट रेट को भी उसका आधार मान कर चलते हैं। जहां पर साढ़े सात पर्सेन्ट के हिसाब से डिविडेन्ड मिलता है तो बहुत घाटा है। साढ़े चार परसेन्ट के हिसाब से जो मिलता है तो बहुत घाटे में रहते हैं। आप कहेंगे कि बढ़ाया कैसे जाय? लेकिन आपने बढ़ाया है। जयपुर स्पिनिंग मील में अपना इन्वेस्टमेंट १५ लाख का था और ६ लाख के डिविडेन्ड एक्युमुलेट हो गये थे। उन ६ लाख को फारगो करके हमने साढ़े चार परसेन्ट से ६ परसेन्ट का इन्ट्रेस्ट लिया है। जिस समय यह प्रश्न मैंने विधान सभा में उठाया था, तो मुख्य मन्त्रीजी ने सेल्स टैक्स के आंकड़े बता कर इन्कम टैक्स के आंकड़े बताकर कहा था कि इस तरह से राजस्थान सरकार को बहुत लाभ होगा और साढ़े नौ परसेन्ट गिरेगा। साढ़े नौ परसेन्ट कितने दिन मिलेगा? वह साढ़े नौ परसेन्ट अब खत्म हो गया है और १५ लाख के जो शेयर्स थे, उनको लोन में कन्वर्ट कर रहे हैं, एग्रीमेंट नहीं हुआ है, बात सही है, लेकिन आज वह डिविडेन्ड लोन का नहीं मिल रहा है, शेयर्स का डिविडेन्ड नहीं मिल रहा है। लोन की इन्स्टालमेंट को जमा कराया है लेकिन मैं आज यह पूछना चाहता हूं कि जब भारत सरकार यह कहे कि जहां पर लोन दिया हुआ है वहां पर उसको शेयर्स में कन्वेर्ट किया जाय, लेकिन राजस्थान की हुकूमत खास तौर से मोहनलालजी सुखाड़िया, रामनाथजी पोद्दार का पक्ष लेना चाहते हैं। जनता की कमाई पर, जनता की गरीबी के ऊपर, जनता की गरीबी की लाश के ऊपर पैर रख कर वे रामनाथजी को ओब्लाइज करना चाहते हैं। साढ़े नौ परसेन्ट के हिसाब से जो इन्ट्रेस्ट मिलता था उसको लोन में कन्वर्ट करके कम्पनी के ऊपर उन्होंने अपना पूरा अधिकार छोड़ दिया है। यदि हमने अपने आर्डिनरी शेयर्स या जो कुछ भी प्रिफेन्शियल क्युमुलेटिव शेयर्स थे उनकी शुरू से व्यवस्था की होती तो आज जयपुर स्पिनिंग मिल रामनाथ जी के हाथों में न होता, वह राजस्थान की हुकूमत के हाथ में होता और राजस्थान की हुकूमत के हाथ में होता। भीलवाड़ा टैक्सटाइल मिल में ६ लाख का इन्वेस्टमेंट किया है और वहां से जो रिटर्न मिल रहा है उस प्रकार का रिटर्न जयपुर स्पिनिंग मिल से मिलता, लेकिन उसकी चिन्ता नहीं की और चिन्ता नहीं की तो उसका नतीजा एक ही है कि राजस्थान की हुकूमत को राजस्थान को सरकार को जो आमदनी होनी चाहिए व आमदनी नहीं हो रही है।

इसी तरह काटन प्रेस कम्पनी, मदनगंज किशनगढ़ में कुछ हैं, जिनके अन्दर हमें कुछ मिल रहा है। उससे मामूली फायदा होता है। इस प्रकार की ३–४ कन्सर्न्स हैं जिनका कि मैं यहां पर उल्लेख नहीं करता हूं मैं अब उनका उल्लेख करना चाहूंगा कि जिनके अन्दर हम हेवी इन्वेस्टमैंट कर रहे हैं, जो स्टेट एन्टरप्राइज के नाम से चलती है। अब वह स्टेट एन्टरप्राइज के नाम से चलती है धोलपुर हाईटेक। धोलपुर हाईटेक यह एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। इसके ऊपर अलग से डिबेट की जाय तो जनता को मालूम होगा कि इसका कितना बड़ा राज हो गया है। यह राज कैसे काम कर गया? इसमें हमारा ६,६०,०००) रु. का इन्वेस्टमेंट है। मार्च, ६४

(श्री भैरोंसिंह)

में इसने प्रोडक्शन शुरू किया सितम्बर, ६४ तक, २,८०,०००) रु० की हानि हुई। और इस वर्ष ३,५०,००० रु० की हानि हुई। इसमें हमारे इन्वेस्टमेंट का ५० परसेन्ट तो हम खा गये। ३,५०,०००) रु० की हानि हो गई। हानि होने के साथ साथ इसकी क्या व्यवस्था की है? इसमें एक चालाकी और है, सभापति महोदया, १८-३-६३ से शुरू हो कर ३१-३-६४ और १८-६-६४ तक की जो आडिट रिपोर्ट है उस ऑडिट रिपोर्ट के अन्दर यह बताया गया है कि १२,८४८) रु० का ब्रेकेज हुआ। यानी कांच का सामान जो बनाया गया, वह टूट गया है, लेकिन हमारी सरकार इस सम्बन्ध में और निकालती है। २१-५-६४ को भूतपूर्व डाइरेक्टर ने सरकार को एक लेटर लिखा है कि आडिट रिपोर्ट में १२,८४८ रु० का ब्रेकेज होगा लेकिन असल में ब्रेकेज १,६८,००० रु० का है। आडिटर्स के सामने ब्रेकेज आया नहीं और आपके डायरेक्टर के सामने ब्रेकेज आगया। यह ब्रेकेज दिखा कर क्या करना चाहते हैं? उस घाटे की पूर्ति नहीं करना चाहते हैं बल्कि उस माल को गायब करके रु. खाना चाहते हैं।

(विरोधी पक्ष की ओर से हियर-हियर)

यह रुपया एक ही जगह पर नहीं खाया गया है बल्कि गंगानगर शूगर फैक्ट्री में भी १७०० बोतलों का ब्रेकेज दिखाया गया है। अगर १७००-१७०० बोतलों का ब्रेकेज हो जाता है तो किस लिए आपके डाइरेक्टर्स बैठे हुए हैं? किस लिए वहां पर आपका मैनेजर बैठा हुआ है? १७००-१७०० बोतलों का ब्रेकेज दिखा कर आप घाटा बताना चाहते है। धोलपुर हाईटेक में हमने ईस्ट जर्मनी से कालोब्रेशन किया है ईस्ट जर्मनी के पास, माननीय सभापति महोदया, ट्रूडश मार्क की कमी है। जब ट्रूडश मार्क की उसके पास कमी है तो ईस्ट जर्मनी इस तरह की कोशिश करता है कि ऐसे कन्ट्रीज के साथ कोलोबरेशन किया जाय, जो उसके माल की इम्पोर्ट करे जिससे कि उसको ज्यादा से ज्यादा फोरिन करेन्सी प्राप्त हो। ईस्ट जर्मनी के पास माल नहीं है तो उसने धोलपुर हाई टेक्स से कोलेबोरेशन किया है। कोलेबोरेशन के प्रश्न पर सरकार ने, ताज्जुब होता है, उन्हीं ईस्ट जर्मनी के कोलेबोरेटर्स से कोलेबोरेशन किया है जिनका कि कम्पनी के पहले के व्यवस्थापकों के साथ कोलेबोरेशन था। उस कम्पनी के डाइरेक्टर ने इनको कह दिया था कि हम बाहर से माल नहीं मंगायेंगे। वे लोग राजस्थान सरकार के मन्त्री से मिले और सरकार के मन्त्री को ईस्ट जर्मनी आने का निमन्त्रण दिया। उस निमन्त्रण के आधार पर १ करोड़ रुपये का माल इम्पोर्ट करने का एग्रीमेंट कराया मन्त्री से। तो वह ईस्ट जर्मनी वाले राजस्थान के मन्त्री के बारे में क्या अन्दाजा लगा कर चलेंगे। एक मैनेजर ६ लाख का माल खरीदने को तैयार नहीं था और वह ट्रूडश मार्क की व्यवस्था ईस्ट जर्मनी के लिए करने को तैयार नहीं था उसी के लिए राजस्थान का एक मन्त्री एक करोड़ का माल इम्पोर्ट करने को तैयार हो जाता है तो आखिर इस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है। इस कम्पनी में टोटा क्यों हो रहा है इस प्रश्न पर विचार करने की और इस बात की जांच करने की आवश्यकता है। हमें इसमें इतना इन्वेस्टमेंट क्यों करना पड़ रहा है, इस बात की जांच करने की आवश्यकता है। इस कोलेबरेशन से हमें इस प्रकार की व्यवस्था क्यों करनी पड़ी है?

(श्री भैरोंसिंह)

मैं यह कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि इसी प्रकार अन्य राजकीय उद्योगों का हाल है। गंगानगर शूगर फैक्ट्री में ६३–६४ में हमको ६,३६,५५० रु० का लास हुआ। पिछले वर्ष १५ लाख का फायदा हुआ। ५७-५८ के अन्दर ८,६२,००० रु. का फायदा था और उसके बाद ६३-६४ में ६,३६,५५० रु० का नुकसान हो गया और अगले वर्ष इससे ज्यादा नुकसान हो गया। वह नुकसान क्यों हुआ? मैंने पहले भी कहा है और आज भी इस सदन को कहना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी आप करप्शन को दूर करना चाहें तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गंगानगर में गुड़ जो खरीदा गया है वह सड़ गया, गंगानगर में जो सामान खरीदा गया वह सड़ गया, जो माल खरीदा गया वह बेकार गया। कुछ लोगों को ओब्लाइज् करने के लिए माल खरीदा गया, कुछ लोगों को ओब्लाइज करने के लिए सारी व्यवस्था की गई, इसके कारण गंगानगर शूगर फैक्ट्री का घाटा हुआ। ब्रेकेज को देखा जाता है तो १७००–१७०० बोतलें टूट गईं कम से कम इसके लिए गौर करें।

अब रोडवेज् कार्पोरेशन को लें, तो रोडवेज कार्पोरेशन में जिसमें ६४-६५ के अन्दर २५ लाख का फायदा था तो ६५-६६ में ८ लाख का अनुमानित लाभ है। ६४–६५ में २५ लाख रुपये का फायदा हुआ और ६५-६६ के अन्दर ८ लाख का अनुमानित लाभ होगा। इस तरह से १७ लाख का शुद्ध घाटा है। कितनी बसेज के ऊपर ४४० बसेज् के ऊपर १७ लाख रुपये का शुद्ध घाटा है। बस आपरेटर गांव में बस चलाता है, वह शहर में चलाते है, उनसे जाकर पूछो कि तुम्हारी बस से कितनी आमदनी होती है तो अच्छी बस वाला कहता है कि १५०० से २००० रु० माहवार का फायदा होता है और खराब बस वाला कहता है ५५० से १००० रु० का होता है। अच्छी रोड वाला कहता है कि १५०० से २००० रु० का होता है और खराब रूट वाला कहता है कि ५०० से १००० रु० तक होता है लेकिन यदि इसका घाटा हमारी रोडवेज़ का लगाया जाय तो पता लगता है कि आखिर इन्वेस्टमेंट किया है तो किस बात के लिए किया है? क्या हम इन्वेस्टमेन्ट इसलिए कर रहे हैं कि उसका रिटर्न न मिले? उसका मिलना चाहिए रिटर्न नहीं मिलता है और हम इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट से, सभापति महोदया, राजस्थान का क्या भला होने वाला है। इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट के ऊपर यदि चैक नहीं करेंगे तो उससे किसी का भला नहीं होने वाला है।

एक बात अन्त में मुझे और कहनी है जो कि मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय में नहीं कह पाया, इस समय उसको कहने के लिए मैं ५ मिनट का और समय लेना चाहता हूं। पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ। उस युद्ध में, सभापति महोदया, मुझे याद है कि जिस समय सितम्बर के महिने में सीज फायर की चर्चा हुई तो मुख्य मन्त्रीजी ने इसी सदन में एक बात कही थी कि राजस्थान की एक इन्च धरती के ऊपर भी पाकिस्तान का कब्जा नहीं है और हम लोगों ने खुशी से जोरों से तालियां बजा कर मुख्य मंत्रीजी का अभिवादन किया था। सदन का अभिवादन तालियों कि गड़गड़ाहट और मुख्य

(श्री भैरोंसिंह)
मंत्रीजी का भाषण अभी तक इस सदन में गूंज रहा है प्रोसिडिंग में लिखा हुआ है और राज्यपाल के अभिभाषण में इस साल मुख्य मंत्रीजी के भाषण के विपरीत कहा है कि मुनाबा की चौकी पर पाकिस्तान का कब्जा था। यह दोनों के बीच इतना अन्तर क्यों हो गया ?

राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी को यह पता नहीं कि पाकिस्तान का कब्जा हमारी भूमि पर है या नहीं। वे इस सदन में घोषणा करते हैं कि एक इंच पर भी कब्जा नहीं है। ४ महीने बाद इसी सदन में कहते हैं कि मुनाबा पर कब्जा था, थोड़ी जगह पर कब्जा था। यह बात वे उस समय भी कह सकते थे। दुर्भाग्य की बात यह नहीं है, दुर्भाग्य की बात यह है कि हमने उस समय सावधान किया था युद्ध के दौरान नहीं तो युद्ध विराम के बाद अतिक्रमण हुआ, एन्क्रोचमेंट हुआ, बाड़मेर और जैसलमेर के इलाकों में तबाही मच गई। औरतों का अपहरण किया गया, लोगों का सामान जलाया गया, हत्यायें की गईं। यह सब कुछ हुआ उसके लिये जिम्मेदार कौन है ? हमने उस समय राज्य सरकार से कहा था कि सड़कें बनाइये तो नहीं बनवाई। हमने कहा था कि वहां पर पानी का इन्तजाम करिये तो पानी का इन्तजाम नहीं किया। हमने उस समय कहा था कि वहां के लोग पाकिस्तान में जाकर गुरिल्ला ट्रेनिंग ले रहे हैं, यहां के समाचार-पत्र मंगा कर पढ़ रहे हैं, वहां की पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं। ये सारी बातें जब हमने सरकार से कहीं तब तो उन्होंने यह कह कर संतोष कर लिया कि हम सम्प्रदायवाद फैलाना चाहते हैं। हम सम्प्रदायवादी थे या नहीं, यह हमने बता दिया। भारतीय जन-संघ के एक एक कार्यकर्ता को जो भी ड्यूटी दी गई उसको पूरा करने में उसने कुछ नहीं उठा रखा, देश सेवा में वे किसी से पीछे नहीं रहे, लेकिन कांग्रेस के सदस्य जो हमको सम्प्रदायवादी कहते थे, कांग्रेस सदस्य जो मण्डल कांग्रेस के सैक्रेटरी थे जब उनके खुद पर संकट आया तो भाग कर पाकिस्तान चले गये और वापिस मुजाहिदों के साथ आकर उन्होंने हिन्दुस्तान में लूट-मार मचाई। काप-राऊ गांव में जब हम लोग गये तो यहां पर मकान खाली थे, एक खाली मकान में और तो कुछ नहीं मिला पर कांग्रेस की रसीदें मिलीं। हमने कहा कि ये क्यों छोड़ गये; इनको भी पाकिस्तान ले जाते लेकिन उन्होंने फालतू समझकर वहीं पर छोड़ दिया। ऐसे कई लोग पंच, सरपंच और कांग्रेस के कर्णधार थे जिनको नहीं पकड़ा गया। इसका परिणाम क्या हुआ ? आज तक नहीं कहा, कहने में संकोच होता था इसलिये कि हम अपने मुंह से कैसे कहें, पाकिस्तान को अपने मुंह से कही हुई बात के खिलाफ बोलने का अवसर क्यों दें, हम पाकिस्तान को अपनी जुबान से निकली हुई बात का उपयोग करने क्यों दें ? इसलिये हमने तब नहीं कहा और जुबान चुप रखी। लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है उपाध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान ने सिर्फ मुनावा पर ही कब्जा नहीं किया लेकिन ४,००० मील में पाकिस्तान ने कब्जा करके हिन्दुस्तान का आवागमन रोक दिया। हम वहां नहीं जा सकते थे, पाकिस्तान वाले जा सकते थे। आप कह सकते हैं कि चौकियां दूर-दूर थीं, लेकिन मुख्य मंत्रीजी, बाड़मेर में हमको पता चला कि राजस्थान की हकूमत चुप इस-लिये बैठी थी कि जैसलमेर के संबंध में

(श्री भैरोंसिंह)

उसको पता तक नहीं था कि राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा कहां पर है, भारत सरकार को पता नहीं था कि सीमा कहां है। केवल नक्शा देख कर ही चुप रह जाते थे। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने इस इलाके की घोर उपेक्षा की है। आपका यह अपराध मामूली नहीं है। भ्रष्टाचार का अपराध क्षमा किया जा सकता है, कत्ल का अपराध क्षमा किया जा सकता है, लेकिन आपने भारत की सीमा पर पाकिस्तान का कब्जा होने दिया, कब्जा करने के लिये पाकिस्तान को छूट दी और उसका आपको पता नहीं चला. यह आपका अपराध हर्गिज क्षमा करने लायक नहीं है। मैं यह मांग करता हूं कि इसकी जुडिशियल इन्क्वायरी की जाय, जैसा कि चीन की लड़ाई के पश्चात् नेफा में हुआ था; वहां पर बोर्डर कमीशन बैठाया गया था; उसने सारी चीज की जांच की और यह पता लगाया कि क्या-क्या कमियां थीं, उसके बाद उन कमियों को दूर करने की कोशिश की। उसके बाद ही वहां पर माउन्टेन

(४.१५ म० प०)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

डिवीजन बनाया और माउन्टेन डिवीजन बन जाने के बाद ही आज हम चीन को चुनौती देने को तैयार हैं। मैं आज यह कहना चाहता हूं कि जैसलमेर और बाड़मेर के इलाके में किस प्रकार पाकिस्तान घुस आया ? किसकी गलती है, इसकी जांच की जाय ताकि आगे किस प्रकार डेजर्ट डिवीजन बना कर हम अपनी भूमि की रक्षा कर सकें। इसके लिये एक अच्छा कमीशन नियुक्त करना चाहिये।

अन्त में मैं उन जवानों के, आर. ए. सी. और होम गार्ड के जवानों को, जिन्होंने बाड़मेर और जैसलमेर में कुर्बानी दी है और जोधपुर की उस जनता को जिसने दुश्मन का सामना करने के लिये तत्परता दिखाई, बधाई देना चाहता हूं। मैं मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि करनपुर, नांगी, मोहनगढ़ नाचना, नारे वाला गांवों में इन लोगों ने जो काम किया है उसको सुन कर आप ताज्जुब करेंगे। जनता को यह जानकर खुशी होगी कि वहां पर आर. ए. सी. ही नहीं होम गार्ड के लोगों ने १३ घण्टों तक पाकिस्तानी दुश्मनों को रोके रखा। उनको आपने किस प्रकार बदला दिया ? २८ फरवरी को आपने होम गार्ड को तोड़ दिया। उस समय तोड़ दिया जिस समय ये लोग मोहनपुरा, नाचना, नारे वाला के लोगों को शिक्षा देने गये थे। २८ तारीख को आपने होम गार्ड को डिसबेन्ड कर दिया। उस समय उन लोगों के पास कोई सवारी नहीं थी, गाड़ी के लिये पैसे नहीं थे, खाने को अन्न नहीं था, जेब में पैसा नहीं था, उस समय उनको २८ तारीख को डिसबेन्ड किया, इस प्रकार का आपने उनके साथ व्यवहार किया। मैं आर. ए. सी. के कितने ही लोगों से मिला हूं, उनमें भयंकर असंतोष है। जिन लोगों की नियुक्ति सन् ५७ में हुई थी उनका आज तक कन्फर्मेशन नहीं हुआ, जिनकी नियुक्ति ५८ में हुई थी उनका कन्फर्मेशन नहीं हुआ। आप गृह मंत्री भी हैं, राजस्थान के आई. जी. पी. को बुलाकर आप पूछें कि कितने लोग ऐसे हैं जो बहुत सालों से टैम्पोरेरी बैठे हैं और उनका कन्फर्मेशन आज तक क्या नहीं हुआ और आज उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों किया जा रहा है ? हमारी मिलिटरी ने हमारे देश का नाम ऊंचा किया, लेकिन राजस्थान की

(श्री भैरोंसिंह)

आर. ए. सी. ने भी नाम ऊंचा किया है। हिन्दुस्तान में हमारी आर. ए. सी. की धाक है, उसके लिये सरकार भी बधाई की पात्र है, आर. ए. सी. के जवान बधाई के पात्र हैं। सरकार की ड्यूटी हो जाती है कि उनके हर संकट को दूर करने की चेष्टा करे। इतना ही कह कर मैं अपना आसन ग्रहण करता हूं।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : उपाध्यक्ष महोदय, सन् ६६–६७ का जो बजट हमारी विधान सभा में पेश हुआ है उसमें आमदनी ६६.५६ करोड़ और खर्चा ६८.४२ करोड़ का बताया है....

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! There is a statement to be made by Hon'ble Labour Minister.

(४.१७ म० प०)

श्रमिकों द्वारा प्रदर्शन संबंधी शासकीय वक्तव्य

श्री भीखाभाई (श्रम मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ समय पूर्व इन्टक संगठन की ओर से एक स्मरण-पत्र प्रस्तुत किया गया उसके पश्चात् इंटक की ओर से भी एक शिष्ट मंडल मिला तथा इन दोनों संगठनों ने विधान सभा के बाहर प्रदर्शन भी किया।

श्री हरिप्रसाद शर्मा, सदस्य विधान सभा, ने भी इस सम्बन्ध में एक स्थगन-प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

अतः अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार कुछ महत्वपूर्ण श्रम नीति के प्रश्नों पर मैं स्पष्टीकरण करना आवश्यक समझता हूं।

सबसे मुख्य प्रश्न बढ़ती हुई मंहगाई के साथ-साथ वेतन तथा मंहगाई भत्ता बढ़ाने का है। इस सम्बन्ध में सरकार जागरूक है। सर्वप्रथम इस प्रश्न पर विचार करने के लिए पहली त्रिदलीय बैठक दिनांक १-२-६४ को बुलाई गई थी जिसमें मुख्य मंत्री महोदय ने सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ५) रुपया मंहगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की तथा निजी क्षेत्र के उद्योगों को भी इसी प्रकार का कदम उठाने की अपील की। इसके फलस्वरूप कपड़ा उद्योग, सीमेंट व शक्कर उद्योग के अतिरिक्त जहां मंहगाई भत्ता मूल्य सूचनांकों से पहिले ही जुड़ा हुआ है, अन्य उद्योगों के लगभग १४,००० श्रमिकों के मंहगाई भत्ते में वृद्धि की गई।

सरकार ने सरकारी क्षेत्र में १-८-६४ तथा १-३-६५ को पुनः ५–५ रुपया की वृद्धि मंहगाई भत्ते में की।

कपड़ा उद्योग में भी मालिकों ने श्रमिक संगठनों के साथ बैठ कर मुख्य मंत्री जी के सम्मुख ७.५० पैसा एडहॉक मंहगाई भत्ते के शक्ल में देना स्वीकार किया। इस वृद्धि से लगभग १५,००० श्रमिकों को अधिक लाभ हुआ। इन्जीनियरिंग उद्योग के कुछ इकाइयों; जैसे जयपुर मेंटल्स, नेशनल बॉल बियरिंग जयपुर, सिमको वैगन फैक्ट्री भरतपुर, ने भी श्रम विभाग के प्रयत्नों से श्रमिक संगठनों के साथ परामर्श कर मंहगाई भत्ते में वृद्धि की। मान इण्डस्ट्रियल कोर्पोरेशन, जयपुर ने भी स्वतः ५) रुपए की वृद्धि मंहगाई भत्ते में की। लघु उद्योगों में भी जहां ५० अथवा ५० से अधिक श्रमिक कार्य करते हैं १०) रुपया मासिक मंहगाई भत्ते में वृद्धि करने का समझौता किया।

(श्री भीखाभाई)

सरकार ने न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले उद्योगों में जहां १९५९ में न्यूनतम वेतन निर्धारित किया था, रिवीजन कमेटियां स्थापित कर न्यूनतम वेतन को ४५) रुपये मासिक से बढ़ा कर ६०) रुपया मासिक कर दिया है। इस समय निम्न उद्योगों में न्यूनतम वेतन ६०) रु० मासिक लागू कर दिया गया है :

१. पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट

२. स्टोन ब्रेकिंग व स्टोन क्रशिंग

३. सड़क, भवन निर्माण व मरम्मत कार्य।

४. स्वायत्त संस्थाएं

५. भोडल की खानें।

निम्न उद्योगों में त्रिदलीय सलाहकार कमेटियां कार्य कर रही हैं या जिनकी रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है उन पर शीघ्र निर्णय लिया जावेगा।

(१) दाल, चावल व आटा की मीलें

(२) माइका फैक्ट्रीज,

(३) वूलन कार्पेट व शाल उद्योग।

इसके अतिरिक्त सरकार ने निम्न ३ उद्योगों को न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत शिड्यूल में जोड़ने का निर्णय लिया तथा न्यूतम वेतन ६०) रुपया मासिक प्रस्तावित किया है। इस सम्बन्ध में भी शीघ्र घोषणा कर दी जावेगी।

(१) कोटन जीनिंग, प्रेसिंग व बेलिंग कारखाने,

(२) वूल क्लीनिंग व प्रेसिंग कारखाने,

(३) प्रिन्टिंग प्रेस।

मंहगाई भत्ते को मूल्य सूचकांकों से जोड़ने के सम्बन्ध में सरकार ने प्रोफेसर एम. वी. माथुर की अध्यक्षता में जो समिति बनाई थी उसकी रिपोर्ट पर सरकार ने गम्भीरतापूर्वक विचार किया है। समिति की कई सिफारिशें स्वीकार की जा चुकी हैं। मंहगाई भत्ते को मूल्य सूचकांकों से जोड़ने की मुख्य सिफारिश पर सरकार ने श्रम सलाहकार मंडल की बैठकों में विचार किया तथा मंडल के निर्णय के अनुसार सर्व प्रथम तीन उद्योगों—इन्जीनियरिंग, ट्रान्सपोर्ट तथा केमिकल—में इस सिफारिश की औचित्यता पर विचार करने के लिए श्रम सचिव की अध्यक्षता में तीन समितियों को गठन किया है, जिनकी रिपोर्ट सरकार को प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही की जावेगी।

सरकार ने मंहगाई भत्ते में वृद्धि के प्रश्न पर एक नये दृष्टिकोण से भी विचार किया है और जैसा घोषित किया गया है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता भण्डार खोले जावेंगे, जहां कर्मचारियों की आवश्यकता की वस्तुएं उचित दामों पर उपलब्ध हो सकेंगी। निजी क्षेत्र व सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में भी इसी प्रकार के उपभोक्ता भण्डार खोले जाने के प्रश्न पर सरकार श्रमिकों व मालिकों के प्रतिनिधियों से बातचीत कर एक योजना बनायेगी।

बोनस अधिनियम के सम्बन्ध में सरकार ने किसी भी उद्योगों को निर्धारित समय के बाद बोनस अदायगी के समय में वृद्धि की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया है। कई महत्वपूर्ण उद्योगों द्वारा बोनस का

(श्री भीखा भाई)
भुगतान किया जा चुका है। जैसे कपड़ा उद्योग में १३ में से ८ संस्थानों द्वारा, जे. के. सिन्थेटिक्स कोटा, जयपुर मेटल्स, जयपुर, एन. ई. आई., जयपुर सिमको वैगन फैक्ट्री, भरतपुर, जयपुर उद्योग, सवाई माधोपुरा आदि।

कुछ अन्य उद्योगों तथा लघु उद्योगों ने भी बोनस का पेमेन्ट कर दिया, उसकी पूरी सूचना श्रम विभाग द्वारा एकत्रित की जा रही है।

कुछ उद्योगों में समय पर बोनस न बांटे जाने के कारण श्रम विभाग द्वारा नोटिस देने पर कानून की वैधानिकता को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत हो चुकी है। कई अन्य राज्यों में भी बोनस अधिनियम की वैधानिकता को चुनौती दी गई है तथा उच्च न्यायालयों में रिट याचिकाएं प्रस्तुत की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी बोनस अधिनियम की वैधानिकता का प्रश्न विचाराधीन है। अतः मालिकों ने इन निर्णयों के प्राप्त होने तक बोनस अदायगी के सम्बन्ध में देरी करने का रुख अपनाया है। इसके उपरान्त भी जहां जहां बोनस नहीं दिया गया है सरकार आवश्यक कानूनी कार्यवाही पर विचार करेगी।

राज्य विद्युत् मण्डल ने भी उच्च न्यायालय के सम्मुख रिट याचिका प्रस्तुत की है तथा स्टे ऑर्डर प्राप्त किया है। विद्युत् मंडल एक ऑटोनोमस बॉडी है अतः वैधानिक रूप में इनके द्वारा कदम उठाने पर सरकार आपत्ति नहीं कर सकती।

सरकार अन्य राज्यों से भी इस सम्बन्ध में विद्युत् मण्डलों द्वारा बोनस अदायगी के सम्बन्ध में, सूचना एकत्रित कर रही है।

केजुअल लेबर के सम्बन्ध में भी सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है जिसकी रिपोर्ट प्राप्त होते ही इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय लिया जावेगा। सरकार ने उक्त समिति को एक माह के भीतर अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा है।

सरकार की मान्यता रही है कि महत्वपूर्ण श्रम प्रश्नों पर त्रिदलीय सम्मेलनों में विचार किया जावे। सरकार के सम्मुख इस समय जो मुख्य श्रम सम्बन्धित प्रश्न उपस्थित हैं उन पर विचार करने लिये राजस्थान श्रम सलाहकार मण्डल की बैठक अप्रेल १९६६ में बुलाने का निश्चय किया है। श्रम संगठनों से मेरी अपील है कि वे इस आन्दोलनात्मक कार्यवाही या इस प्रकार की कार्यवाही, जिससे जो भूख हड़ताल है इसके लिए या अन्य प्रकार की कई मांगों के लिए काम किया जाय, उससे परहेज करें, यह मेरी प्रार्थना है। मैं आशा करता हूं कि जो कुछ भी श्रम नीति का राजस्थान के अन्दर जिस प्रकार संचालन हो रहा है तदनुसार यह संगठन, जो विभिन्न विचारधाराओं वाले हैं, विचार करेंगे और इससे एक प्रकार की शांति, औद्योगिक शांति इस देश के अन्दर हो और जिस प्रकार देश को विकास की ओर बढ़ाना चाहते हैं—उस ओर बढ़ाते हुए चले जायेंगे।

(४.२६ म. प.)

आय-व्ययक,

१९६६-६७ पर अग्रेतर विचार-विमर्श

(पूर्व क्रम से)

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोविन्दसिंह !

Page No. 101

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट हमारे सामने है इसमें ६६५६.१२ लाख रुपये की आय है और ६८४६.४३ लाख रुपये के खर्च का अनुमान है। जब से हम इस विधान सभा में बैठे हैं सदा से हमारे सामने बजट पेश होते रहे हैं। १९६३.६४ में जहां ६८०२.६१ की आय थी वहां ६८८०.११ का व्यय था और जो बजट १९६२-६३ में प्रस्तुत हुआ था उसमें जहां ५८५६.२० की आय हुई थी वहां ५६७६.४५ का खर्च हुआ था। इस प्रकार इन पांच सालों के अन्दर हमारी आय जहां ३८ करोड़ रुपये बढ़ी है वहां खर्च ४२ करोड़ रुपये बढ़ा है।

मैं समझता हूं, जहां तक वेलफेयर स्टेट का सवाल है उसमें जितनी आमदनी होती है करीब-करीब उतना ही खर्च होता है और यह होना स्वाभाविक भी है। इसलिए हम आय तो लेकर चलें और व्यय नहीं हो, मैं यह मान कर नहीं चलता हूं। लेकिन जब हम देखते हैं कि जो खर्च हो रहा है वह किस प्रकार से हो रहा है, जो विकास कार्य हैं उनमें कितना खर्च हो रहा है और जो अविकास कार्य है उनमें कितना खर्च हो रहा है, इसको हमें देखना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बजट पेश हुआ है इसमें जहां ४५ परसेन्ट विकास कार्यों पर खर्च होने वाला है वहां ५५ परसेन्ट अविकास कार्यों में खर्च होने वाला है। जो खर्च हम हमारे विकास कार्यों में करना चाहते हैं वह कम है और अविकास कार्यों में होने वाला खर्च ज्यादा है, उसमें दस परसेन्ट ज्यादा है। अगर राज्य सरकार यह निश्चय कर लेती है कि जितना विकास कार्यों में खर्च करना है उतना ही अविकास कार्यों में खर्च करना है तो करीब दस करोड़ रुपये की बचत हो जाती है।

इन कार्यों के अन्दर खर्च करने के लिए, जैसा वित्त मंत्री जी ने बताया, १ करोड़ १२ लाख रुपये के अतिरिक्त टैक्स लगे हैं। टैक्सों के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि अगर विकास कार्यों पर वह खर्च हुआ होता और अविकास कार्यों में खर्च कम हुआ होता तो मैं उसके सम्बन्ध में एक शब्द भी नहीं बोलता। लेकिन अब हमें देखना पड़ेगा कि हमारी आमदनी तो बढ़ती जा रही है और विकास कार्यों पर भी खर्च हो रहा है फिर भी यह टैक्स क्यों लगाया जा रहा है? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक स्टेज ऐसी आयेगी जब आपको टैक्स लगाना बन्द करना पड़ेगा और अपनी नॉन-टैक्स रेवेन्यू से ही काम चलाना पड़ेगा। वैसे यह राज्य सरकार की नीति है, मैं यह मानता हूं। लेकिन जो जो प्लान उसने बनाये हैं उनमें एक गलती रही है कि प्लान में जिस काम के लिए यह सोचा था कि इस समय पूरा हो जायगा वह उस समय में पूरा नहीं हो सका। इसके अलावा जो उन काम के लिए आरोजिनल एस्टीमेट था हमारे पास कि इतने रुपये इसमें खर्च हो जायेंगे और जब ओरोजिनल एस्टीमेट रिवाइज्ड एस्टीमेट में आया तो उसमें ज्यादा खर्च आया और जब एक्चुअल स्थिति सामने आयी तो उसमें और ज्यादा खर्चा था। तो ओरोजिनल में प्रावधान हमारा था उससे रिवाइज्ड में ज्यादा और एक्चुअल में और ज्यादा। लेकिन जिस क्षमता को हम बढ़ाने वाले थे और जो परसेन्टेज ऑफ रिटर्न होने वाला था वह जहां शुरू में चार-पांच परसेन्ट लेकर चले थे वह आखिर में आकर एक परसेन्ट रह गई और एक्चुअल्स में ४ रह गई।

(श्री गोविन्दसिंह)

इसके सम्बन्ध में मैं थोड़े में आपके सामने नजीर रखना चाहूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक केस है, उपाध्यक्ष महोदय, सरेड़ा बांध-यह १९५८ में खत्म होना चाहिए था, लेकिन वह १९५८ में खत्म नहीं हुआ और उसके बजाय १९६४ में खत्म हुआ। इसका जो ओरीजिनल एस्टीमेट था वह ३३ लाख रुपये का था और इसका एक्चुअल खर्च हुआ वह ४० लाख हुआ। इसका जो एकरेज था वह शुरू में १९ हजार था, वह रिवाइज्ड में १३ लाख रहा और एक्चुअल में ११ लाख रहा। तो जो परसेन्टेज ऑफ रिटर्न था वह ओरीजिनल मे ४. ४ था, तब इसका रिवाइज्ड एस्टीमेट आता है तो वह २.३ आता है और जो एक्चुअल में हुआ है वह १.६ परसेन्ट हुआ है और अब इस समय हो रहा है वह .४ हो रहा है।

इसी प्रकार हमारी मंडेला की योजना है। यह योजना भी सन् १९५७ में खत्म होने वाली थी, मगर आज सन् १९६५ हो गया है, मगर आज तक वह योजना खत्म नहीं हुई है। उसके रिवाइज्ड एस्टीमेट में ६.२ लाख रुपया हमारा खर्च होगा।

इसी प्रकार चन्द्रभागा की स्कीम है उसमें भी जो रिटर्न हमको मिलना चाहिए वह नहीं मिला है। इसी प्रकार पुनर्वा की स्कीम है उसमें भी हमको जो रिटर्न ३.५ मिलनी थी वह नहीं मिली और वह १.५ ही मिली है। इसी प्रकार और भी कई स्कीमें हैं जिनमें काफी रुपया लगा है, मगर जितनी उनसे रिटर्न एक्सपेक्टेड थी वह हमें नहीं मिल रही है।

इसी प्रकार भी मसागर और काली बांध की योजना है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भीमसागर बांध अभी नहीं बना है और वहां पर पहले नहरें बन चुकी हैं और उस पर लाखों रुपया खर्च हो गया है। और काली सिन्ध बांध पहले बन चुका है, मगर वहां पर अभी तक नहरें नहीं बनी हैं। इन दोनों पर लाखों रुपया खर्च हुआ है, मगर एक का बांध नहीं बना है तो दूसरे की नहरें नहीं बनी हैं।

मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि बराबर इस टैक्स का भार जनता पर पड़ता है। आप टैक्स किस लिए लगाते हैं? आप टैक्स नहरें आदि की योजना बनाने के लिये लगाते हैं और उस पर लाखों रुपया लग जाता है और जितना रिटर्न मिलना चाहिए उतना रिटर्न नहीं मिलता है और फिर आपको जनता पर टैक्स बढ़ाना पड़ता है। इस सम्बन्ध में मेरा आपसे यह निवेदन करना है कि निश्चित तौर से आपके यहां पर जो टैक्निकल स्टाफ है वह आपकी इन योजनाओं को बनाने में असफल रहा है। हम यह मानते हैं कि हमारे इंजीनियर्स बड़े क्वालीफाइड हैं और हम उन पर किसी तरह का लांछन नहीं लगाना चाहते, मगर वास्तव में जो स्थिति है वह यह है कि योजना बनाते हैं वह असफल रहती हैं। हो सकता है कि जब वे कोई योजना बनाना चाहते हैं तो हमारे ऊपर के नेता की तरफ से इशारा होता है कि कितना परसेन्ट दें। उसके अनुसार यह स्कीम पास हो जाती है और बाद में उसका रिजल्ट ठीक नहीं निकलता।

मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि यदि आपके किसी इंजीनियर ने गलत योजना

(श्री गोविन्दसिंह)

बनाई और वह असफल हुई तो क्या सरकार ने किसी भी इंजीनियर को, जिसने उस योजना को बनाया, पूछने की कोशिश की कि आपने योजना में इतनी इन्कम बताई थी और रिवाइज्ड स्कीम में यह इतनी कैसे बढ़ गई ? क्या राज्य सरकार ने उनसे पूछा और कभी उनसे इसके लिए एक्सप्ले-नेशन कॉल किया ? मैं कहूंगा कि आपने उनसे कभी भी नहीं पूछा होगा, न उनसे इस मामले में कोई एक्सप्लेनेशन ही लिया होगा ।

मेरी यह मान्यता है कि आपके इन्जी-नियर्स एक्सपर्ट नहीं हैं इस प्रकार की योजनाएं बनाने में । मेरी कई बातों पर इन्जीनियरों से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि उनको कई बातों पर टैक्निकल एक्सपीरियेन्स नहीं है । धीरे धीरे एक्स-पीरियेन्स गेन करते जा रहे हैं । मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह कोई जनता के साथ खिलवाड़ नहीं है कि आपके इन्जी-नियर्स जनता के पैसों के साथ खिलवाड करें और जनता के पैसों से एक्सपेरिमेंट करें और यह देखें कि योजनाएं कब तक खत्म हो जावें । इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आगे आने वाली योजनाओं पर जो खर्च हो उसके लिए जो योजनाएं बन चुकी हैं और उस पर खर्च हुआ है उससे सबक लेना चाहिए कि हमें कितना रिटर्न मिलने वाला है यदि इस पर नहीं सोचेंगे और जो हमारा पैसा खर्च होगा और हम ज्यादा टैक्स लगाते जावेंगे तो उससे जनता को परेशानी ही होगी ।

दूसरे उपाध्यक्ष महोदय, कुछ काम ऐसे हैं जो स्टेट एन्टरप्राइज में और कुछ ऐसे हैं जो पब्लिक सेक्टर में किये जावें । हमें इस बात को देख कर दुःख होता है कि हमारा पैसा किस तरह से बरबाद किया जा रहा है ।

आपने डीडवाना सोडियम सल्फेट फैक्ट्री का ठेका दिया जर्मन फर्म को । उससे पहले उन्होंने कहीं यह नहीं बताया था और वह फर्म यहां पर एक्सपेरीमेंट करने के लिये आई । इसमें हिन्दुस्तान के लाखों रुपये लगे । कई दफे इसके लिए बिल्डिंग बनाई गई और कई दफा तोड़ी गई, और मशीनें भी बाहर से आईं । यह काम हमने एक जर्मन फर्म को दिया जिसको इस काम का पहले कोई एक्सपीरियेन्स नहीं था और इस कारण हमको बहुत सा नुकसान हुआ । आज वहां सोडियम सल्फेट का कारखाना जो ४ या ५ वर्षों पहले चलना चाहिए था, वह नहीं चल सका । पहले जर्मन फर्म ने कहा था कि २० टन सोडियम सल्फेट रोजाना उत्पादन होगा मगर आज तक उन्होंने १६ टन ही पैदा करके बताया है । तो इस प्रकार के कामों को बड़े सोच-समझ कर हमें करना चाहिये ।

एक बात यह है जो मैं कहना चाहता हूं कि बाहर के आदमी जो आपको राय देंगे उसके अनुसार आप काम करेंगे और हमारे यहां के आदमी आपको राय देंगे उस पर आप ध्यान नहीं देंगे । जो यहां के इन्जीनियर उस जगह पर हैं उनसे मेरी बात हुई थी । ये कहते हैं कि यह सारी की सारी मशीनरी हिन्दुस्तान में बन सकती है और आपने इस पर जो खर्च किया है वह है ३६ लाख रुपया । मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि हमारे यहां के सब के सब इंजीनियर्स अन-

(श्री गोविन्दसिंह)

क्वालिफाइड नहीं हैं। बहुत से ऐसे हैं जिनको काफी अनुभव है और जिनमें काम करने की क्षमता है। अगर वे यह कहें कि यह बहुत कम खर्च में यहां पर बन सकता है तो उनको हमें सुनना चाहिये और अवसर उन्हें काम करने का देना चाहिये।

एक बात और है, जब सोडियम सल्फेट नमक के पानी से निकाल लिया जाता है उसमें शुद्ध नमक उस पानी में रह जाता है। उसके निकलने के बाद उसमें सोडियम क्लोराइड रहता है, सेन्ट परसेन्ट रहता है, राज्य सरकार सोचे कि अगर इस पानी से नमक बनावे तो उसमें १०० फी सदी नमक बनेगा। राज्य सरकार को इससे ५ लाख रुपये की आमदनी होगी।

आज हम देखते हैं कि राज्य सरकार छोटे-छोटे आइटमों पर भी टैक्स लगाती है, इसके लिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि आप रेवेन्यू को किस तरह से बढ़ा सकते हैं; छोटी-छोटी बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। इस तरफ ध्यान देना चाहिये। टैक्सेज लगाने से पहले हमें इस बात पर ध्यान रखना चाहिये।

एक और प्रश्न है, राजस्थान रोडवेज के सम्बन्ध में। मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे इस बात का ताज्जुब है कि आपके रोडवेज में ६२-६३, ६३-६४ तक आपके रोडवेज में २५ लाख का मुनाफा था, मगर अब आपका मुनाफा ८ लाख है; मगर इसमें क्या होता है, मैं यह समझता हूं कि इसमें कोई घोटाला है।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, वित्त): पहले डेप्रीसियेशन एकाउन्ट नहीं था। अब कॉमर्शियल बैंक में डेप्रीसियेशन एकाउन्ट साल-साल निकालता है।

श्री गोविन्दसिंह: अगर ऐसी बात नहीं है तो मैं माफी चाहता हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी ४० बसें आज बेकार पड़ी हुई हैं, आपकी जितनी बसें चलनी चाहिए, नहीं चलती हैं। जहां पर ४६ बसें आपकी चलनी चाहिए वहां पर हम देखते हैं कि आपकी २२ या २३ बसें चलती हैं। आपकी बसें रास्ते में खराब हो जाती हैं। उसके लिए कोई मेन्टीनेन्स का प्रबन्ध नहीं है कि उनको ठीक किया जा सके। हमारे पास इतनी बसें नहीं हैं जो खराब बसों को रिप्लेस कर सकें और जो खराब बसें पड़ी हैं उनको रिपेयर करने वाला नहीं है। इतना ही नहीं मैं आपको यह बताता हूं कि जो ड्राइवर मोटर चलाता है उसको यह मालूम नहीं रहता कि उसको कौनसी बस मिलने वाली है। एक बस को ड्राइवर लेकर जाता है, मगर उसको यह मालूम नहीं होता कि वह किधर जावेगा। एक ड्राइवर बस ले जाता है और उसको ८ घण्टे पूरे हो गये तो दूसरा उसकी जगह लगा दिया जाता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इसमें किसी प्रकार का घोटाला नहीं है तो इन एफिशियेन्सी जरूर है।

इसके अलावा मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आपको और हमको देखना होगा कि प्राइवेट मोटर वाले हैं वे हर व्यक्ति को १५ सेर लगेज ले जाने देते हैं, मगर हम एक व्यक्ति को १० सेर लगेज तक ही एलाउ करते हैं। जब सब जगह पर १५-२० सेर लगेज ले जाने की छूट है, आप उसको १०

(श्री गोविन्दसिंह)
सेर ही लगेज ले जाने देंगे और उस व्यक्ति के पास १० सेर से ज्यादा लगेज है तो वह दूसरी प्राइवेट बस में सफर करेगा। इसके अलावा आपको यह भी मालूम नहीं है कि आपकी बस उस जगह पर समय पर पहुंच भी जावेगी या नहीं।

कई दफा मुझे कोटा जाने का मौका मिला है। मैंने देखा है कि रास्ते में दो-दो, तीन-तीन बसें पड़ी रहती हैं। मैं माननीय मंत्री की यह बात मानता हूं कि मेन्टीनेन्स पर खर्चा बढ़ गया है, टेक्निकल स्टाफ का खर्चा बढ़ गया है, लोगों को एलाउन्स देते हैं, वह खर्चा बढ़ गया है।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने आपसे बताया कि पहले कॉमर्शियल बैंक में अकाउन्ट्स मेन्टेन नहीं होते थे और हर मोटर चलती है उसके बाद में उसकी कीमत कम हो जाती है; तो उसमें डेप्रीसियेशन आदि चार्जेज नहीं है; अब उनको सब को एक्सक्यूल्ड किया गया है। इसलिए यह है।

श्री गोविन्दसिंह : डेप्रीसियेशन का क्या मामला है, मैं इसमें ज्यादा गहरा नहीं जाना चाहता। लेकिन आज वास्तविकता यह है कि अगर किसी एक प्राइवेट बस ऑनर की मोटर १० साल में जाकर खराब होगी तो आपकी मोटर ५ साल में ही खराब हो जायगी। इस ओर आपको ध्यान देना होगा और समुचित प्रबन्ध करना होगा।

एक मामूली सी बात बताऊं। अभी बात चली कि हमारे जो प्लान्स हैं, सड़कों के प्लान्स में और बिल्डिंगों के प्लान्स हैं उनमें जितना रुपया प्लान में होता है वह सब खर्च हो जाता है; पर न सड़कें पूरी होती हैं और न बिल्डिंग्ज पूरी होती हैं, जो हमारे टार्गेट्स हैं उन्हें हम एचीव नहीं कर पाते हैं। जो हमारे पुराने शिड्यूल पी. डब्लू. डी. के हैं उन शिड्यूल्स से ४० परसैन्ट, ५० परसेंट और कहीं कहीं तो ६० परसैन्ट अबव टेन्डर जाते हैं और उन्हीं पुराने शिड्यूल्स के चले आते रहने के कारण हमारी सड़कों के लिए, मकानों के लिए जितने रुपयों का प्रावधान किया जाता है उतने में वे पूरे नहीं होते हैं और नतीजा यह होता है कि प्लान्स के मुताबिक स्वीकृत धनराशि खर्च हो जाती है फिर भी सब काम अधूरे रह जाते हैं। तो आपको अपने इन पुराने शिड्यूल्स को बदलना होगा। आपको जो यह बताने का मोह है कि इतनी धनराशि में हम इतने माइल लम्बी सड़क पूरी कर देंगे, इस मोह को आपको छोड़ना पड़ेगा और साफ-साफ कहना पड़ेगा कि हम इतने रुपये में इतनी ही सड़कें बना सकेंगे। पुराने शिड्यूल्स के अनुसार एस्टीमेट्स और प्लान्स बनाने के कारण आज स्थिति यह है कि सेकिन्ड फाइव ईयर की सड़कें भी पूरी नहीं हुई हैं। आप अपने शिड्यूल को चेंज करिये, नहीं तो आपकी सड़कें, आपकी बिल्डिंग्ज पूरी नहीं हो सकती।

एक बड़ी दर्दनाक बात है ....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहली दफा बोल रहा हूं बजट पर। अब मैं टेन्डर पर आता हूं, टेन्डर खोटे हैं, आपके डिपार्टमेंट की गलती से रीटेन्डरिंग होता है। बहुत से टेन्डर सेक्रेटेरियेट के लेवल पर कॉल करने पड़ते हैं, इस वजह से आपके इरिगेशन आदि डिपार्टमेंट्स को देखिये १५—२० लाख रुपये का

(श्री गोविन्दसिंह)
हर साल गवर्नमेंट को नुकसान उठाना पड़ता है। तो हमें विजिलेन्ट होना पड़ेगा। जिस किसी भी अधिकारी की वजह से, जिस किसी भी कर्मचारी को वजह से रीटेन्डर होता है उसको सजा देनी होगी। जहां तक हमारे सरकारी कर्मचारियों का सवाल है वे ईमानदार, समझदार, पढ़े-लिखे और हर तरह से योग्य हैं; पर जैसे पोलो का घोडा होता है अपने सवार की रान को पहिचानता है उसी तरह वे आपके रुख और तौर-तरीकों को अच्छी तरह से पहिचानते हैं। जब तक आप अपनी अक्ल से काम लेंगे तो ये काम करेंगे, पर जब वे देखते हैं कि प्लान बनाना मिनिस्टर का काम है और एग्जीक्यूट करना हमारा काम है, वहां प्लान्स सेक्रेटरीज बनाते हैं और आप यह देखते हैं कि मेरे इस आदमी को इसमें ले लूं, उस आदमी को ले लूं, तो सब काम में गड़बड़ हो जाती है। प्लान आप करिये, पर प्लान्स के एग्ज़ीक्यूशन को आप अधिकारियों की ईमानदारी पर छोड़ दीजिये।

अब मैं एक और महत्वपूर्ण पहलू पर थोडा निवेदन करना चाहता हूं। शराबबन्दी का प्रश्न बड़े जोरों से उठाया जाता है। विरोधी पक्ष बार बार अपनी बात उठा रहा है कि शराब बन्दी करो; पर अपनी राय अच्छी तरह नहीं दे रहा है। कांग्रेस सरकार का लक्ष्य शराबबन्दी का है, पर शराबबन्दी से पहले यह देखना होगा कि जनमानस शराबबन्दी के लिये तैयार हो गया है या नहीं जनता का मानस शराब छोड़ने को तैयार हो गया है या नहीं। बॉम्बे में देखिये, बॉम्बे सरकार को १८ करोड़ का नुकसान हुआ है। आज पुलिस के थानों के सामने शराब बेची जा रही है, वहां कि पुलिस ईमानदार समझी जाती थी, पर आज वहां पुलिस में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। जनमानस यदि शराब छोड़ने के लायक नहीं बना है तो शराबबन्दी का नतीजा यह होगा कि इल्लिसिट डिस्टिलेशन होगा और इससे जनता का स्वास्थ्य बिगड़ेगा।

मैं आपके गारन्टी सिस्टम के बारे में इस बात की सराहना करता हूं कि आप इससे अपनी आमदनी को आठ करोड़ के ऊपर ले गये, आपकी गारन्टी १० करोड़ तक पहुंच सकती है; पर आपकी गारन्टी फूलप्रूफ नहीं है। कोटा में एक ठेकेदार को गारन्टी दी जाती है.........

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु०): माननीय उपाध्यक्ष, कोरम नहीं है।

(गण-पूरक घंटी के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष : Please wind up your speech.

श्री गोविन्दसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कम से कम १५ मिनट और चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : १५ मिनट नहीं, एक मिनिट में वाइन्ड अप करें।

श्री गोविन्दसिंह : Thank You.

कुमारी उमा माथुर (रतनगढ) : उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी आशा थी कि इस विधान सभा के अन्तिम बजट भाषण पर वित्त मंत्रीजी राज्य की आर्थिक स्थिति को कोई नया मोड़ देंगे और हमारे सिद्धान्तों के अनुसार कोई समाजवादी व्यवस्था को कायम रखने के लिए, उस शिक्षा के अग्रसर होने के लिए कदम उठायेंगे, किन्तु दुख के साथ कहना पड़ता है कि

(श्री गोविन्द सिंह)
प्रस्तावित बजट भाषण में सराहना केवल वित्त मन्त्री महोदय की सेकुलर भाषण की की जा सकती है। जहां उन्होंने ठेठ हिन्दी और उर्दू शब्दों का एक साथ प्रयोग कर के एक अनूठी भाषा को अनूठा रूप दिया है; किन्तु जो इस प्रस्तुत बजट का स्वरूप है उससे न तो जन-साधारण को कोई राहत मिलती है और न करों का भार कम होता है। प्रस्तुत बजट में राजस्व खाते में १ करोड़ ६१ हजार का घाटा तथा पूंजी खाते में एक करोड़ का घाटा रहेगा। इस घाटे को पूरा करने के लिए वित्त मन्त्री महोदय ने ३ बातें सामने रखी है। कुछ तो केन्द्रीय सेल्स टैक्स में परिवर्तन होने के कारण जो आमदनी बढेगी उससे, कुछ जो इस बजट से पहले ही ऑर्डिनेन्स से यात्रा और माल कर बढ़ा दिया है उसके द्वारा, तीसरा प्रस्ताव है कुछ किफायतसारी।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक किफायत-सारी का प्रश्न है, यह बात हर साल के बजट में हमारे वित्त मन्त्री महोयद कहते आये हैं, लेकिन यह केवल कहने ही कहने की बात है, किफायतसारी करने का न तो कोई आसार दिखाई देता है और न इरादा ही मालूम होता है।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : शेम।

कुमारी उमा माथुर : जहां पर हमारा अधिकास सेवाओं पर सन् ६२-६३ में ४४.३० खर्चा था वहां ६५-६६ में ४५.३२ हो गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा प्रशासनिक खर्च घटने की बजाय बढ़ता चला जा रहा है। अगर किफायतसारी करेंगे तो फोर्थ क्लास सर्वेन्टस की कमी कर देंगे, कहीं एल. डी. सी. को निकाल देंगे। इस प्रकार का प्रयोग करके किफायतसारी का नमूना सामने रखते हैं, पर वास्तव में प्रशासन में किफायतसारी जो करनी चाहिए वह नहीं करते।

न केवल अलवर में बल्कि प्रत्येक जिले में राज्य के विभिन्न विभागोंकी ४०,५०,६०सरकारी गाड़ियां हैं, विशेषकर जीपें होती हैं। अधिकतर जिलों से हर गाड़ी हर महीने जयपुर में सर्विस के लिए आती है या कहीं और सर्विस के लिए जाती है। मैं तो अलवर की बात कह सकती हूं कि हर गाड़ी अलवर से आने में १००–१५० रुपए हर महीने खर्च होता है जबकि सर्विस का खर्चा केवल १० रु० होता है। आने-जाने का पैट्रोल का खर्चा, ड्राईवर का डी. ए. उसके अतिरिक्त जो अधिकारी अपने परिवार सहित सैर करने के उद्देश्य से जयपुर में पधारते हैं, राजधानी के जमु वा-रामढ़गढ़ की सैर पर और लक्ष्मण डूंगरी की सैर, इस पर जो खर्चा है वह भी जोड़ लिया जाये। हजारों लाखों रुपये वेस्ट हो रहे हैं। जो पैसा किसान की गाढे पसीने की कमाई का है उसका अपव्यय होता है उसको रोकने के लिए खस की टट्टियों में बैठ कर निर्णय लेने वाले इस बात को नहीं सोचते कि जिला हैडक्वार्टर पर सरकार अपना एक सर्विस स्टेशन खोल दे जिससे न केवल व्यर्थ का खर्चा बच जायगा बल्कि सरकार को आम-दनी होगी।

श्री जोधसिंह चौहान : हटाओ न फिर उनको।

कुमारी उमा माथुर : इसी प्रकार जन लेखा समिति की रिपोर्ट जो इस साल प्रस्तुत की गई है उसमें से एक उदाहरण आपके सामने पेश करती हूं।

(कुमारी उमा माथुर)

भूतपूर्व जयपुर राज्य द्वारा जनवरी फरवरी, १९४५ में जयपुर शहर की विकास योजना के सम्बन्ध में दो प्लॉट अवाप्त किए गए जिनका मुआवजा १५-२० साल बाद दिया गया। इस विलम्ब के कारण सरकार को ७०,००० रु० के मुआवजे पर ४०,००० रु० का ब्याज चुकाना पड़ा। १९५६ तक तो सरकार जमीन के बदले जमीन देने के प्रश्न पर बातचीत करती रही लेकिन कोई परिणाम नहीं निकलने से भूमि अवाप्ति अधिकारी ने जनवरी, १९५९ और दिसम्बर १९६१ में अवार्ड दिया। दूसरे मामले में अवार्ड दिये जाने के बाद भी मुआवजे का भुगतान ढ़ाई साल बाद किया गया। इन दोनो मामलों में मुआवजा डेढ़ रुपया प्रति गज के हिसाब से दिया गया।

मेरे कहने का मतलब है कि जैसे मुझसे पहले बोलनेवाले वक्ता ने कहा, अगर यह ऑडिट रिपोर्ट उठा कर देखी जाय तो सैकड़ों-हजारों उदाहरण हैं, अधिकारियों की छोटी-छोटी गलतियों की वजह से सरकार को लाखों रुपयों का नुकसान हो जाता है। उससे ही यदि बच सकें तो नई टैक्सेज लगाने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारा जो आज के दिन टैक्सेज का ढांचा है उसमें ३१ परसेंट टैक्सेज सीधे हैं और बाकी परोक्ष रूप में लगाई गई हैं जिसका अधिकतर भार गरीब जनता पर पड़ा है। सरकार समाजवादी समाज लाने की कोशिश में है और जो इस व्यवस्था को कायम करना चाहते हैं उनको अपना बजट का स्वरूप प्रस्तुत करते समय इस बात का ध्यान रखना कि चाहिये हम बजट में ऐसे प्रस्ताव प्रस्तुत करें जिससे जो दिन प्रति दिन गरीबी और अमीरी की खाई बढ़ती जा रही है उसमें राहत मिले, किसानों को राहत मिले, गरीबों को राहत मिले। लेकिन हरसाल के बजट में हम देखते हैं कि जो हमारे सामने प्रस्ताव आते हैं उससे गरीब गरीब होता जाता है और अमीर अमीर होता जाता है। हम किसानों के हामी हैं, कृषि उपज बढ़ाना चाहते हैं। किसानों की हालत सुधारने के लिए हमने जागीरदारी-बिस्वेदारी का उन्मूलन किया और बहुत से कदम उठाए किन्तु हमने प्रशासनिक ढांचे में सुधार नहीं किया। आज हमने पुराने जागीरदारों, बिस्वेदारों को तो खत्म कर दिया लेकिन राजस्व विभाग के जो अधिकारीगण हैं, खास तौर से पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार वगैरह, वे नई तरह से जागीरदार बन गए हैं।

श्री जोधसिंह चौहान : हमारे मिनिस्टर्स तो जागीरदारों के जागीरदार हैं।

श्री परसराम मदेरणा (उप मंत्री, वित्त): नहीं, जनता के सेवक हैं।

कुमारी उमा माथुर : रिश्वतखोरी और बेईमानी के कारण किसानों को इस कद्र परेशान करते हैं जिसका आप अन्दाजा नहीं लगा सकते। एक एक तकाबी लेने के लिए एक-एक गरीब किसान को १००—२०० रुपए रिश्वत के देने पड़ते हैं। पंचायत समिति ने प्रस्ताव पास कर दिया, पंचायत ने प्रस्ताव पास कर दिया कि पंचायत की मीटिंग्स में पटवारी आएं, तहसीलदार साहब ने इत्तफाक भेज दिया, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। अलवर जिले में धर्मपुरा, तहसील उमरेण, का चरागाह पंचायत समिति को दिया गया। एक दिन अचानक पता चला कि वह जमीन किसी और आदमी को एलॉट

(कुमारी उमामाथुर)
हो गई। बी. डी. ओ. द्वारा तहसीलदार साहब को इस विषय में लिखा गया। उन्होंने जो जवाब दिया वह आपको मैं सुनाना पसंद करूंगी :

"निवेदन है कि धर्मपुरा की विलेज वाली जमीन का एलॉटमेंट ब-एवज खुदकाश्त किसी साबिक जागीरदार व मुआफीदार को तहसील की सिफारिश पर हो गया बताया। तहसील से पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर सिफारिश करदी बताई। श्री जागीर कमिश्नर साहब का हुकुम तहसील को कोई प्राप्त नहीं हुआ है।

मैंने पटवारी हल्का अकबरपुर से इस संबंध में जवाब मांगा है। दफ्तर कानूनगो व एल. आर. आई. सर्किल मुत्तालिका को हिदायत करदी है कि दखल की कार्यवाही हुकम आने पर करने से पहले हुकम मेरे रूबरू पेश किया जावे। निश्चित तौर पर हुकम प्राप्त होने व पटवारी का जवाब आने पर निवेदन किया जा सकेगा क्योंकि सिफारिश मेरे अवकाश के काल में की गई है और असल कागजात भेज दिये गए थे।"

तीन महीने बाद तहसीलदार साहब का यह जवाब आया कि एलॉटमेंट हो गया बताया और पटवारी ने रिपोर्ट कर दी बताई और आज उसके बाद भी एक महीना गुजर गया, कई चिट्ठियां लिखी जा चुकीं, विकास अधिकारी मिल आए, लेकिन अभी तक पता नहीं लगा कि कैसे इस प्रकार का एलॉटमेंट कर दिया, जबकि वह चारागाह पंचायत समिति के अधिकार में था। उस भूमि को पटवारी ने रिश्वत लेकर एलॉट कर दिया। तो सारी भूमि का कोई मालिक नहीं। इसलिए राजस्व विभाग में फैली हुई ज्यादतियों और भ्रष्टाचार को अगर नहीं रोका गया तो किसानों की बहबूदी और खाद्य समस्या हल करना संभव नहीं है। मैंने यह निवेदन सदन में कई बार किया है, लेकिन इस पर किसी तरह कोई एक्शन नहीं लिया जाता है।

मैं सरकार की अव्यवस्था तथा अपव्यय का एक और नमूना पेश करती हूं। हमारे यहां किशनगढ़ पंचायत समिति में पी. एच. सी. खोला गया। उस समय क्योंकि भवन उपलब्ध नहीं था इसलिए जनता ने ग्राम कृपालनगर में धर्मशाला उपलब्ध कराई और सेंटर खोला गया। उसके बाद सन् १९६१ में पी. एच. सी. की बिल्डिंग किशनगढ़ में बन कर पूरी हो गई। बीसों बार पंचायत ने और सैंकड़ों बार मेडीकल अधिकारियों ने सरकार को इस बात के लिए लिखा कि इस बिल्डिंग में ४०—५० हजार रुपए खर्च हुआ है और बेकार पड़ी है; न बेड है, न डॉक्टर है। लेकिन उस पर आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया; तो हम कल्याणकारी राज्य के हामी हैं और हम चाहते हैं कि हम प्रगति करें, इसके लिये यह भी आवश्यक है कि हमको टैक्स का भार भुगतना पड़ेगा, लेकिन जो धन किसान अपना पेट काटकर, जो गरीब अपना पेट काटकर आपके खजाने भरते हैं, उस धन का अगर दुरुपयोग किया जायेगा, तो यह कल्याणकारी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय समाप्त हुआ। सदन कल ११ बजे प्रारम्भ होगा।

(तदनन्तर सदन की बैठक म० प० ५.०१ पर मंगलवार, दिनांक १५ मार्च, १९६६ के म० पू० ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २४५ का उत्तर देखिए)

15.70. The Government should ensure proper and efficient utilisation of the loans granted. Expert advice and guidance for fulfilling the purpose for which loan has been granted should also be ensured.

15.71. At present the Panchayat Samiti has powers to raise loans. In the new pattern we, recommend that the three institutions viz. Panchayat, Panchayat Samiti and Zila Parishad should have powers to raise loans after previous approval of the Government. The State Government should gurrantee the loans floated by Panchayat Raj bodies and should also ensure their proper utilisation by providing technical assistance and supervision and arrangements for their redemption.

15.72. In devising the financial pattern recommended above we have been guided by considerations of uniformity, certainty, simplicity and allowing a certain measure of discretion to local institutions. A summary of the financial pattern recommended is given in Appendix XXXVII.

APPENDIX XXXVII

Proposed Financial Pattern of Pachayati Raj Institution.
(Reference para 15.72)

Institution	Financial Resources
I Panchayat	1 General Development Grant@ Re. 1/ - per capita. 2 Income from taxes levied. 3 Matching grant on income from taxes at 25% of actual realisation. 4 Share of taxes levied by Panchayat Samiti. 5 Income from fees and fines. 6 Share of income from tank irrigation. 7 Special levies in respect of works of general utility.

8 Loans—
(i) raised by Panchayat,
(ii) granted by State Government.

9 Other incomes from—
(i) Sale of Abadi land.
(ii) Fish culture in ponds and tanks and leasing of waters.
(iii) Income from cattle pond.
(iv) Grazing land.
(v) Unoccupied waste land-trees and natural produce.
(vi) Remunerative assets.
(vii) Small scale undertakings
(viii) Donations and contributions.

II. Panchayat Samiti ..

1. General Development Grant @ Rs. 2/- per Capita.
2. Adjustment Grant at Re 1/- per capita (in case of Panchayat Samitis which have not run the course of Stage I block).
3. Additional Establishment Grant (to cover expenditure on establishment over and above Re. 1/- per capita.)
4. General Development Loan @ 50 Paise per capita.
5. Specific Grants for activities and schemes transferred.
6. Specific loans for activities and schemes transferred.
7. Education Grant at prescribed per capita.
8. Income from taxes levied (subject to sharing by Panchayat).
9. Matching grant on income from taxes @ 25% of actual realisation.

10. Share of taxes levied by Zila Parishad.

11. Income from fees.

12. Loans :

 (i) raised by Panchayat Samiti,

 (ii) granted by the State Government.

13. Other incomes from

 (i) Bone contracts;

 (ii) Remunerative assets;

 (iii) Profitable vocations and small scale undertakings,

 (iv) Donation and contributions.

III. Zila Parishad. ..

1. Specific Grant for establishment and schemes transferred.

2. Specific loans for activities and schemes transferred.

3. Education Grant.

4. Income from taxes levied (subject to sharing).

5. Matching grant on income from the taxes @ 25% of actual realisations.

6. Income from fees.

7. Loans

 (i) raised by Zila Parishad,

 (ii) granted by State Government.

8. Other income from

 (i) Remunerative assets,

 (ii) Profitable vocation and medium scale undertakings,

 (iii) Donations and contributions.

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक १४ मार्च, १९६६)

स्कम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
२३१८	२	का	को
,,	अन्तिम से ९	बेच ो	बेचने
२३२३	२	रजिस्ट	रजिस्टर्ड
,,	१३	मैटेरियाल	मैटिरियल
२३२६	१२	श्री अमृालाल	श्री अमृतलाल
,,	२२	भा ात	भारत
,,	अन्तिम	मे	से
२३३२	अन्तिम से १३	र्णय	निर्णय
२३३३	१	हेता	होता
,,	३	श्री म लि खां	श्री मजलिस खां
,,	४	श्री अमृ ालाल	श्री अमृतलाल
,,	८	जम न	जमीन
,,	९	बसा ो	बसाने
,,	१५	एवड़ के अनुसर	एकड़ के अनुसार
,,	१७	मान ीय	माननीय
,,	१८	हिन्दुस्त न	हिन्दुस्तान
,,	२३	जमी ें उनका	जमीनें उनको
,,	२५	राइट्म	राइट्स
२३३४	६	श्री मलिस खां	श्री मजलिस खां
,,	१५	एलॉट ाट	एलॉटमेन्ट
,,	अन्तिम से ९	श्र	श्री
२३३७	१३	श्री डंगाराम	श्री डूंगाराम
२३३९	५	चिकि ाा एवं स्वाथ्य	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
,,	१३	मे	से
,,	१७	र वे	रखे
२३४०	१०	श्र दामे दरलाल व्य स	श्री दामोदरलाल व्यास
,,	११	दृष्टि	दृष्टि
,,	,,	करोली	करौली
,,	१३	सुवि ाायें	सुविधायें
,,	१९	कौने	कोने
,,	२३	श्री जु ारसिंह	श्री जुझारसिंह
,,	२४	हॉ-पिटल	हॉस्पिटल
२३४१	शीर्षक	१४ गार्च	१४ मार्च
,,	१	श्री दिग्विजयहि	श्री दिग्विजयसिंह
,,	९	श्री दामो रलल ा स	श्री दामोदरलाल व्यास
,,	१०	ब ाने	बनाने
,,	११	श्री स ा ीचन्द्र अग्र ाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

[redacted]

१	२	३	४
२३४१	१२	धोलपुर	धौलपुर
,,	१७	केन्द्रीय कार्रालय	केन्द्रीय कार्यालय
,,	१८	स्था ान्तरण	स्थानान्तरण
,,	१९	श्री सतीशचन्द्र अगवल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
,,	२०	या	क्या
,,	अन्तिम से ५	आार	और
२३४२	३	श्री बृजसु र	श्री बृजसुन्दर
,,	४	अज्ञा	आज्ञा
,,	१८	दये	दिये
२३४३	७	होत ा	होता
,,	१०	जयपुर	जयपुर
,,	अन्तिम से १२	चूडावत	चूण्डावत
२३४५	१०	चूडावत	चूण्डावत
२३४६	१२	राज्स्व	राजस्व
,,	अन्तिम से ६	श्री दि विजयसिंह	श्री दिग्विजयसिंह
२३४७	११	वतमान	वर्तमान
,,	१५	व्यवस्वा	व्यवस्था
,,	अन्तिम से २	मुझे	मुझे
२३४८	२	व्यव था	व्यवस्था
,,	५	लि ा	लिया
,,	अन्तिम से १०	श्री गो िन्दसिंह	श्री गोविन्दसिंह
,,	,, २	ओर	और
२३४९	शीर्ष	..	(श्री गोविन्दसिंह)
,,	८	(श्री रामप्रसाद लड्ढा	(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
२३५०	५	श्री राम ासाद	श्री रामप्रसाद
२३५३	१	मे	में
२३५५	१	ब्यवस्था	व्यवस्था
२३५६	१७	सरकारी की	सरकार की
२३५७	१४	श्री	श्रीमती
२३५८	११	श्री	श्रीमती
,,	अन्तिम से १०	ंग	मांग
२३६५	७	बता े	बताने
,,	१०	वि ार	विचार
,,	११	उनाय	उपाय
२३६६	२	वि-ापनों	विज्ञापनों
,,	१०	हो ा	होगा
,,	१	प्रक ों	प्रक्रमों
,,	अन्तिम से ४	ह	ही
२३६७	६	मदेरण	मदेरणा
२३६८	३	राजस्यान	राजस्थान
,,	१५	प्रोर	और

१	२	३	४
२३६८	अन्तिम से ६	रख	रखा
२३६९	१५	इण्डीवेशन्स	इन्डीकेशन्स
२३७०	१६	चुक हूं	चुका हूं
,,	१९	स रूप इल्लि सट	स्वरूप इल्लिसिट
२३७१	अन्तिम से ७	स्ट्रेथ	स्ट्रेंग्थ
,,	,, ,,	ट्रेन्थ	स्ट्रेंग्थ
,,	,, ६	म त्रा	मात्रा
,,	,, ४	किसका	जिसका
२३७२	१	श्री भैरोंसि	श्री भैरोंसिंह
,,	२	क	की
,,	५	श्री दामेदरलला	श्री दामोदरलाल
,,	१०	श्री परस ाम	श्री परसराम
,,	२१	पार्ी	पार्टी
,,	,,	कांटीटयूशन	कान्स्टिटयूशन
,,	२४	श्री साशिचन्द्र अगवाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
,,	२७	श्री परसर म मदे ण	श्री परसराम मदेरणा
,,	अन्तिम से २	श्री सती चन अगवाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
२३७३	१	कर या	कराया
,,	२	प ते	पीते
,,	४	श्री पर ाराम	श्री परसराम
,,	५	कर या	कराया
,,	१५	श्री सा ाचन्द्र अग्ााल	श्री सतीशचन्द्र अग्र
२३७४	१	श्री बृ सुदर शर्मा (बंदी)	श्री बृजसुन्दर शर्मा (
२३७६	१६	पुस्तक लय	पुस्तकालय
,,	१७	चिकित्स लयों	चिकित्सालयों
२३७७-७८	शीर्षक	अ० स० के प्रश्नोत्तर—१४ मार्च ६६—तारांकित प्रश्नोत्तर	अनुपस्थित सदस्यों के—१४ मार्च, ६६—तारांकित प्रश्नोत्तर
२३७७	३	बढ़ात्तरी	बढ़ोत्तरी
,,	१२	चि ित्सालय	चिकित्सालय
,,	१४	श्री थ ुरेशबिहारी	श्री मथुरेशबिहारी
,,	१८	एक्सरेम शीन	एक्सरे मशीन
२३७८	६	जी नहीं।	(२) जी नहीं।
२३७९	१०	तह ा	तहत
,,	१९	वे	के
,,	२०	(डिमॉन्ट्रेटर)	(डिमॉन्स्ट्रेटर)
२३८०	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर	अतारांकित प्रश्नोत्तर
,,	२	पाठश ला, निम्बहेड़ा	पाठशाला, निम्बाहेड़ा
,,	३	निम्बा हेड़	निम्बाहेड़ा
,,	५	(निम्बाहेड़ा	निम्बाहेड़ा
,,	अन्तिम से ४	गोशपुरा	गनेशपुरा
२३८६	शीर्षक	अनुपस्थित सदस्यों के प्रश्नोत्तर	अतारांकित प्रश्नोत्तर
,,	११ व २६	स्टॉफ	स्टाफ
,,	१६	इन्डौर	इन्डोर

१	२	३	४
२३८३	अन्तिम से ३	उपल ध	उपलब्ध
,,	अन्तिम	(१२-१८ म.प.)	(१२-१८ म.प.)
२३८४	शीर्षक	आयव्ययक वाद-विवाद	आय-व्ययक पर वाद-विवाद
,,	१	अग्रेतर	अग्रेत्तर
,,	५	श्री अमरसिंह, दूदू।	श्री अमरसिंह।
,,	६	श्री अमरसिंह (दूदू) :	श्री अमरसिंह
,,	अन्तिम से ७	बह	यह
२३८५	१३	बुद्धिमानी	बुद्धिमान
,,	२१, २२	केंग्रोस	कॅंग्रॉस
,,	अन्तिम	ट्रंन्ड	ट्रेन्ड
२३८६	७	डिटीरियोरेशन	डिटेरियोरेशन
२३८७	१	लड्इ	लड़ाई
,,	११	हर्मे	हमें
,,	,,	सत्तांओं	सत्ताओं
२३८८	१३	है। यह	है यह
,,	२०	उस वक्त	उस वक्त तक
२३८९	अन्तिम से ६	नही	नहीं
२३९०	अन्तिम	क र्य	कार्य
२३९१	अन्तिम	नारियो	नोरियो
२३९२	२	हो गया है।	गया है।
२३९३	१३	केंग्रोस	कॅंग्रॉस
२३९५	११	नही	नहीं
२३९७	शीर्ष	(रावत श्री अमरसिंह)	(रावल श्री अमरसिंह)
२३९८	११	में	में
,,	२१	वजट	बजट
२३९९	१६	रोकने	रोकने
२४००	२४	कोई	कोई
,,	२५	ले	से
,,	अन्तिम से ५	हा	हो
२४०२	१२	विद्यार्थी	विद्यार्थी
,,	अन्तिम से ६	अलवर	अलवर
,,	,, ४	आ	आप
२४०३	२	सुधारी	सुधारने
,,	अन्तिम से ६	अन ज	अनाज
२४०४	,, ,, ५	र ड वेज	रोडवेज
२४०५	,, ,, ६	है। कि रष्ट्रीय	है कि राष्ट्रीय-
,,	,, ,, २	उपर	उधर
,,	,, ,, २	बोड	बोर्ड
२४०६	,, ,, ७	चा ,,	चाहता
२४०८	१७	में	में
,,	२७	रिवेन्यु	रेवेन्यू
२४०९	शीर्षक	मच	मार्च
२४०९ व	शीर्ष	(श्री अमरसिंह दूदू)	(श्री अमरसिंह)

५४११

१	२	३	४
२४०६	१७	threey early	three yearly
२४११	शीर्षक	माच	मार्च
,,	२२	जयपुर) नुस्खा	जयपुर): नुस्खा
,,	२४	श्री ग्रमरसिह दूद्व	श्री ग्रमरसिह
२४१२	२०	वृद्ध	वृद्धि
२४१४	२२	कर सके। बाहर से,	कर सके बाहर से,
२४१८	२३	(बनेड़ा)	—
२४२२	शीर्षक	तमान्य वाद-विवाद	सामान्य वाद-विवाद
२४३०	७	उन्हाने	उन्होंने
,,	२०	भो	भी
२४३२	२४	जी	जो
२४३३	२०	ग्रास	ग्राप
,,	२६	क	कि
,,	३०	उन्होने	उन्होंने
२४३४	ग्रन्तिम से ५	उक	उन
२४३५	५	(श्री नारायणसिह मसूदा, उपाध्यक्ष, पदासीन)	(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)
,,	२२	में	में
२४३७	ग्रन्तिम से ५	कर्नचार	कर्मचारी
२४३९	शीर्ष	(श्रो उमरावसिह डावरिया)	(श्री उमरावसिह ढाबरिया)
,,	१४	नही	नहीं
२४४१	८	पास	पास से
,,	१०	दामोंदरलाल	दामोदरलाल
,,	१७	नही	नहीं
२४४२	१६	खाखों रुपये	लाखों रुपये
,,	२१	श्री गोकलप्रसाद शर्मा	श्री गोकुलप्रसाद शर्मा
,,	२६	श्री उमरावसिह ढाबरिया	श्री उमरावसिह ढाबरिया
२४४३	७	र्खच	खर्च
२४४५	१४	ट्रान्सपोटं	ट्रान्सपोर्ट
,,	ग्रन्तिम से ६	र्दे।	दें।
२४५१	३	महोदथ	महोदय
,,	२४	र्केंगे	रोकेंगे
२४५६	६	तपस्य	तपस्या
२४६०	११	हकूमत	हुकूमत
२४६२	२	कान्सटीटयूशनल	कॉन्स्टिटयूशनल
२४६४	शीर्षक	वाद-बिवाद	वाद-विवाद
२४६५	शीर्ष	(श्री भेरोंसिह)	(श्री भैरोंसिह)
२४६६	१६	वाले; लोग	वाले लोग
२४६८	ग्रन्तिम से २	श्री भंरोंसिह	श्री भैंरोंसिह
२४७३	१४	डेवलपमेंन्ट	डेवलपमेन्ट
२४७४	१७	सभ	सभा

१	२	३	४
२४७५	१५	इरिगेशन	इर्रिगेशन
२४७६	१	मेंने	में
२४८०	६	की	को
२४८१	६	सुपरिन्टेन्डेट	सुपरिन्टेन्डेन्ट
२४८३	अन्तिम	समादवादी	समाजवादी
२४८४	१४	चूडावत	चूंडावत
२४८५	अन्तिम से ४	एडवंटाइजमन्ट	एडवर्टाइजमेन्ट
२४८६	,, ,, ४	जां	जो
२४९१	शीर्ष	(श्री भैरोंसिह)	(श्री भैरोंसिंह)
२४९४	शीर्षक	सामाम्य	सामान्य
२४९५	१६	श्री **मोहनमाल सुखाडिया**	**श्री मोहनलाल सुखाडिया**
,,	२४	खराद	खरीद
,,	२७	श्री **मोहनलाल सुखाडिया**	**श्री मोहनलाल सुखाड़िया**
२४९७	अन्तिम से ६	मांगग	मांगगे
२४९८	१४	यहोदया	महोदया
,,	२१	डिपाटमेन्ट	डिपार्टमेन्ट
२४९९	अन्तिम से ७	लिक्विडेशन	लिक्विडिशन
२५०१	१०	जयपु.	जयपुर
२५०२	अन्तिम से ६	हा टक	हाईटक
२५०३	५	ह नि	हानि
,,	६	हने	होने
,,	१५	भूतपूर्व डइारेक्टर	भूतपूर्व डाइरेक्टर
,,	१६	नही	नहीं
,,	२३	की	को
२५०४	११, १२	कोलेबेरेशन	कोलेबोरेशन
,,	अन्तिम से ३	कोलेब रेशन	,,
२५०५	१२	मान ीय	माननीय
,,	१३	मंत्रंजी	मंत्रीजी
२५०६	१६	इन्वेस मेंट	इन्वेस्टमेन्ट
२५०७	१६	जंसलमेर	जैसलमेर
२५०९	१८	आर	और
२५१०	अन्तिम से ४	नही	नहीं
२५११	,, ,, ६	इ टक	इन्टक
,,	,, ,, ६	विधन	विधान
२५१४	,, ,, ५	सम्ब ध	सम्बन्ध
२५१६	,, ,, ३	अग्रेतर	अग्रेत्तर
२५१७	५	म बै० हैं	में बैठे हैं
,,	१७	करांव – क़रब	करीब-करीब
,,	२२	जा	जो
,,	२३	आर	और
,,	२४	उनम	उनमें
२५१८	२	लिफ	लिए

१	२	३	४
…१८	४	ह।	है
,,	७	ता	तो
,,	१०	ग्रार	और
,,	१७	ह,	है,
,,	२२	ग्राराजिरल	ग्रोरीजिनल
२५२०	१	भी म स ागर	भीमसागर
२५२१	६	हागा	होगा
२५२३	२०	वातों	बातों
२५२४	१६	ि ियरकरो	रिपेयर करने
२५२५	२१	ढेप्रीसियेशन	डेप्रीसियेशन
२५२८	ग्रन्तिम से ८	कुमारी उमा माथुर (रतन-गढ)	कुमारी उमा माथुर (राम-गढ)
२५२६	शीर्ष	(श्री गोविन्दसिंह)	(कुमारी उमा माथुर)
२५३३	२	न्होंने	उन्होंने